[2020] 5 एस. सी. आर. 1038

ए.पांडुरंग गणपति चौगुल

वी.

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

(2009 की सिविल अपील No.5674)

बी.

05 मई, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन, एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची सूची I, प्रविष्टि 45; सूची II, प्रविष्टि 32-कानून बनाने की संसद की शक्ति-प्रयोज्यता एस. सहकारी बैंकों के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002-आयोजित: राज्य विधान के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक और एम. एस. सी. एस. अधिनियम के तहत पंजीकृत बहु-राज्य स्तरीय सहकारी समितियां, जो 'बैंकिंग' के तहत पंजीकृत हैं, प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं से संबंधित विधान द्वारा शासित हैं। सहकारी समितियों द्वारा संचालित अनुसूची सहकारी बैंक डी राज्य विधान के तहत पंजीकृत डब्ल्यू. आर. टी के पहलुओं' 'निगमन, विनियम और समापन', विशेष रूप से, प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूची के दायरे से बाहर के मामले, प्रविष्टि 32, सूची II, सातवीं अनुसूची से संबंधित उक्त कानून द्वारा शासित होते हैं-बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल सहकारी बैंक 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ में आते हैं। ई. परिभाषित यू / एस. 5 (सी) आर/डब्ल्यूएस। 56 (क) 1949 के अधिनियम की प्रविष्टि 45 से संबंधित एक विधान, सूची I-सहकारी बैंक उक्त अधिनियम और प्रविष्टि 45, सूची I में 'बैंकिंग' से संबंधित ऐसे बैंकों पर लागू किसी भी अन्य कानून के अनुपालन के बिना कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं और राज्य कानून के तहत प्रविष्टि 38, सूची I, सातवीं अनुसूची-सहकारी बैंक से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बहु-राज्य सहकारी बैंक 'बैंक' हैं। 2 (1) (ग) सरफेसी अधिनियम की वसूली एक आवश्यक कार्य है। बैंकिंग का हिस्सा; जैसे, वसूली प्रक्रिया निर्धारित यू /एस. 13 उक्त अधिनियम की प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूची से संबंधित एक कानून लागू होता है-संसद के पास अतिरिक्त प्रक्रियाएं प्रदान करने के लिए प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूची के तहत विधायी क्षमता है जी. पुनर्प्राप्ति के लिए यू / धारा 13 सहकारी बैंकों के संबंध में सरफेसी अधिनियम। 2 (1) (ग) (आई. वी. ए.), एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में "प्रचुरता वाले कौटेल" को जोड़ते हुए, ए बहु-राज्य सहकारी बैंक 'और अधिसूचना दिनांक। 28.01.03 राज्य के तहत पंजीकृत सहकारी बैंकों के संबंध में जारी किया गयाकानून बनाना अधिकार से बाहर नहीं है-प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एच.वित्तीय परिसंपत्तियाँ और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002। 2 (ग), (घ), (घ), (घ

अधिनियम, 1949-भाग II, V-ss. 5 (बी), (सी), 5ए, 6,11,18,19,22,23,35ए (1) (सी), 56 (ए)-(सी), (ई)-क़ानूनों की व्याख्या-पीठ और पदार्थ का सिद्धांत; संदर्भ द्वारा निगमन-ऋण की वसूलीऔर दिवालियापन अधिनियम, 1993-रंगीन विधान का सिद्धांत बैंकिंग कानून [सहकारी समितियों का अनुप्रयोग अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम No.23)]-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-ss। 2 (बी. आई. आई.), 2 (बी. आई. आई.), 2 (बी. आई. वी.), 2 (सी. आई. आई.), 2 (सी. आई. वी.)-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981-भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 -बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882।बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. 5 (ख), (ग), 6,56 (क)-आयोजितः एस. 6 बैंकिंग कंपनी का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है-'बैंकिंग' और 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषाएं एस में निहित हैं। 5 (बी) और 5 (सी) क्रमशः, और एस के साथ पढ़ते समय। 56 (क), इसका अर्थ है सहकारी बैंक भी-सहकारी बैंक एस की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 5 (ग), और इसकी गतिविधि बैंकिंग की है, और इसके अलावा एक सहकारी बैंक किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है जैसा कि एस में गिना गया है। 6 .

संविधान (सतानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2011-कला।43B, 243ZI, 243ZL, 243ZL (1); और प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूचीआयोजित किया गयाः कला. 43 बी को सह के प्रबंधन के संबंध में जोड़ा गया थाराज्य, कानून द्वारा, सहकारी समितियों के 'निगमन, विनियमन और समापन' के संबंध में प्रावधान कर सकता है-<ID1] बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन के अधिक्रमण और निलंबन से संबंधित है संवैधानिक प्रावधान स्वयं एक सहकारी बैंक और अन्य सहकारी समितियों के बीच अंतर करता है और प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूची के तहत अधिनियमित कानून लागू करता है-यह अधिनियम 1949 की प्रयोज्यता से संबंधित किसी भी विवाद को समाप्त कर देता है।सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंक-यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसे बैंक प्रविष्टि 45, सूची I, सातवीं अनुसूची बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होते हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण औरप्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन। 2 (1) (ग), (घ)-आयोजितः 'बैंक' शब्द को एस में परिभाषित किया गया है। 2 (1) (ग) 'बैंकिंग कंपनी', एक संबंधित नया बैंक, एक सहायक बैंक या एक बहु सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के लिए निर्दिष्ट कर सकती है-'बैंकिंग' शब्दकम्पनी 'यू / एस. 2 (डी) का वही अर्थ होगा जो एस में दिया गया है। 5 (ग) 1949 अधिनियम इस प्रकार, 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा हैएस में शामिल। 2 (1) (घ), सरफेसी अधिनियम-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 - एस. 5 (सी)।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 बैंक का अर्थ आम तौर पर कोई भी प्रतिष्ठान होता है जो बैंकिंग का व्यवसाय करता है। अभिव्यक्ति 'बैंक'इसे कई अधिनियमों में परिभाषित किया गया है। बैंक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि को-ऑपरेटिव बैंक, कलेक्टिंग बैंक, कमर्शियल बैंक, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, कस्टोडियन बैंक, डिपॉजिटरी बैंक, ड्रॉवी बैंक, फेडरल होम लोन बैंक, फेडरल लैंड बैंक, इंटरमीडिएटरी बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, म्यूचुअल सेविंग बैंक,राष्ट्रीयकृत बैंक, परक्राम्य बैंक, गैर-सदस्य बैंक, भुगतान बैंक, बचत और ऋण बैंक, बचत बैंक। 'बैंक' शब्द को इससे संबंधित विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित किया गया है। [पैरा 34] [1087-एफ; 1088-डी-एफ]

1.2 यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान के निर्माताओं ने 'बैंकिंग' के अर्थ को किसी विशेष परिभाषा तक सीमित कर दिया है। बी. आर. अधिनियम, 1949 में दिया गया। 'बैंकिंग' शब्द को सूची I की प्रविष्टि 45 में शामिल किया गया है। कैवासजी कूपर स्पष्ट रूप से इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि सहकारी बैंक द्वारा की गई बैंकिंग सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में आती है। गैनन डंकरली एंड कंपनी, (मद्रास) लिमिटेड में निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29ए) को लागू करके बेअसर हो जाता है और उक्त शब्द के अर्थ को फिर से परिभाषित किया गया है। लाइसेंस के तहत बैंकिंग की गतिविधियों को करने वाले सहकारी बैंकों के व्यवसाय के रूपों पर विचार करते हुए प्रविष्टियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में आता है। धारा 6 व्यवसाय के उन रूपों से संबंधित है जिनमें बैंकिंग कंपनियां काम करती हैं।संलग्न हो सकते हैं। बिना किसी इकाई के बैंकिंग की किसी भी प्रकार की गतिविधि/व्यवसाय नहीं हो सकता है। धारा 6 बैंकिंग कंपनी का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। द.'बैंकिंग' और 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषाएं बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) और 5 (सी) में क्रमशः निहित हैं, और जब धारा 56 (ए) के साथ पढ़ा जाता है, तो इसका अर्थ सहकारी बैंक भी होता है। पांडुरंग गणपति चौगुल v. विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेडसहकारी बैंक धारा 5 (सी) की परिभाषा के अंतर्गत आता है, और इसकी गतिविधि बैंकिंग की है, और बैंकिंग के व्यवसाय के अलावा, एक सहकारी बैंक किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है:धारा 6 में वर्णित है। [पैरा 41,44] [1103-बी-डी; 1104-ए-बी]

रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248 [1970] 3 एस. सी. आर. 530-इसके बाद आया।

मद्रास राज्य बनाम। गैनन डंकरली एंड कंपनी,(मद्रास) लिमिटेड ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 560: [1959] एससीआर 379 -संदर्भित किया गया।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची, जबकि 'बैंकिंग' सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर किया गया है। इस प्रकार, 'निगमन, विनियमन और समापन' के पहलू को सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत कवर किया जाएगा। तथापि, ऐसी सहकारी समितियों/बैंकों की बैंकिंग गतिविधि सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा शासित होगी। उक्त बैंक सूची I की प्रविष्टि 45, बी. आर. अधिनियम, 1949 के साथ-साथ सूची I की प्रविष्टि 38 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से संबंधित कानून द्वारा शासित और विनियमित होते हैं।बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत एक गहरा और व्यापक नियंत्रण बनाया गया है और किसी भी संस्था, प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा की जाने वाली बैंकिंग गतिविधि एक बैंक है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को खाते जमा करने की आवश्यकता होती है, और उपरोक्त अधिनियम के तहत पूर्ण नियंत्रण होता है। बैंकिंग की गतिविधि के लिए, ये बैंक सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार, वसूली बैंकिंग का एक आवश्यक हिस्सा होने के कारण, इसके तहत अतिरिक्त प्रक्रियाएं प्रदान करके कोई संघर्ष पैदा नहीं किया गया है।सर्फेसी अधिनियम की धारा 13। यह बैंक के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए खुला है जिसे वह चुन सकता है। जब पी. आई. टी. में बैंकिंग और सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत पदार्थ को शामिल किया गया है, यहां तक कि प्रविष्टि 32 सूची II के तहत राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर आकस्मिक खाई खोदने की भी अनुमति है। एक गतिविधि के विभिन्न पहलू हो सकते हैं। राज्य सहकारी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सहकारी

समितियों का गठन किया जा सकता है। राज्य के कानून में सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत 'निगमन, विनियमन और समापन' का प्रावधान है, सदस्यता पंजीकरण और अन्य मामलों को सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और साथ ही, बैंकिंग, लाइसेंस, खातों आदि से संबंधित पहलुओं को प्रविष्टि 45 सूची I के तहत शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (सी) (iv) (ए) और अधिसूचना दिनांक 28.2.2003 को लागू नहीं किया जा सकता है।अल्ट्रा वायर्स कहा जाता है। वे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45 सूची I के अंतर्गत हैं।[पारस 48,58-60] [1107-ई-एफ; 1130-डी-जी; 1131-जी]

3. उपरोक्त निष्कर्ष को संविधान के माध्यम से जोड़े गए संवैधानिक प्रावधानों से समर्थन मिलता है। (97 वां संशोधन) अधिनियम, 2011। सहकारी समितियों के प्रबंधन के संबंध में अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया है।अनुच्छेद 243ZI में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, सहकारी समितियों के 'निगमन, विनियमन और समापन' के संबंध में प्रावधान करना। सतानबेवें संशोधन में अनुच्छेद 243ZL को भी शामिल किया गया जो बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन के अधिक्रमण और निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 243ZL (1) के तीसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि एक सहकारी समिति के मामले में बैंकिंग, बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान राज्य अधिनियम के अलावा भी लागू होंगे। अनुच्छेद 243 जेडएल के खंड (1) के चौथे परंतुक में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहु-राज्य सहकारी समिति के संबंध में एक अपवाद भी शामिल है,इस खंड के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि 'छह महीने' शब्दों के स्थान पर 'एक वर्ष' शब्द रखे गए हों। इस प्रकार, संवैधानिक प्रावधान स्वयं एक के बीच अंतर करता है सहकारी बैंक और अन्य सहकारी समितियाँ और सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत अधिनियमित लागू कानून। इसने सहकारी समितियों द्वारा संचालित बैंकों पर बी. आर. अधिनियम, 1949 के लागू होने से संबंधित किसी भी विवाद को समाप्त कर दिया। यह पांडुरंग गणपति चौगुल वी। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेडयह स्पष्ट करता है कि ऐसे बैंक सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा शासित होते हैं। [पारस 61-63] [1132-A-B; 1133-F-G]

4.1 'बैंक' शब्द को धारा 2 (1) (सी) में 'बैंकिंग कंपनी', एक संबंधित नया बैंक, एक सहायक कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है।2 (1) (घ) एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, जो <आई. डी1> पर लागू हुआ। धारा 56 (ए) को बी. आर. अधिनियम, 1949 में 1965 के अधिनियम No.23, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.3.1966 द्वारा शामिल किया गया था। उस तारीख को धारा 56 (ए) क़ानून का हिस्सा बन गई। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) 'बैंकिंग कंपनी' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कोई भी कंपनी जोबैंकिंग। धारा 56 (ए) के आधार पर, किसी 'बैंकिंग कंपनी' या 'कंपनी' या 'ऐसी कंपनी' के संदर्भ को सहकारी बैंकों में अधिनियम को लागू करने के लिए एक सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। धारा 5 (सी) में संशोधन नहीं किया गया था और अन्य प्रावधानों में भी संशोधन नहीं किया गया था जहां वे थे। रखा गया है। हालांकि, धारा 56 में शामिल विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से एक अलग अध्याय V द्वारा संशोधनों को शामिल किया गया था क्योंकि कुछ प्रावधानों को मौजूदा रूप में बनाए रखना आवश्यक था क्योंकि वे अन्य बैंकों और कंपनियों पर लागू होते थे क्योंकि संशोधन और कुछ संशोधन जो आवश्यक थे और व्यापक रूप से आवश्यक थे। प्रावधानों मेंसहकारी बैंकों को उनके आवेदन में संशोधित प्रपत्र अलग से प्रदान किए गए थे। जब बी. आर. अधिनियम, 1949 को

सहकारी बैंक पर लागू किया गया था, तो 'निगमन, विनियमन और समापन' से संबंधित अधिनियम के तहत सभी प्रावधानों को हटा दिया गया था क्योंकि 1949 का अधिनियम सहकारी बैंकों पर लागू होता है, हालांकि वे अधिनियम में अन्य संस्थाओं के लिए मौजूद हैं, लेकिन सहकारी बैंकों से संबंधित नहीं हैं। अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति को दी गई सलाह में यह उल्लेख किया गया था कि ये मामले विशेष रूप से थेयह सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत शामिल नहीं है और सूची II की प्रविष्टि 32 का विषय है। इस प्रकार, जब 1949 के अधिनियम के प्रावधान किसी सहकारी बैंक पर लागू होते हैं, तो सहकारी बैंक को शामिल करने के लिए 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा को पढ़ना पड़ता है। धारा 56 (ए) धारा 5 (सी), का हिस्सा बन जाती है।हालाँकि यह एक अलग स्थान पर स्थित है। चूंकि अधिनियम का केवल भाग 5 सहकारी बैंकों पर लागू होता है, इसलिए धारा 56 (ए) 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा में संशोधन करती है और यह धारा 5 (सी) का एक अभिन्न अंग बन जाता है, क्योंकि इसका पूरा प्रभाव दिया जाना आवश्यक है। वर्तमान में उसी में संदर्भ द्वारा निगमन का मामला है।सहकारी बैंकों के लिए आवेदन में बाद में संशोधन द्वारा अधिनियम। जब धारा 5 (सी) के प्रावधान सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं, तो सहकारी बैंकों को वैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से उक्त परिभाषा के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ए के मामले में कंपनी को धारा 5 (सी) में सहकारी समितियों/बैंकों के संदर्भ के रूप में नहीं लिया गया है, धारा 56 की व्याख्या के बारे में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। सहकारी बैंकों के आवेदन में बी. आर. अधिनियम, 1949 में जहां भी 'बैंकिंग कंपनी' शब्द आते हैं, वहां सभी प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो जाता। पहले के प्रावधानों के शब्दशः पुनरुत्पादन से बचने के लिए, जो किसी सहकारी बैंक पर लागू नहीं होते थे, धारा 56 (ए) में 'कंपनी' को 'बैंकिंग कंपनी' या 'कंपनी' या 'ऐसी कंपनी' के रूप में पढ़ने के लिए एक उपकरण बनाया गया था। यदि धारा 5 (ग) और व्याख्या खंड की परिभाषा को शामिल किए जाने और संशोधित किए जाने के रूप में नहीं पढ़ा जाता है, तो व्याख्या खंड और भाग 5 का पूरा संशोधन होगा।बेकार हो जाते हैं। 1949 के पूरे अधिनियम में संशोधन करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि यह सूची I से संबंधित अन्य संस्थाओं के 'निगमन, विनियमन और समापन' से संबंधित था, जैसे कि प्रावधान थे: इसे बनाए रखने की आवश्यकता थी और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित ऐसे मामलों को बाहर रखा जाना था। जैसा कि विभिन्न प्रावधानों को छोड़ दिया जाना था सहकारी समितियों और अन्य प्रावधानों को संशोधित रूप में लागू किया जाना था, एक अलग अध्याय प्रदान करके सहकारी बैंकों को उनके आवेदन में प्रावधानों में संशोधन किए गए थे। इस प्रकार, यह आवश्यक नहीं माना गया था और न ही इसमें संशोधन करना उचित होता।धारा 5 (सी) की परिभाषा जहां यह मौजूद थी, वास्तव में इसे धारा 56 (ए) में इस प्रकार संशोधित किया गया था। पूरा अध्याय 5 सहकारी बैंकों पर अधिनियम के लागू होने के संबंध में अधिनियमित किया गया था और इसे पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि देय राशि की वसूली की प्रक्रिया सहकारी समिति अधिनियम में प्रदान की गई है, पांडुरंग गणपति चौगुले v उस अभिव्यक्ति की व्याख्या के रास्ते में नहीं आ सकता था।' सहकारी बैंक 'जिसे परिभाषा में शामिल किया गया था और बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 का व्याख्या खंड। सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के विषय से निपटने के लिए संसद और ग्रेटर बॉम्बे कॉप में इस न्यायालय के लिए यह खुला था। बैंक लिमिटेड ने स्वयं यह मत व्यक्त किया कि बी. आर. अधिनियम, 1949 सहकारी बैंकों पर लागू होता है जो भारत के संविधान की सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित अधिनियम है और अनुच्छेद 243-जेड. एल. (1) के तीसरे परंतुक में यह भी प्रावधान है कि बी. आर. अधिनियम भी लागू

होगा। इस प्रकार,सूची II की प्रविष्टि 32, जैसा कि सार और सार में है, 'बैंकिंग' सूची I की प्रविष्टि 45 का हिस्सा है और वसूली प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है।इस प्रकार, पीठ और पदार्थ के सिद्धांत और किए गए संशोधन द्वारा निगमन पर विचार करते हुए, सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) और 2 (1) (डी) के तहत 'बैंक' और 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा में शामिल किया गया है। [पारस 71,72 और 79] [1139-एफ-एच; 1140-ए-एफ; 1142 डी-ई; 1146-बी-एच; 1147-ए-बी]

ग्रेटर बॉम्बे कॉप। बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड यार्न टेक्स (पी) लिमिटेड और ओआरएस। (2007) 6 एससीसी 236: [2007] 4 एस. सी. आर. 823 संदर्भित है।-

इसकी धारा 5 (बी)। वेजनता से पैसे लेते हैं,माँग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अन्यथा द्वारा निकासी। केवल इस तथ्य से कि धन उधार देना सदस्यों तक सीमित है, उन्हें बैंकिंग के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। वे व्यावसायिक कार्य करते हैं। एक समिति सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से जमा और ऋण प्राप्त करेगी।वे ऋण भी देते हैं और यह उनका प्राथमिक कार्य है। इस प्रकार, वे सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के अंतर्गत आते हैं। [पैरा 84] [1154-सी-डी]

5.1 चूँकि एक सहकारी बैंक की गतिविधि सूची I की संबंधित प्रविष्टि 45 के भीतर अधिनियमित कानून द्वारा विनियमित होती है, इसलिए इस बात का कोई कारण नहीं है कि संसद में इसकी कमी क्यों थी।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम को लागू करने और एक देय राशि की शीघ्र वसूली के लिए प्रक्रिया।

इसमें सहकारी बैंकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सहकारी बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं और सहकारी समितियों को सूची I की प्रविष्टि 43 से बाहर रखने का कोई असर नहीं है।

कुछ समय के लिए बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में 'बैंक' की परिभाषा में सहकारी बैंक शामिल नहीं थे।अभिव्यक्ति 'बैंक' को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, और धारा 2 (1) (सी) (वी) में निहित प्रावधान केंद्र सरकार को 'ऐसे अन्य बैंक' को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

उस अधिनियम के लिए। इस प्रकार, 'सहकारी बैंक' को 'बैंक' के रूप में अधिसूचित करने वाली 28.1.2003 पर जारी अधिसूचना सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर की गई है क्योंकि वे बी. आर. अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम द्वारा विनियमित हैं। सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत 'बैंकिंग' गतिविधि के लिए, संसद एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 में प्रदान किए गए ऐसे बैंक के लिए वसूली प्रक्रिया को अधिकृत करने और निर्धारित करने के लिए 'बैंक'

को परिभाषित करने वाले ऐसे प्रावधान को लागू करने की शक्ति थी; हालाँकि, सहकारी समितियाँ/बैंक बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (1) (सी) में निगमन द्वारा शामिल हैं और अधिसूचना प्रचुर मात्रा में जारी की गई थी। धारा 56 (ए) के आधार पर, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) में परिभाषित सहकारी बैंकों को धारा 5 (1) (सी) में शामिल किया गया है। इसी तरह, बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भी शामिल किया गया। बकाया की वसूली के लिए पहले की प्रक्रिया थी -

न्यायालय/न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना ब्याज। [पारस 85 87] [1154-एफ-एच; 1155-ए-एफ]5.2 ' सहकारी समितियों से संबंधित बैंकिंग को सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में शामिल किया जा सकता है और सहकारी समितियों द्वारा वसूली के प्रावधानों को शामिल करने के लिए इसे अति समावेशन नहीं कहा जा सकता है।

सरफेसी अधिनियम में बैंक। इसे ओवर-इनक्लूजन पांडुरंग गणपति चौगुल v नहीं कहा जा सकता है।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर। विचाराधीन/अधिसूचना में प्रावधान को रंगीन कानून नहीं कहा जा सकता है। सरफेसी अधिनियम विधायी क्षमता की परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है,

साथ ही परिभाषा को रंगीन टुकड़ा या अति-समावेशी या संसद की क्षमता से परे नहीं कहा जा सकता है। [पारस 100,102] [1166-डी-ई; 1168-ई; 1169-डी]

6. परिणामस्वरूप, संदर्भ का उत्तर निम्नानुसार दिया गया है:

(1) (क) राज्य के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक

'बैंकिंग' के संबंध में एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत कानून और बहु-राज्य स्तरीय सहकारी समितियां भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून द्वारा शासित होती हैं।

(ख) राज्य विधान के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंक -

'निगमन, विनियमन और समापन' के पहलू, विशेष रूप से, उन मामलों के संबंध में जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे से बाहर हैं, उक्त विधान द्वारा शासित हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 से संबंधित है।

(2) संबंधित गतिविधियों में शामिल सहकारी बैंक

बैंकिंग को 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ में शामिल किया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ए) के साथ पठित धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित किया गया है, जो सूची I की प्रविष्टि 45 से

संबंधित एक कानून है। यह सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों के 'बैंकिंग' के पहलू को नियंत्रित करता है। सहकारी बैंक निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन के बिना कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' से संबंधित ऐसे बैंकों पर लागू कोई अन्य कानून और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 38 से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम।

(3) (क) राज्य विधान के तहत सहकारी बैंक और बहु-राज्य सहकारी बैंक धारा के तहत 'बैंक' हैं।

2 (1) (ग) वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002। वसूली बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है; जैसे, वसूली प्रक्रिया ने एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13, एक कानून [2020] 5 एस. सी. आर. के तहत निर्धारित किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रविष्टि 45 से संबंधित भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I लागू होती है। (3) (ख) संसद के पास संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत विधायी क्षमता है।

भारत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत वसूली के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं प्रदान करेगा।

सहकारी बैंक। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण की धारा 2 (1) (सी) (आई. वी. ए.) के प्रावधान और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन, जिसमें 'बहु-राज्य सहकारी बैंक' को जोड़ा गया है, अधिकार से बाहर नहीं है और साथ ही इसके संबंध में 28.1.2003 दिनांकित अधिसूचना भी जारी की गई है।

राज्य के कानून के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक। [पैरा 103] [1169-डी-एच; 1170-ए-ई]

एस. एस. धनोआ बनाम नगर निगम, दिल्ली और अन्य। (1981) 3 एससीसी 431: [1981] 3 एससीआर 864; डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश प्रभाकरपाध्ये और ओआरएस। (2010) 4 एससीसी 378: [2010] 4 एससीआर 15

- प्रतिष्ठित।

विरेन्द्र पाल सिंह और अन्य। वी. जिला सहायक

पंजीयक, सहकारी समितियाँ, एटा और अन्र। (1980)

4 एस. सी. सी. 109-लागू नहीं होता है।

हिंदुस्तान लीवर और ए. एन. आर. वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्र। (2004) 9 एससीसी 438: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 685; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (1976) 1 एस. सी. सी. 466: [1976] 1 एससीआर 552; सीता राम शर्मा और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। (1974) 2 एस. सी. सी. 301; यूको बैंक और एन. आर. वी. दीपक देबबर्मा

और ओआरएस। (2017) 2 एससीसी 585: [2016] 11 एस. सी. आर. 723; भारतीय स्टेट बैंक बनाम संतोष गुप्ता और अन्र। (2017) 2 एससीसी

538 [2016] 9 एस. सी. आर. 985; कलकत्ता गैस कंपनी

(स्वामित्व) लिमिटेड बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1044: [1962] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम केरल राज्य और अन्य। (2009) 4 एससीसी 94: [2009] 3 एससीआर 735; राज्य डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। (2004) 10 एससीसी 201: [2004] 1 एससीआर 564; मैरी रॉय, आदि। केरल राज्य और अन्य। (1986) 2 एससीसी 209: [1986] 1 एससीआर 371; यू. पी. अवस इवम विकास दुरंग गणपति चौगुल बनाम।

विश्वसराव पा मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

परिषद वी। जैनुल इस्लाम और अन्र। एयर 1998 एससी 1028: [1998] 1 एससीआर 254; सुराना स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. डी. आयकर आयुक्त और अन्य। (1999) 4 एससीसी

306 [1999] 2 एस. सी. आर. 589; राम सरूप और अन्य। वी. मुंशी और ओआरएस। ए. आई. आर 1963 एस. सी 553: [1963] 3 एससीआर 858; सोमा सुरेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य। (2013) 10 एससीसी 677 [2013] 10 एससीआर 328; के. के. भास्करन बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व इसके सचिव, तमिलनाडु और अन्य द्वारा किया जाता है। (2011) 3 एससीसी 793: [2011] 3 एससीआर 527; एम/एस। उजागर प्रिंट्स और ओआरएस। (II) v. भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एससीसी 488: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 770; केशवलाल खेमचंद एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। (2015) 4 एससीसी 770: [2015] 2 एससीआर 51; जयंत वर्मा और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2018) 4 एससीसी 743: [2018] 2 एससीआर 679; फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया,

आदि वी। भारत संघ और अन्य। (1989) 3 एससीसी 634: [1989] 2 एससीआर 918; भारत कॉप। बैंक (मुंबई) लिमिटेड बनाम कॉप। बैंक कर्मचारी संघ (2007) 4 एस. सी. सी. 685: [2007] 4 एस. सी. आर. 347; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। एम.

हनुमैया और ओआरएस। (2008) 1 एससीसी 770: [2008] 1 एस. सी. आर. 16; गुजरात राज्य और अन्र। वी. श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्र। (1974) 4 एससीसी 656: [1974] 3 एस. सी. आर. 760; गिरनार ट्रेडर्स (3) v. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2011) 3 एससीसी 1: [2011] 3 एस. सी. आर. 1; तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. के. श्याम सुंदर और अन्य। (2011) 8 एससीसी 737: [2011] 11 एससीआर 1094-पर निर्भर।

और ओआरएस। (1983) 4 एससीसी 166: [1983] 3 एस. सी. आर. 438; टी. वेलायुधन आचारी आ अन्र। वी. भारत संघ और अन्य। (1993) 2 एससीसी 582: [1993] 1 एससीआर 832; भारत संघ और एएनआर। वी. दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य। (2002) 4 एससीसी 275: [2002] 2 एस. सी. आर. 450; नरेंद्र कांतिलाल शाह बनाम। संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ ए. आई. आर. 2004 बम 166; रामा स्टील बनाम। भारत संघ (2007) 6 माहा। एल. जे. 387; नील ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम। भारत संघ ए. आई. आर. 2015 गुजरात 171; महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड बनाम। कंपनी पंजीयक, पश्चिम बंगाल ए. आई. आर. 1961 कलकत्ता 666; आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम। आधिकारिक परिसमापक [2020] 5 एस।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य। (2010) 10 एससीसी 1: [2010] 12 एससीआर 644; डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 652 [1961] 3 एस. सी. आर. 242; आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति और अन्य। (2002) 9 एससीसी 232: [2002] 1 एस. सी. आर. 441; हिंसा विरोधी संघ बनाम। मिर्जापुर मोती सुरेश जमात और अन्य। (2008) 5 एससीसी 33: [2008] 4 एस. सी. आर. 1020; के. सी. गजपति नारायण देव और अन्य। वी. उड़ीसा राज्य ए. आई. आर 1953 एस. सी. 375: [1954] एस. सी. आर. 1; एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र और गोवा लिमिटेड बनाम. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य। (2003) 11 एस. सी. सी. 66 [2003] 4 पूरक। एससीआर 1071; दमन सिंह और अन्य। वी. पंजाब राज्य और अन्य। (1985) 2 एससीसी 670 [1985] 3 एससीआर 580; इकबाल नसीर उस्मानी बनाम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। (2006) 2 एस. सी. सी. 241; मजूर सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम। एन.

विठ्ठल सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई और ए. एन. आर. वी. एम/एस। स्टार ग्लास वर्क्स, मुंबई और अन्य। एयर 2003 बम 205; ए. पी. और अन्य का राज्य। वी. मैकडोवेल एंड कंपनी और ओआरएस। (1996) 3 एससीसी 709: [1996] 3 एस. सी. आर. 721; दीवान बहादुर सेठ गोपाल दास

मोहता बनाम। भारत संघ औरओआरएस। [1955] 1 एस. सी. आर. 773; खैरबारी टी कंपनी लिमिटेड और अन्य। वी. असम राज्य [1964] 5 एससीआर 975; बेलसुंड शुगर कं. Ltd.v। बिहार राज्य (1999) 9 एससीसी 620: [1999] 1 पूरक। एस. सी. आर. 146; संत साधु सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1970 पी एंड एच 528; नागपुर जिला मध्य

सहकारी बैंक लिमिटेड v. संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ ए. आई. आर. 1971 बम 365

संदर्भित किया गया।

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह-'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' 12वां संस्करण 2010 पृष्ठ 318-320--संदर्भित।

पोर्ट्समाउथ निगम बनाम। स्मिथ (1885) 10 एसी 364; राज्य सचिव बनाम। हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 149-संदर्भित।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश; ब्लैक का कानून शब्दकोश, नौवां संस्करण-संदर्भित।

पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पति मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

मामला कानून संदर्भ

[2007] 4 एससीआर 823

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1983] 3 एससीआर 438

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1993] 1 एससीआर 832

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[2002] 2 एससीआर 450

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1970] 3 एससीआर 530

पीछा किया।

पैरा 9 (ए)

[2010] 12 एससीआर 644

पैरा 9 (बी)

संदर्भित किया गया है

[1959] एससीआर 379

पैरा 9 (बी)

संदर्भित किया गया है

[1961] 3 एससीआर 242

पैरा 9 (बी)

संदर्भित किया गया है

[2002] 1 एससीआर 441

पैरा 9 (एच)

संदर्भित किया गया है

[2008] 4 एससीआर 1020

पैरा 9 (i)

संदर्भित किया गया है

[1954] एससीआर 1

पैरा 9 (जे)

संदर्भित किया गया है

[2003] 4 पूरक। एससीआर 1071

पैरा 9 (के)

संदर्भित किया गया हैअप्रयोज्य रखा गया

(1980) 4 एस. सी. सी 109

पैरा 9 (के)

[1981] 3 एससीआर 864

पैरा 9 (के)

प्रतिष्ठित

[1985] 3 एससीआर 580

पैरा 9 (के)

संदर्भित किया गया है

[2010] 4 एससीआर 15

प्रतिष्ठित

पैरा 9 (के)

(2006) 2 एस. सी. सी. 241

पैरा 10

संदर्भित किया गया है

[2003] 5 पूरक। एससीआर 685

उस पर भरोसा करें

पैरा 17 (ए)

[1976] 1 एससीआर 552

उस पर भरोसा करें

पैरा 17 (ए)

[1974] 2 एस. सी. सी. 301

उस पर भरोसा करें

पैरा 17 (ए)

[1996] 3 एससीआर 721

पैरा 17 (डी)

संदर्भित किया गया है

[1955] 1 एससीआर 773

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1964] 5 एससीआर 975

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

उस पर भरोसा करें

[2016] 11 एससीआर 723

पैरा 49

[2016] 9 एससीआर 985

उस पर भरोसा करें

पैरा 50

[1999] 1 पूरक। एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पैरा 52

उस पर भरोसा करें

[1962] 3 पूरक। एससीआर 1

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एससीआर 735

उस पर भरोसा करें

[2009]

पैरा 54

[2004] 1 एससीआर 564

उस पर भरोसा करें

पैरा 60

[1986] 1 एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पैरा 73

[1998] 1 एससीआर 254

उस पर भरोसा करें

पैरा 74

[1999] 2 एससीआर 589

उस पर भरोसा करें

पैरा 76

[1963] 3 एससीआर 858

उस पर भरोसा करें

पैरा 78

[2013] 10 एससीआर 328

उस पर भरोसा करें

पैरा 88

[2011] 3 एससीआर 527

उस पर भरोसा करें

पैरा 89

[1988] 3 पूरक। एससीआर 770

उस पर भरोसा करें

पैरा 90

[2015] 2 एससीआर 51

उस पर भरोसा करें

पैरा 91

[2018] 2 एससीआर 679

उस पर भरोसा करें

पैरा 93

[1989] 2 एससीआर 918

उस पर भरोसा करें

पैरा 94

[2007] 4 एससीआर 347

उस पर भरोसा करें

पैरा 96

[2008] 1 एससीआर 16

उस पर भरोसा करें

पैरा 97

उस पर भरोसा करें

[1974] 3 एससीआर 760

पैरा 98

[2011] 3 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 99

[2011] 11 एससीआर 1094

उस पर भरोसा करें

पैरा 102

नागरिक मूल/अपील

न्यायनिर्णय: सिविल एपिया

2009 का सं. 5674।

उच्च न्यायालय के 13.08.2008 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2008 की प्रथम अपील सं. 1481 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 5684 , 5682 , 5681 , 5675 2009 का 10871,4391

7410 2020 का 2010,2384,2385,2386,2387-2390,2391-92,2393-2394,2395 2396-2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406 सी. सी. 2014 का सं. 7586, डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 318 2010 की 41,220,293,306,338,2011 की 375,2012,199,250,291,386,487,537,2012 की 554,36,146,138,199,191,112,111,151,175,181,201,233,236,238,271,265,270 ,279,226,280,284,353,469,452,588,758,752,761,800,753,819,922,1007,1037 ,1044,1043,1045 2013 की 5,10,40,142

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

2014 का 26,86,2015 का, 2019 का 1035,1232,1355,1331,1339,1353,2020 का 31,62,72,134,207,271,289,292,373।

तुषार मेहता, एस. जी., जयंत मुथराज, जयदीप गुप्ता, शेखर नाफडे, विजय हंसारिया, विनय नवारे, रितिन राय, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, विक्रांत पचनंदा, उत्कर्ष प्रताप, ई. सी.

अग्रवाल, देवांश ए. मोहता, शिशिर देशपांडे, अमित यादव, नीलकांत नायक, सुश्री सुजाता कुर्दुकर, मृगांक प्रभाकर, सुश्री साक्षी बंगा, गौतम प्रभाकर, गौरव नायर, सुश्री सानिका मेहरा, सुश्री प्रणति

बाबासाहेब दख, श्रीमती प्रज्ञा बघेल, अजय मजीठिया, सत्यजीत ए. देसाई, सुश्री अनघा एस. देसाई, बांके बिहारी शर्मा, रबीन मजूमदार, अभिषेक अग्रवाल, ए. वेनायगम बालन, गौरव अग्रवाल, भारत एल. गांधी,श्रीमती वितिका गर्ग, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री करिश्मा सिंघल, सुश्री गरिमा प्रसाद, सुरेश चंद्र त्रिपाठी, अनिरुद्ध संगनेरिया, करुणाकर महालिक, बी. विश्वनाथ भंडारकर, सर्वेंद्र कुमार, उपेंद्र नारायण मिश्रा, दुर्गा दत्त, प्रकाश शर्मा, दिलीप अन्नासाहब तौर, राजुल श्रीवास्तव, मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा हांडा, सचिन कौशल, भागीरथ एन. पटेल, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, अक्षय अमृतांशु [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. के. शर्मा, शुभम सौरव, सुश्री वंशजा शुक्ला, कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, सुश्री इक्षिता परिहार, शिवाजी एम. जाधव, निकोलस चौधरी, आदित्य पी. खन्ना, आदित्य एस. जाधव, शिव राम पांडे, एस. लक्ष्मी अय्यर, सुश्री ऐश्वर्या दास, चिनमॉय खलडकर (मेसर्स के लिए)। एस. एम. जाधव एंड कंपनी), ऋत्विक पांडा, सुश्री निखार बेरी, सुश्री अंशु मलिक, एम. वाई. देशमुख, सुश्री मंजीत कृपाल, अवनीश पांडे, सुश्री स्नेहा कालिता, ग्वेन कार्तिका, सुश्री आभा आर. शर्मा, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, श्रीमती मयूरी नय्यर चावला, सुश्री ऐनी मैथ्यू, भारत सूद, सुश्री श्रुति जोस, अमर दवे, विश्वास के. शाह, मासोम के. शाह, अनूप जैन, उदित गुप्ता, पुलकित तारे, अशोक पाणिगढी, अपूर्व कुरुप, सुश्री उपमा भट्टाचार्जी, सुश्री निधि मित्तल, श्रीमती अनिल कटियार। के. जे., जॉन एंड कंपनी), ए. एन. अरोड़ा, पीयूष शर्मा, एम. टी. जॉर्ज, श्रीमती सूसी अब्राहम, जॉन्स जॉर्ज, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. राजाराजन, सुश्री एन. अन्नपूरानी, डी. भरत कुमार, प्रसन्ना कुमार पारही, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, डी. वी. रघु

सुश्री हेमंतिका वाही, चिनमॉय खलडकर, सुश्री नेहा शर्मा, दीप्ति वर्मा, राजीव शंकर द्विवेदी, सुश्री अनुराधा मुतातकर, सुश्री उषा सिंह, सुश्री निधि सैनी, सिद्धार्थ मित्तल, अरुण अग्रवाल, अंकुर प्रकाश, प्रवीण चतुर्वेदी, डॉ. ललित भसीन, सुश्री नीना गुप्ता,सुश्री पलक चड्ढा, सुश्री रुचिका जोशी, पी. वी. योगेश्वरन, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुधांशु एस. चौधरी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, देबमाल्या बनर्जी, कार्तिक भटनागर, रोहन शर्मा, ए. एस. अमन,

उज्जवल सिंह, वंडान वांचू (मेसर्स के लिए। करंजावाला एंड कंपनी), सौम्यजीत पानी, चित्तरंजन सिंह (विनोद कन्ना बी. के लिए), ए. वेनायगम बालन, पी. आई. जोस, प्रशांत के. शर्मा, जेनिस फ्रांसिस, रवि सागर, अनुपम मिश्रा, हरि कुमार वी., सिद्धेश कोतवाल, सुश्री बांसुरी स्वराज, निर्निमेश दुबे, सुश्री आस्था शर्मा, सुश्री अर्शिया घोष, दिव्यांश तिवारी,

सुश्री एना उपाध्याय, राजेश महाले, अर्जुन कृष्णन, अंकुर सिंह, शौर्य बारी, आदित्य ए. पांडे, चंदर शेखर अशरी,चंद्रशेखर ए. चकलब्बी, अवनीश कुमार, एस. के. पांडे, अंशुल राय (मेसर्स के लिए)। धर्मप्रभास लॉ एसोसिएट्स), बी. के. पाल, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, पी. वी. दिनेश, उदय बी. दुबे, वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री विस्मई राव, संजीव कुमार, पांडुरंग गणपति चौगुले बनाम।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड

अजय अमृतराज, अरविंद के. शर्मा, अनिता शर्मा, राज किशोर चौधरी, रोहित के. सिंह, उदय तिवारी, पी. एन. राजदान, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री अंशरुता माहेश्वरी, सुश्री उषा नंदिनी। वी, बिनेश करात, बीजू पी. रमन, एम. एस. विष्णु शंकर, सुश्री अथिरा जी. नायर, सोनल जैन, कुमार शशांक, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, अविरल कपूर, सुश्री शगुफा सलीम, निवेश कुमार, सुश्री रिया ढींगरा, सत्यवीर यादव, विशाल प्रसाद, अनिल नाग, अर्जुन विनोद बोबडे, सुश्री ऋचा रेलहान, साथक भाटिया,

एस. बुशरा काजिम, रजत जोसेफ, सुरेश दत्त डोभाल, अनिल कुमार संगल, हरीश पांडे, सुश्री प्रतिभा जैन, विजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, शशिभूषण पी. अदगांवकर, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, टी. एल. वी. रामा चारी, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, टी. राममूर्ति, सुश्री सुषमा सूरी, श्रीकांत एन. तेरदल, तनवीर नायर, प्रफुल्ल सिन्हा, मनोज कुमार। मिश्रा, एम/एस। उदित किशन एसोसिएट्स, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में परस्पर विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मामले भेजे गए हैं। बैंक लिमिटेड बनाम यूनाइटेड यार्न टेक्स (पी) लिमिटेड और Ors.[1], दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड v. भारत संघ और Ors.[2], टी. वेलायुधन आचारी और अन्र। वी. भारत संघ और Ors.[3], और भारत संघ और अन्र। वी. दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और अन्य। 4. यह प्रश्न सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर किए गए विधायी क्षेत्र के दायरे से संबंधित है। बैंकिंग 'और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32, परिणामी रूप से

सहकारी बैंकों को प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'सरफेसी अधिनियम')। 2. '(आई. वी. ए.)-एक बहु-राज्य सहकारी बैंक' उपखंड को जोड़कर सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (सी) में संशोधन करने की संसद की क्षमता पर भी सवाल उठाया गया है। मुद्दा यह है कि क्या परिभाषा

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (संक्षेप में, 'बी. आर. अधिनियम, 1949') की धारा 5 (सी) में निहित 'बैंकिंग कंपनी' में राज्य कानून के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक और बहु-राज्य सहकारी समितियां भी शामिल हैं।

1 1 (2007) 6 एससीसी 236

3 (1993) 2 एस. सी. सी. 582 4 (2002) 4 एससीसी 275 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'एम. एस. सी. एस. अधिनियम') के तहत। नतीजतन, (i) क्या राज्य और बहु-राज्य स्तर पर सहकारी बैंक इसके दायरे में आते हैं -

सरफेसी अधिनियम? और (ii) क्या सरफेसी अधिनियम के प्रावधान एमएससीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं?

3. धारा 56 (सी) (आई) (सी. सी. आई.) बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग V में निहित है और इसे 1.3.1966 पर लागू किया गया था। यह 'सहकारी' को परिभाषित करता है।

'बैंक' का अर्थ है 'राज्य सहकारी बैंक', 'केंद्रीय सहकारी बैंक' और 'प्राथमिक सहकारी बैंक'। 2003 में जारी अधिसूचना द्वारा, सहकारी बैंक को उन बैंकों के वर्ग में लाया गया था जो सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने के हकदार थे। अनुभाग

2 (1) (ग) (आई. वी. ए.) को सरफेसी अधिनियम, डब्ल्यू. ई. एफ. 15.1.2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले, सहकारी बैंक और बहु-राज्य सहकारी बैंक ने में जारी अधिसूचना के तहत सरफेसी अधिनियम का सहारा लिया।2003 .

4. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (वी) के तहत जारी अधिसूचना के अधिकार और 2013 में एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में धारा 2 (1) (सी) (आई. वी. ए.) को शामिल करने पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि का इतिहास इंगित करता है कि नरेंद्र कांतिलाल में शाह बनाम। बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ, संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियों ने राय दी कि आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 (डी) के अर्थ में 'बैंकिंग कंपनी' शब्द का अर्थ सहकारी बैंक भी है। इसलिए, आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण के गठन की तारीख से, महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के तहत अदालतों और प्राधिकरणों के साथ-साथ एम. एस. सी. एस. अधिनियम के पास सहकारी बैंकों द्वारा अपने बकाया की वसूली के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र कांतिलाल शाह (ऊपर) के फैसले को इस अदालत ने ग्रेटर बॉम्बे कॉप में दरकिनार कर दिया था। बैंक लिमिटेड (ऊपर)। इस न्यायालय ने राय दी कि

महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 और आंध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित सहकारी बैंक, जो बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करते हैं, बी. आर. अधिनियम, 1949 की

धारा 5 (सी) में परिभाषित 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ में नहीं आते हैं।इसलिए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों का अब नाम बदलकर ऋणों की वसूली कर दिया गया है

और दिवालियापन अधिनियम, 1993 (संक्षेप में, 'आर. डी. बी. अधिनियम, 1993'), निगमन के सिद्धांत को लागू करके देय राशि की वसूली पर लागू नहीं होता है।

5 एयर 2004 बम 166 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 का संदर्भ। संबंधित राज्यों द्वारा अधिनियमित सहकारी समितियों के अधिनियमों के तहत गठित सहकारी बैंकों को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा 'सहकारी समितियों' द्वारा कवर किया जाएगा। वर्ष 2004 में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) और विविध प्रावधान अधिनियम, 2004, भारत संघ द्वारा बी. आर. अधिनियम, 1949 में निहित विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करते हुए पारित किया गया था। पूर्वव्यापी रूप से, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.3.1966। उसी संदर्भ में, यह सवाल उठाया गया है कि क्या प्रावधानों को सरफेसी अधिनियम में बनाए गए वसूली प्रावधानों पर लागू किया जा सकता है।

5. जलगाँव के लोगों द्वारा सरफेसी अधिनियम के आह्वान को चुनौती देते हुए, 2007 की रिट याचिका (आईडी1) खाजा इंडस्ट्रीज द्वारा दायर की गई थी।

सहकारी बैंक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही का सहारा लिया गया। रामा स्टील बनाम। भारतीय संघ, खाजा इंडस्ट्रीज में निर्णय का पालन किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है।

2012 (2013 का अधिनियम 1), सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) की परिभाषा में संशोधन; संशोधन पर भी रिट में सवाल उठाया गया है।इस अदालत में याचिका दायर की गई।

7. प्रशासक के रूप में श्री धाकरी समूह का सहकारी कपास

सील & ओआरएस। वी. भारत संघ, (विशेष सिविल आवेदन संख्या 930)2001) , गुजरात उच्च न्यायालय ने ग्रेटर बॉम्बे कॉप पर भरोसा करते हुए दिनांकित 28.1.2003 अधिसूचना को रद्द कर दिया। बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) ने भी ऐसा ही किया है।

6 (2007) 6 माहा।

अपील में पूछताछ की गई। बाद में, गुजरात उच्च न्यायालय ने नील ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम. भारत संघ ने संशोधन अधिनियम, 2013 के माध्यम से जोड़े गए खंड (आई. वी. ए.) 'बहु-राज्य सहकारी बैंक' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने को खारिज कर दिया।

8. 30.7.2015 पर, मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। उसके बाद, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के पहले उल्लिखित परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण, एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया।

तर्क:

(क) सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत बैंकिंग के दायरे की व्याख्या बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के संदर्भ में 'बैंकिंग' अभिव्यक्ति की परिभाषा के आलोक में की जानी है। उन्होंने रुस्तम कावासजी कूपर बनाम का उल्लेख किया है। भारत संघ जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रविष्टि 45 के तहत 'बैंकिंग' में 'बैंकर' या 'बैंक' शामिल नहीं है। बैंकिंग एक गतिविधि है। प्रविष्टि केवल बैंकिंग की गतिविधि से संबंधित है। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) के साथ पठित धारा 5 (बी) दो प्रकार की गतिविधियों को मान्यता देती है जो एक बैंक कर सकता है: (1) बैंकिंग व्यवसाय, अर्थात 'कोर बैंकिंग व्यवसाय'; और (2) धारा 6 (1) में उपबंधित कोई अन्य व्यवसाय। उन्होंने महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड बनाम में निर्णय का भी उल्लेख किया है। के पंजीयककंपनी, पश्चिम बंगाल 'जिसमें अदालत ने' बैंकिंग 'के अर्थ पर विचार किया और कहा कि बैंकिंग का सार अस्तित्व में लाया गया संबंध है, यानी बैंकिंग का मूल।

(ख) प्रविष्टि 45 सूची I के दायरे के बारे में उन्होंने आगे उल्लेख किया है -

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम में निर्णय। एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड और Ors.10 के आधिकारिक परिसमापक, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि भले ही कोई कंपनी धारा 6 (1) के खंड (ए) से (ओ) के अलावा अलग-अलग व्यवसाय कर रही हो, वह तब तक एक बैंकिंग कंपनी बनी रहेगी जब तक वह

धारा 5 (बी) के तहत मुख्य बैंकिंग कार्यों को पूरा करना। बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा विनियमित होने के लिए मुख्य बैंकिंग कार्य अनिवार्य है। इसलिए, सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' अनिवार्य रूप से 'मुख्य बैंकिंग व्यवसाय' तक ही सीमित है। उस समय जब संविधान

7 आकाशवाणी 2015 गुजरात 171

8 (1970) 1 एस. सी. सी. 248

9 ए. आई. आर. 1961 कलकत्ता 666

10 (2010) 10 एस. सी. सी. 1 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

भारत की घोषणा की गई थी, 'बैंकिंग' अभिव्यक्ति का एक अच्छी तरह से परिभाषित और अच्छी तरह से स्थापित अर्थ की परिभाषा के रूप में प्रचलित था

' बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग। यही अभिव्यक्ति भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा उधार ली गई थी, और वही

बी. आर. अधिनियम, 1949 में परिभाषित प्रविष्टि में 'बैंकिंग' अभिव्यक्ति का अर्थ दिया जाना था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मद्रास राज्य बनाम. गैनन डंकरली एंड कंपनी, (मद्रास) लिमिटेड "और डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और Anr.[1]2।

(ग) 'इकाई' और 'गतिविधि' के बीच अंतर है। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) और 6 (2) केवल एक बैंकिंग इकाई को कुछ अतिरिक्त व्यवसाय/कार्य करने में सक्षम बनाती है। अतिरिक्त प्रदर्शन

ऐसी इकाई पर। उन्होंने राज्य की धारा 32 और 33 का भी उल्लेख किया।भारतीय बैंक अधिनियम, 1955 (संक्षेप में, 'एस. बी. आई. अधिनियम')। धारा 32 इस बात को मान्यता देती है कि भारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 'एजेंसी व्यवसाय' कर सकता है, जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किया जाने वाला बैंकिंग व्यवसाय नहीं है, जैसा कि धारा 33 के अवलोकन से स्पष्ट है, जो स्पष्ट रूप से भारतीय स्टेट बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने में सक्षम बनाता है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) के तहत धारा 5 (बी) और व्यवसाय के अन्य रूपों के तहत। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया था कि बैंक द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि बैंकिंग गतिविधि नहीं है। (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 43 संसद को निम्नलिखित क्षमता प्रदान करती है -

एक व्यापारिक निगम, विशेष रूप से एक बैंकिंग निगम के 'निगमन, विनियमन और समापन' से संबंधित कानून पारित करना। हालांकि, 'सहकारी समितियों' को सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य का विषय होने के नाते संसद की क्षमता के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उन्होंने तर्क दिया कि बी. आर. अधिनियम, 1949 के विधायी इतिहास ने 'इकाई' और 'गतिविधि' के बीच अंतर पैदा किया है। अभिव्यक्ति 'बैंकिंग' थीकंपनी अधिनियम (1913 का VII) के अध्याय X-A में परिभाषित किया गया है। धारा 277 एफ से 277 एन को 1936 के संशोधन अधिनियम संख्या 22 के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद, बी. आर. अधिनियम, 1949 को लागू किया गया, जिसमें एक व्यापक प्रावधान प्रदान किया गया।

'बैंकिंग' की परिभाषा उन सभी संस्थानों को इसके दायरे में लाने के लिए है जो मांग पर या अन्यथा ऋण या निवेश के लिए पुनर्भुगतान योग्य जमा प्राप्त करते हैं।

उस समय, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की प्रासंगिक प्रविष्टियाँ, जो बैंकिंग के साथ-साथ व्यापार निगम के विषय से संबंधित थीं,

11 आकाशवाणी 1958 एससी 56012 आकाशवाणी 1961 एससी 652 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूची I (संघीय विधायी सूची) में थे। प्रविष्टि 38 और प्रविष्टि 33 क्रमशः 'बैंकिंग' और 'निगम' के संबंध में थीं। भारत के संविधान में प्रविष्टि 38 और प्रविष्टि 33 को प्रतिस्थापित किया गया है। प्रविष्टि 38 को सूची I की प्रविष्टि 45 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और प्रविष्टि 33 को सूची I की प्रविष्टि 43 और 44 में विभाजित किया गया है। 1965 तक बी. आर. अधिनियम, 1949 में संशोधन किए जाने से पहले, यह 'बैंकिंग कंपनियों' से संबंधित था। 'कंपनियाँ' शब्द को वर्ष 1965 में हटा दिया गया था। राज्य का कार्य बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 जैसे एक अलग क़ानून द्वारा शासित किया गया था। वर्ष 1965 में, केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून [सहकारी समितियों का अनुप्रयोग अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम No.23)] पारित किया। उन्होंने उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि बी. आर. अधिनियम, 1949 केवल प्रविष्टि 45 से संबंधित बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए था न कि विनियमित करने के लिए।

संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय को एक सहकारी अदालत में भेजा जाना आवश्यक है।(च) इसी तरह, एम. एस. सी. एस. अधिनियम की धारा 3 (च) 'सहकारी बैंक' को एक बहु-राज्य सहकारी समाज के रूप में परिभाषित करती है, जो

बैंकिंग व्यवसाय। एम. एस. सी. एस. अधिनियम की धारा 84 (2) के तहत विवाद उठाया जा सकता है। संसद की शक्ति बी. आर. अधिनियम, 1949 (सूची I की प्रविष्टि 45 के लिए संदर्भित एक कानून) और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (सूची I की प्रविष्टि 38 के लिए संदर्भित एक कानून) के विशिष्ट प्रावधानों तक सीमित है। संसद में किसी अन्य को विनियमित करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है।

सहकारी समितियों के व्यवसाय, कार्य या पहलू। यह केवल उक्त अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार कर सकता था। संसद इन सहकारी समितियों को विनियमित नहीं कर सकती है जैसे कि बैंकिंग कार्य करने वाली कंपनी या बैंकिंग निगम।

(छ) सर्फेसी अधिनियम का उद्देश्य प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति के प्रवर्तन को विनियमित करना है।

रुचियाँ। प्रतिभूतिकरण का व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय नहीं है। सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (1) के तहत, एक 'वित्तीय संपत्ति' का अर्थ है ऋण या प्राप्य और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोई भी वित्तीय संपत्ति शामिल है। धारा 2 (1) (एच. ए.) 'ऋण' को आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (जी.) में परिभाषित किए गए अर्थ के समान परिभाषित करती है। सदस्यों को वित्तीय सहायता व्यवसाय का एक अन्य रूप है जो बैंकिंग व्यवसाय नहीं है। इसलिए, पांडुरंग गणपति चौगुल v को विनियमित करने का प्रयास।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सहकारी बैंक की परिसंपत्तियों को सरफेसी अधिनियम के दायरे में लाना विस्तार के मूल इरादे के विपरीत है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान और यह उन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के बराबर होगा जो क्षमता के दायरे से बाहर हैं।

संसद से।

(ज) संसद में विनियमन के लिए विधायी क्षमता का अभाव है।

एक सहकारी समिति की गैर-बैंकिंग गतिविधि से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियाँ क्योंकि उन्हें सूची I की प्रविष्टि 43 के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। विनियमन प्रविष्टि 43 की परवाह किए बिना केवल प्रविष्टि 45 की व्याख्या पर आधारित नहीं हो सकता है। विधायी कार्रवाई संघीय योजना में निहित सीमा के साथ असंगत होगीसंघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। यह सहकारी समिति के विनियमन के बराबर होगा कि कौन सी विषय वस्तु सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आती है और उन्हें बैंकिंग निगम या बैंकिंग कंपनी का दर्जा भी प्रदान करती है। यह सूची 2 की प्रविष्टि 32 के तहत आने वाली इकाई को संसद के नियंत्रण के अधीन कर देगा, जो न केवल पाठ के विपरीत होगा, बल्कि आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम में दिए गए संवैधानिक इरादे के भी विपरीत होगा। कृषि उपज बाजार

समिति और Ors.13 (i) अधिसूचना No.105 (E) दिनांक 28.1.2003 अधिकार से बाहर है क्योंकि संसद ने केवल दो वर्गों की संस्थाओं, यानी बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग निगम को अपने दायरे में शामिल किया है। धारा 2 (1) (सी) (वी) के तहत 'बैंक' की परिभाषा का अर्थ है 'ऐसा अन्य बैंक जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लिए निर्दिष्ट कर सकती है।' केंद्र की शक्ति

केवल निगम और सहकारी समितियाँ/बैंक नहीं। सहकारी बैंक न तो एक बैंकिंग कंपनी है और न ही एक बैंकिंग निगम है; इस प्रकार, यह सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (वी) के दायरे से बाहर आता है। यह अधिसूचना अधिकार से परे है और न केवल मूल क़ानून बल्कि भारत के संविधान का भी उल्लंघन करती है। इस उद्देश्य के लिए, विद्वान वकील ने हिंसा विरोधी संघ बनाम पर भरोसा किया। मिर्जापुर मोती सुरेश जमात और Ors.[1]4। देय ऋणों की वसूली बैंक, यानी इकाई के लिए आवश्यक है न कि बैंकिंग

व्यवसाय, यानी गतिविधि के लिए। ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। बैंक लिमिटेड (ऊपर), सहकारी बैंक के बैंकिंग व्यवसाय पर आधारित तर्क जिसे प्रविष्टि 45 द्वारा कवर किया जाना था, को खारिज कर दिया गया था। इसलिए,

13 (2002) 9 एससीसी 23214 (2008) 5 एससीसी 33 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

देय राशि की वसूली को सूची की प्रविष्टि 45 के दायरे से बाहर माना गया था

I. बैंकों को विनियमित करने की मांग करने वाला केंद्रीय कानून केवल इसके दायरे में ला सकता है। प्रविष्टि 43, अर्थात बैंकिंग निगम और बैंकिंग कंपनियों में आने वाली इसके दायरे में आने वाली संस्थाएं। अतः संसद कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं है।

सूची-2 की प्रविष्टि 32 की विषय वस्तु से संबंधित। (जे) शामिल किया गया संशोधन एक रंगीन अभ्यास है। निर्णयों को देखते हुए दिनांकित 28.1.2003 अधिसूचना अधिकार से बाहर है।

के. सी. गजपति नारायण देव और अन्य। वी. उड़ीसा राज्य 1 5 और तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. के. श्याम सुंदर और अन्य 1 6। एक बार इकाइयाँप्रविष्टि 43 द्वारा बाहर रखे जाने पर, भारत संघ इसे अप्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकता है। बहु-राज्य सहकारी बैंक एक प्राथमिक बैंक है।

सहकारी बैंक जो बदले में एक सहकारी समाज है। एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड बनाम

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य "। , यह देखा गया कि सहकारी समितियाँ राज्य सूची के दायरे में आती हैं। (के) एम. एस. सी. एस. अधिनियम प्रविष्टि 44 से संबंधित है। इस न्यायालय को उक्त अधिनियम की वैधता पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। इसका स्रोत

ऐसे बैंकों को विनियमित करने के लिए विधायी प्राधिकरण प्रविष्टि 43 होगा। 1965 के अधिनियम No.23 का उद्देश्य कुछ लोगों के बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करना था।सहकारी समितियाँ। वे सहकारी समितियाँ बनना बंद नहीं करती हैं जैसा कि विरेंद्र पाल सिंह और अन्य ने किया है। वी. जिला सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, एटा, और Anr.[1]8। एस. एस. धनोआ बनाम में दर्ज प्रविष्टियों 43,44 और 32 में अंतर है। नगर निगम,

दिल्ली और ओआरएस "। , दमन सिंह और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य और Ors.20, और डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड v. सतीश प्रभाकर पाध्ये और Ors.2[1]। ग्रेटर बॉम्बे कॉप में निर्णय। बैंक लिमिटेड (ऊपर) ने कानून को सही ढंग से निर्धारित किया।

(1) सूची I और सूची II में प्रविष्टियों का सामंजस्यपूर्ण निर्माण होना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित खतरे के किसी भी तर्क का आई. टी. सी. लिमिटेड (उपरोक्त) में आयोजित संवैधानिक प्रविष्टि के निर्माण के प्रश्न के लिए कोई परिणाम या प्रासंगिकता नहीं होगी।

15 आकाशवाणी 1953 एस. सी. 375

18 (1980) 4 एस. सी. सी 109 19 (1981) 3 एस. सी. सी. 431

20 (1985) 2 एस. सी. सी. 670

21 (2010) 4 एस. सी. सी. 378 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री विजय कुमार ने कहा कि संसद सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित कानून बनाने में सक्षम नहीं है। एक सहकारी समाज के लिए बैंकिंग व्यवसाय केवल एक आनुषंगिक/सहायक व्यवसाय है। ए. को.

व्यवसाय करने वाला सक्रिय समाज एक सहकारी समाज बना हुआ है और यह सूची II की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आता है। उन्होंने इकबाल नसीर उस्मानी बनाम पर भरोसा रखा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और Ors.22। राज्य सहकारी समिति अधिनियम और एम. एस. सी. एस. अधिनियम के तहत पूर्ण तंत्र प्रदान किया गया है; इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में संशोधन और अधिसूचना को निरस्त किया जाना चाहिए।

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री विश्वास शाह ने तर्क दिया है कि 1965 के कानून पर सवाल उठाना आवश्यक नहीं है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 में संशोधन। अधिसूचना की वैधता और सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का स्वयं परीक्षण किया जाना चाहिए। सहकारी बैंक अन्य बैंकों से अलग हैं। संस्थाएं मूल रूप से सहकारी समितियाँ हैं, और यह संयोग से बैंकिंग पर खाई डालती हैं। इस विषय पर प्रमुख कानून प्रविष्टि 32 के तहत राज्य का कानून है। सहकारी बैंक बैंकिंग कंपनियों से इस हद तक अलग हैं कि वे केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देते हैं। बैंकिंग कंपनियाँ/निगम जनता के साथ काम करते हैं। सहकारी बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 में परिभाषित व्यवसाय नहीं करते हैं। पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करना होगा, जिसमें सहकारी समाज लगा हुआ है

बैंकिंग एक सहकारी समिति बनना बंद नहीं करती है। सूची I की प्रविष्टि 45 में, 'बैंकिंग' में सहकारी बैंक शामिल नहीं हैं। उन्होंने गैनन डंकरली एंड कंपनी पर भरोसा किया। (मद्रास) लिमिटेड (ऊपर) और आई. टी. सी. लिमिटेड (ऊपर)।

12. विद्वान वकील श्री सतपाल सिंह ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि 'बहु-राज्य सहकारी बैंक' की परिभाषा को शामिल करके किया गया संशोधन एक रंगीन कानून है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। द.

सहकारी अधिनियम व्यापक हैं। 'बैंक' अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाया नहीं जा सकता था।13. इसके विपरीत, कॉसमॉस बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री शेखर नाफडे ने निम्नलिखित तर्क दिए:

(क) सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (ग) बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ग) में परिभाषित 'बैंक' को 'बैंकिंग कंपनी' के रूप में परिभाषित करती है। इस प्रकार,

बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में निहित 'बैंक' की परिभाषा को सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (डी) में शामिल किया गया है।22 (2006) 2 एस. सी. सी. 241 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21.6.2002 पर अस्तित्व में; इसलिए, अनुभाग की जांच करना आवश्यक है5 (ग) बी. आर. अधिनियम, 1949, जैसा कि यह 21.6.2002 पर था। यह निगमन, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.3.1966 के माध्यम से कवर किया गया है। धारा 56 (ए) 1.3.1966 के बाद से क़ानून का हिस्सा बन गई, जो एक 'बैंकिंग कंपनी' या 'कंपनी' का संदर्भ है।

इसका अर्थ सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में किया जाएगा। धारा 56 (ए) बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) का हिस्सा बन जाती है और बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में शामिल है। अत: बैंकिंग कंपनी के संदर्भ को सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(ख) धारा 56 (क) बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (ग) का हिस्सा बन जाती है। यद्यपि धारा 56 (क) एक अलग स्थान पर स्थित है, पर इसका प्रभाव

धारा 5 (सी) के परिणामस्वरूप राज्य स्तर के साथ-साथ बहु-राज्य स्तर पर एक सहकारी बैंक एक बैंकिंग कंपनी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए, सर्फेसी अधिनियम अपने दायरे में सहकारी बैंकों को शामिल करता है और

बहु-राज्य सहकारी बैंक।

(ऊपर), इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ए (1) (3) के तहत आने वाली अभिव्यक्ति 'निगम' को एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए और इसके दायरे में एक पंजीकृत शब्द होना चाहिए।सहकारी समाज।

(घ) उन्होंने द मजूर सहकारी बैंक लिमिटेड पर भरोसा किया। एन.

मजमुदार और Anr.23 जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति एक कंपनी है। ऊपर उल्लिखित प्रश्न तब उठा जब बॉम्बे सरकार ने एक

(ङ) अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों के संबंध में संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करता है। अनुच्छेद 246 (1) के तहत, संसद को खंड (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद सूची I में सूचीबद्ध 97 मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार, राज्य विधानमंडल के पास 66 मामलों के संबंध में कानून बनाने की विधायी शक्तियां हैं।

23 एयर 1957 बम 36 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सूची II में। सूची-2 में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की राज्य विधानमंडल की अनन्य शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 246 (1) के अधीन रहते हुए, अर्थात, सूची I में प्रगणित मामलों से संबंधित विधान बनाने की संसद की अनन्य शक्ति। इसके परिणामस्वरूप, यदि सूची I में प्रविष्टि और सूची II में प्रविष्टि में कोई टकराव है, जो सुलह करने में सक्षम नहीं है, तो सूची I में प्रणीत मामलों से संबंधित विधान बनाने की संसद की शक्ति को राज्य विधानमंडल की शक्ति के स्थान पर लेना होगा। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास सूची III में गिने गए 47 मामलों के लिए कानून बनाने की समवर्ती शक्ति है।

(च) विरेन्द्र पाल सिंह (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है, जिसमें न्यायालय ने संबंधित राज्य विधानमंडल की शक्तियों की जांच की है -

कर्मचारियों की सेवा शर्तें। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य विधानमंडल बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। यह न्यायालय सहकारी समितियों के बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि समाज के गैर-बैंकिंग मामलों को विनियमित करना और समाज के बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करना दो अलग-अलग चीजें हैं। सूची II की प्रविष्टि 32 सहकारी समिति के गैर-बैंकिंग मामलों के विनियमन से संबंधित है, दूसरी ओर, सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित है

बैंकिंग; इसलिए, बैंकिंग के विनियमन से संबंधित किसी भी कानून का पता सूची I की प्रविष्टि 45 में लगाया जा सकता है और केवल संसद ही कानून बनाने में सक्षम होगी। सरफेसी अधिनियम निगमन से संबंधित नहीं है,

निगम, कंपनी या सहकारी समितियों का विनियमन और समापन। यह किसी निगम, कंपनी या संस्था के कामकाज को विनियमित नहीं करता है। सहकारी समाज। इसमें केवल सहकारी बैंकों सहित बैंकों के बकाया की वसूली, वसूली की प्रक्रिया, ऋण की वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी और विवादों से निपटने के लिए न्यायिक मंच का प्रावधान है।

पुनर्प्राप्ति से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, अधिनियम सूची II की प्रविष्टि 32 को नहीं छूता है। ग्रेटर बॉम्बे कॉप में निर्णय। बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) को पुनर्विचार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके प्रावधानों और विशेष रूप से बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 पर कोई गहन विचार नहीं किया गया है।

(छ) निर्णय का अनुपात भौतिक है। ओबिटर एक ऐसे मुद्दे पर अदालत के निष्कर्ष से संबंधित है जो मामले में उत्पन्न होता है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है

इस मुद्दे को आज्ञाकारी माना जाता है। अनुपात और आज्ञाकारी के विपरीत, एक ऐसे मुद्दे पर अदालत की राय जो उत्पन्न नहीं होती है, एक आकस्मिक या पारित है।अवलोकन। ग्रेटर बॉम्बे कॉप में सवाल। बैंक लिमिटेड (ऊपर) यह था कि क्या राज्य [2020] 5 एस. सी. आर. के तहत गठित न्यायालय और प्राधिकरण।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहकारी समिति अधिनियम और एम. एस. सी. एस. अधिनियम के पास राज्य स्तर और बहु-राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऋणों की वसूली के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदनों/विवादों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। सवाल यह था कि एम. सी. एस. अधिनियम, 1960, एम. एस. सी. एस. अधिनियम और ए. पी. सी. एस. अधिनियम, 1964 के तहत गठित सहकारी बैंकों के ऋणों पर आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 लागू होता है। सवाल यह है कि क्या

(ज) उन्होंने द शामराव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया।और एन. आर. वी. एम/एस। स्टार ग्लास वर्क्स, मुंबई और Ors.24 जिसमें संदर्भ द्वारा निगमन के अर्थ पर विचार किया गया था। इसे एक तार्किक अंत तक ले जाना होगा। संसद ने सहकारी समितियों अधिनियम का सहारा लेकर सहकारी बैंकों को उनके बकाया की वसूली के लिए एक अतिरिक्त उपाय प्रदान किया है। न्यायालय ने ग्रेटर बॉम्बे कॉप में उक्त पहलू पर विचार नहीं किया। बैंक लिमिटेड (ऊपर)। सदस्यों की सेवा करने वाले सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक लेनदेन करने वाले निगमित बैंक के बीच अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह गतिविधि केवल इस तथ्य से बैंकिंग बनी रहती है कि सहकारी बैंक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समितियां हैं; यह उनके द्वारा की गई बैंकिंग गतिविधि को आकस्मिक नहीं बनाता है। यह उनकी गतिविधि बनी हुई है। यह था।

यह पाया गया कि धारा 5 (सी) में 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा को 1965 के अधिनियम No.23 द्वारा बदला नहीं गया था। निगमन, संदर्भ द्वारा, 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा को बदलने का प्रभाव रखता है। भले ही आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 में सहकारी बैंक को शुरू से ही शामिल नहीं किया गया हो, लेकिन सहकारी बैंकों के लिए एक अतिरिक्त उपाय प्रदान करने वाला कानून बनाने के लिए संसद के रास्ते में कुछ भी नहीं आया।

14. भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने निम्नलिखित तर्क दिए:(क) यह मामला भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर किया गया है। इसी कारण से, संसद को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) में परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।

24 एयर 2003 बम 205 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

(ख) बैंकिंग परिचालन में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण और जमा स्वीकार करना, ऋण देना और बैंक द्वारा देय ऋणों की वसूली शामिल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संसद बैंक द्वारा व्यवसाय के संचालन के बारे में एक कानून बना सकती है। बकाया राशि की वसूली आवश्यक है।एक बैंकिंग संस्थान का कार्य। सूची I की प्रविष्टि 45 का अर्थ बैंकिंग के सभी पहलुओं के बारे में कानून बनाना होगा, जिसमें उससे संबंधित सहायक या सहायक मामले भी शामिल हैं। सरफेसी अधिनियम सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में आता है।

(ग) संसद सूची I की प्रविष्टि 45 में निहित मामलों के संबंध में कानून बना सकती है, भले ही विचाराधीन बैंक एक सहकारी समिति हो। सूची I की प्रविष्टि 45 से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली संस्था कंपनी है या सांविधिक निगम या सहकारी समिति।

(घ) केन सहकारी बैंकों के भीतर लाए गए बी. आर. अधिनियम, 1949 में 1965 का संशोधन चुनौती के दायरे में नहीं है और न ही कभी किया गया है।

सफलतापूर्वक पूछताछ की गई। संसद के पास सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत सरफेसी अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है, भले ही बैंकिंग की गतिविधि करने वाली संस्था एक सहकारी समिति हो। संसद को शामिल करने की अनुमति है

'बैंक' की परिभाषा के भीतर बहु-राज्य सहकारी बैंक। इसी तरह, सरकार बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सी. सी. आई.) की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (वी) के दायरे में सहकारी बैंकों को अधिसूचित कर सकती थी।

(ई) अपीलार्थी का यह तर्क कि सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) एक इकाई को संदर्भित करती है न कि गतिविधि को, इसलिए, यह

2 (1) (ग) केवल एक परिभाषा प्रावधान है। विधान का विषय प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रवर्तन है।बैंकों या वित्तीय संस्थानों का प्रतिभूति हित। विधान की विषय वस्तु इकाई पर आधारित नहीं है।

(च) सर्फेसी अधिनियम निगमन से संबंधित कानून नहीं है,

बैंकिंग में लगी सहकारी समितियों या बहु-राज्य सहकारी समितियों का विनियमन और समापन। इसका पता सूची I की प्रविष्टि 45, यानी बैंकिंग की गतिविधि से लगाया जा सकता है।

(छ) सर्फेसी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इंगित करता है कि यह बैंकिंग के व्यवसाय और मामलों से संबंधित है। इसके लिए प्रासंगिक। यह बैंक और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूति पर कब्जा करने और धीमी गति [2020] 5 एस. सी. आर. से उबरने के लिए उन्हें बेचने की शक्ति प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऋण चुकौती की वसूली और बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का बढ़ता स्तर। यह नरसिम्हम समिति I और II और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अंधारुजिना समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इस प्रकार विचाराधीन कानून बैंकिंग के व्यवसाय से संबंधित है।

(ज) अपीलार्थी का तर्क कि 'ऐसे अन्य बैंक' ऐसा नहीं कर सकते हैं।

इनमें सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिनका कोई आधार नहीं है और संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। ग्रेटर बॉम्बे में की गई कुछ टिप्पणियाँ

कॉप। बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) गलत है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है। उक्त मामले में जो सवाल उठे वे अलग-अलग थे।

15. श्री विजय हंसारिया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने पक्ष रखा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने उपरोक्त तर्कों को दोहराया और यह भी आग्रह किया कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक

महाराष्ट्र राज्य में बैंक की 41 शाखाएँ हैं। आई. डी. 1 तक, इसके पास 9,992 करोड़ रुपये की जमा राशि थी और इसने आई. डी. 3,006 करोड़ की सीमा तक ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं और आई. डी. 2,947 करोड़ की सीमा तक कार्यशील पूंजी है। 1818 सहित कुल 2115 सदस्य हैं।

ओ-सक्रिय संस्थान, 296 व्यक्ति और व्यक्तिगत समाज और 1

राज्य सरकार और उनके द्वारा धारित कुल शेयरों की संख्या 45,67,280 है (35,66,104 सहकारी संस्थानों के पास हैं, 1176 व्यक्तियों और व्यक्तिगत समितियों के पास हैं, और 10,00,000 राज्य सरकार के पास हैं)। एम. एस. सी. बैंक विभिन्न शर्तों पर ऋण देता है और

चीनी कारखानों, निजी चीनी मिलों, कताई मिलों, तेल मिलों, विपणन सहकारी समितियों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सहकारी औद्योगिक इकाइयों जैसी सहकारी प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी ऋण। यह सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, शहरी बैंकों का शीर्ष संस्थान है।

सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ। इसके पास महाराष्ट्र राज्य में सहकारी बैंकों और कृषि सहकारी समितियों का एक नेटवर्क है जो 31.3.2015 पर नीचे दिया गया है:

31

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की कुल संख्या

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या

3,734

21,124

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सदस्यों की संख्या

1,14,54,704

उन्होंने आगे बताया कि 31 जिला सहकारी बैंकों में से,

30 मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना। एमएससी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को पुनः वित्त सुविधाएं प्रदान करता है, और यह गैर-कृषि पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम की वित्तीय जरूरतों का भी ध्यान रखता है।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

नाबार्ड के सामान्य पुनर्वित्त के तहत जिला सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करके क्षेत्र ग्रामीण कारीगरों और लघु उद्योगों की मदद करने में सक्षम बनाता है। इसने जिला सहकारी बैंकों के सहयोग से राज्य में फसल ऋण प्रणाली भी शुरू की है। इस प्रकार, जारी की गई अधिसूचना और संशोधन उपयुक्त हैं, विशेष रूप से,1965 में शामिल किए गए संशोधन का प्रकाश। यह मामला सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत आता है।

16. भारतीय बैंक संघ की ओर से श्री पी. वी.

योगेश्वरन विद्वान वकील ने बैंकों की ओर से उठाई गई दलीलों का समर्थन किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सरफेसी अधिनियम का अधिनियमन संसद की विधायी क्षमता में है। यह सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के साथ-साथ महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम के तहत कार्रवाई को चुनौती देने के उधारकर्ताओं के अधिकार से वंचित नहीं करता है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। इसने केवल एक

अतिरिक्त उपाय प्रदान किया। इस न्यायालय ने सरफेसी की धारा 13 और 17 की वैधता को बरकरार रखा

एक्ट करें। संसद सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में सहकारी बैंकों से संबंधित कानून बना सकती है।

17. सहकारी बैंकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विनय नवरे ने जोरदार तर्क दिया कि: (क) सूची I की प्रविष्टि 43 और 44 और सूची II की प्रविष्टि 32 में 'निगमन, विनियमन और समापन' अभिव्यक्ति केवल निम्नलिखित को संदर्भित करती है -

निगमों के संगठनात्मक पहलू। इसका व्यवसाय/लेन-देन के पहलुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने हिंदुस्तान लीवर और ए. एन. आर. के फैसलों पर भरोसा किया है। वी. महाराष्ट्र राज्य और Anr.25, केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी Ltd.26 और सीता राम शर्मा और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और Ors.27। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर सातवीं अनुसूची की सूचियों में उपयोग किए गए कई शब्दों को परिभाषित नहीं किया। जहाँ भी इसकी आवश्यकता थी, उन्होंने इस तरह से परिभाषित कियाशर्तें। सातवीं अनुसूची की सूचियों में सूचीबद्ध कुछ विषयों को संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है, उदाहरण के लिए, कृषि आय (सूची I, प्रविष्टि 82), निगम कर (सूची I, प्रविष्टि 85), ऋण (सूची II, प्रविष्टि 42), पेंशन (सूची I, प्रविष्टि 71) और (सूची II, प्रविष्टि 42)। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद में 'बैंकिंग' शब्द को परिभाषित करने से परहेज किया

366. इसका उद्देश्य इसके अर्थ को सीमित करना नहीं था। कुछ प्रविष्टियों के लिए, संविधान के निर्माताओं ने अर्थ निर्दिष्ट किया, जैसे कि प्रविष्टि में

71 सूची I और सूची II की प्रविष्टियाँ 5,8,13,17,18।

25 (2004) 9 एस. सी. सी. 438

26 (1976) 1 एस. सी. सी. 466 27 (1974) 2 एससीसी 301 [2020] 5 एस. सी. आर.

(ख) समाज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के अनुसार एक प्रविष्टि को अर्थ दिए जाने के रूप में परिभाषित नहीं करने के लिए निर्माताओं का एक उद्देश्य था। जब 200 साल से भी पहले अमेरिकी संविधान बनाया गया था

भारतीय संविधान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य के लिए अज्ञात थे। संघ सूची में प्रवेश 'रक्षा' की व्याख्या अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल करने के लिए की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि 1950 में इंटरनेट अज्ञात था। आज भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक की प्रविष्टि 31 में इंटरनेट शामिल हो सकता है। अदालतों ने व्याख्या की

समय के बदलते दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक प्रविष्टि, पदार्थ को बनाए रखना।

(ग) 1950 में समझा गया 'बैंकिंग' शब्द बहुत संकीर्ण था, और 70 वर्षों के बाद, बैंकिंग उद्योग महत्वपूर्ण दौर से गुजरा है।

परिवर्तन होता है। आज इसमें पोर्टफोलियो प्रबंधन, शेयरों की हामीदारी और निवेश बैंकिंग शामिल हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियों जैसे ग्रे क्षेत्र हैं, यानी, वीजा या अमेरिकन एक्सप्रेस। बी. आर. अधिनियम, 1949 की परिभाषा

सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' शब्द के दायरे को प्रतिबंधित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(घ) यदि अपीलार्थियों का यह तर्क कि सहकारी बैंक सूची-1 की प्रविष्टि 45 के दायरे में नहीं आते हैं, स्वीकार किया जाता है, तो इसके परिणाम इस प्रकार होंगे:

विनाशकारी। बी. आर. अधिनियम, 1949 का पूरा भाग 5 असंवैधानिक हो जाएगा। संसद एम. एस. सी. एस. अधिनियम की धारा 84 में संशोधन कर सकती है और यह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम लागू कर सकती है। इसी तरह, शक्ति हो सकती है

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत बकाया की वसूली के लिए भी प्रावधान। अपीलार्थियों की ओर से 'अधिकृत क्षेत्र' के रूप में उठाए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि 'अधिकृत क्षेत्र' का प्रश्न समवर्ती सूची से संबंधित है जैसा कि ए. पी. और अन्य राज्यों में आयोजित किया गया है। वी. मैकडोवेल एंड कंपनी और Ors.28। बकाये की वसूली बैंक का एक आवश्यक कार्य है। इसके विपरीत तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सर्फेसी अधिनियम का उद्देश्य सुरक्षा हितों को लागू करना है। इसका परिणाम एक पुनर्प्राप्ति है, जो एक आकस्मिक है।

(ई) सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिए है, और यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 और 69ए में निहित प्रावधानों के कारण सूची III की प्रविष्टि 6 के लिए भी संदर्भित है। धारा 13 या सरफेसी अधिनियम के अन्य प्रावधान हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा कब्जा किए गए विधायी क्षेत्र के साथ। महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960, सहकारी बैंकों को उनके बकाया की वसूली के लिए दो उपाय प्रदान करता है। धारा 91 एक के समान है

28 (1996) 3 एस. सी. सी. 709 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

दीवानी मुकदमा, और धारा 101 राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करती है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम उक्त अधिनियम की धारा 91 या 101 के तहत सहकारी बैंकों के उपायों को नहीं छीनता है; यह बकाया की वसूली करने और प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए सहकारी बैंकों को धारा 13 के तहत अतिरिक्त उपाय प्रदान करता है। यह सहकारी/सहयोगी संघवाद का एक उत्कृष्ट मामला है।

18. जन सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अभिजात सेनगुप्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का आग्रह किया। दीवान बहादुर सेठ गोपाल दास मोहता बनाम में निर्णयों को देखते हुए संविधान को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है। भारत संघ और Ors.[29] 29, और खैरबारी चाय कंपनी लिमिटेड और अन्य। वी. असम राज्य 3 0. सूची I की प्रविष्टि 45 और सूची II की प्रविष्टि 32 को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए।

19. विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं:

(1) चाहे 'सहकारी बैंक', जो सहकारी समितियाँ भी हैं, सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा या सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा शासित होते हैं।

(3) (ख) क्या बहु-राज्य सहकारी बैंकों को शामिल करने के कारण सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई. वी. ए.) के प्रावधान और राज्य में सहकारी बैंकों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना 28.1.2003 अधिकार से बाहर है?

संदर्भ प्रश्न संख्या 1:

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, हमें सूची I की प्रविष्टियाँ 43,44 और 45 और सातवीं की सूची II की प्रविष्टियाँ 32 पर विचार करना होगा।

भारत के संविधान की अनुसूची। प्रविष्टियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहित निगम निगम लेकिन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करते हैं।

29 (1955) 1 एससीआर 77330 (1964) 5 एससीआर 975 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. निगमों का निगमन, विनियमन और समापन, चाहे व्यापार हो या न हो, जिसका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, लेकिनइसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं।

45. बैंकिंग।

***

32. सूची I में निर्दिष्ट निगमों और विश्वविद्यालयों के अलावा निगमों का निगमन, विनियमन और समापन; अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य समाज और

संघ; सहकारी समितियाँ "।

21. बी. आर. अधिनियम, 1949 में 'बैंकिंग' को धारा के तहत परिभाषित किया गया है।

हंस:

" 5. व्याख्या। इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी नहीं है

विषय या संदर्भ में नहीं,

(ख) "बैंकिंग" से जनता से धन की जमा राशि को ऋण देने के उद्देश्य से स्वीकार करना, जो उसकी मांग पर पुनर्भुगतान योग्य है, और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य है;

22. बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के तहत, 'बैंकिंग' शब्द

किसी भी 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" 5. व्याख्या। इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी नहीं है

विषय या संदर्भ में अप्रिय, (ग) "बैंकिंग कंपनी" से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है जो लेन-देन करती है

भारत में बैंकिंग का व्यवसाय;

स्पष्टीकरण। कोई भी कंपनी जो इसमें लगी हुई है

वस्तुओं का निर्माण या कोई व्यापार करने वाला और जो केवल अपने व्यवसाय के वित्तपोषण के उद्देश्य से जनता से धन जमा स्वीकार करता है, ऐसे निर्माता या व्यापारी को निम्नलिखित अर्थों के भीतर बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन करने वाला नहीं माना जाएगा:

यह खंड; "

23. बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग II की धारा 6 उन मूल बातों से संबंधित है जिनमें बैंकिंग कंपनियां संलग्न हो सकती हैं, जिन्हें नीचे निकाला गया है:

" 6. व्यवसाय के रूप जिनमें बैंकिंग कंपनियाँ कर सकती हैं

संलग्न हों। — (1) बैंकिंग व्यवसाय के अलावा, एक बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक प्रपत्र में संलग्न हो सकती है।

व्यवसाय का, अर्थात्:

दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

(क) धन उधार लेना, जुटाना या लेना; प्रतिभूति पर या उसके बिना धन उधार देना या आगे बढ़ाना; आहरण करना, बनाना, स्वीकार करना; छूट देना, खरीदना, बेचना और संग्रह करना। विनिमय-पत्र, मुद्रा, वचन-पत्र, कूपन, ड्राफ्ट, लदान-पत्र, रेलवे रसीदें, वारंट, डिबेंचर, प्रमाण-पत्र, स्क्रिप और अन्य उपकरण, चाहे हस्तांतरणीय हों या परक्राम्य न हों, और प्रतिभूतियों को प्रदान करना और जारी करना, यात्री के चेक और परिपत्र नोट; सर्राफा और विशिष्टता में खरीद, बिक्री और सौदा करना; विदेशी बैंक नोटों सहित विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री; अधिग्रहण, धारण, कमीशन पर जारी करना, अंडरराइटिंग और स्टॉक, फंड, शेयर, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, दायित्व, प्रतिभूतियों और सभी प्रकार के निवेशों में लेनदेन करना; बॉन्ड, स्क्रिप या अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री; धन और प्रतिभूतियों का संग्रह और प्रेषण;

(ख) किसी भी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करना;

माल का समाशोधन और अग्रेषण, रसीदें और निर्वहन देना और अन्यथा ग्राहकों की ओर से एक वकील के रूप में कार्य करना, लेकिन किसी कंपनी के प्रबंध अभिकर्ता या सचिव और खजांची के व्यवसाय को छोड़कर कोई विवरण; (ग) सार्वजनिक और निजी ऋणों के लिए अनुबंध करना और उनसे बातचीत करना और उन्हें जारी करना;

(घ) राज्य, नगरपालिका या अन्य ऋणों या किसी कंपनी, निगम या संघ के शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक के किसी भी सार्वजनिक या निजी निर्गम को प्रभावी बनाना, बीमा करना, गारंटी देना, हामी देना, प्रबंधन और निष्पादन में भाग लेना और ऐसे किसी निर्गम के उद्देश्य से धन का ऋण देना;(ई) हर प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति व्यवसाय को जारी रखना और उसका लेन-देन करना;

(च) प्रबंधन, बिक्री और प्राप्ति और संपत्ति जो संतुष्टि या आंशिक रूप से कंपनी के कब्जे में आ सकती है।

उसके किसी भी दावे की संतुष्टि;(छ) किसी ऐसी संपत्ति में किसी भी संपत्ति या किसी भी अधिकार, स्वामित्व या हित का अधिग्रहण और धारण और आम तौर पर व्यवहार करना जो [2020] 5 एस. सी. आर. बना सकता है।

किसी भी ऋण या अग्रिम के लिए प्रतिभूति या प्रतिभूति का हिस्सा या

जो ऐसी किसी सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है;

(ज) न्यासों का उपक्रम और निष्पादन;

(i) निष्पादक, न्यासी के रूप में संपदाओं का प्रशासन करना।

पेंशन और भत्ते और बीमा के लिए भुगतान करना; धर्मार्थ या परोपकारी के लिए धन की सदस्यता लेना या गारंटी देना। वस्तुओं या किसी प्रदर्शनी या किसी सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी वस्तु के लिए;

(के) के अधिग्रहण, निर्माण, रखरखाव और परिवर्तन

प्रयोजनों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक कोई भवन या कार्य

कंपनी का;(1) बिक्री, सुधार, प्रबंधन, विकास, आदान-प्रदान, पट्टा,

गिरवी रखना, निपटाना या खाते में बदलना या अन्यथा

संपत्ति के सभी या किसी भी हिस्से और अधिकारों से निपटने के लिए

(एम) किसी भी व्यक्ति या कंपनी के पूरे या व्यवसाय के किसी भी हिस्से का अधिग्रहण और उपक्रम, जब ऐसा व्यवसाय प्रकृति का हो। इस उप-खंड में उल्लिखित या वर्णित;

(एन) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो कंपनी के व्यवसाय के प्रचार या उन्नति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल हों;(o) व्यवसाय का कोई अन्य रूप जिसे केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यवसाय के एक रूप के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी के लिए संलग्न होना वैध है।

(2) कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगी।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा।

24. प्रारंभ में, बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान केवल कंपनियों पर लागू होते थे। बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान, 1965 के अधिनियम No.23, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.3.1966 द्वारा विस्तारित-सहकारी बैंक थे। इससे पहले

56 को 1957 के अधिनियम No.36, W. E. F. 17.9.1957 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1964 का विधेयक 5 संसद में भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में संशोधन के लिए 17.12.1964 पर पेश किया गया था।

कुछ सहकारी समितियों के बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करना।

या उससे जुड़े मामले।

पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

25. किए गए संशोधनों पर आने से पहले, यह आवश्यक है कि -

उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार करें। बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का विस्तार राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों और इससे भी महत्वपूर्ण, प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियों तक करना आवश्यक समझा गया, जो बैंकिंग से संबंधित थे। उद्देश्यों और कारणों का विवरण नीचे दिया गया है:

" कारणों के उद्देश्यों का विवरण

यह सहकारी बैंकों पर या उनके संबंध में लागू होता है। इन जमाओं और सहकारी बैंकों की कार्यशील निधियाँ अब इतनी बड़ी हैं कि

बैंकिंग के अधिक महत्वपूर्ण प्रावधानों का विस्तार

कंपनी अधिनियम, 1949 (और इसके कुछ अन्य संबद्ध प्रावधानों के लिए) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934) इन बैंकों को

जनहित। यह विधेयक तदनुसार राज्य में विस्तार करने का प्रयास करता है।

सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और अधिक कुछ महत्वपूर्ण प्राथमिक गैर-कृषि सहकारी बैंक

मौजूदा केंद्रीय कानूनों के प्रावधान जो संबंधित हैं -

" बैंकिंग "।

2. खंडों पर टिप्पणियाँ विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करती हैं -

बिल "।

(जोर दिया गया)

संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश

खंडों पर संलग्न टिप्पणियों में निहित संविधान भी महत्वपूर्ण है। राज्य या शीर्ष सहकारी बैंकों, सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियों, जिनके पास 1 लाख रुपये या उससे अधिक के नाममात्र मूल्य की पूंजी और भंडार का भुगतान किया गया है, को सहकारी बैंक माना जाना था। निदेशकों की योग्यताओं में परिणामी परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया था। खंड 6 शीर्ष सहकारी बैंकों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षित रखने का प्रावधान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और

बैंकिंग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सहकारी बैंकों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का प्रस्ताव किया गया था। यह आवश्यक नहीं है कि

उनके संबंध में अलग प्रावधान करें, जैसे कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम का नाम बदलकर बैंकिंग विनियमन अधिनियम कर दिया जाना था और यह अब बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहेगा।

26. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापक संशोधन

और बी. आर. अधिनियम, 1949 के कई प्रावधानों की चूक सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आने वाले मामलों के संबंध में आवश्यक हो गई; जैसा कि [2020] 5 एस. सी. आर.

इस तरह के विभिन्न संशोधन एक अलग अध्याय में अलग से प्रतिबिंबित किए गए थे,

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भाग IIA, III और IIIA में संशोधन शामिल किए गए थे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रावधानसहकारी बैंकों के निगमन, प्रबंधन और समापन को हटाने का प्रस्ताव किया गया था क्योंकि ये भाग या प्रावधान भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में विषयों की केंद्रीय या समवर्ती सूची में किसी भी प्रविष्टि के दायरे में नहीं थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ संलग्न टिप्पणियों का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है:

" नियंत्रण की योजना के अनुसार जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में परिकल्पित है, (क) सभी राज्य या शीर्ष सहकारी बैंक, (ख) सभी केंद्रीय सहकारी बैंक और (ग) ऐसी प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियां, जिनमें विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिन्होंने रुपये के नाममात्र मूल्य की पूंजी और भंडार का भुगतान किया है। 1 एक लाख या उससे अधिक, सहकारी बैंक माने जाएंगे। "सहकारी बैंक" पद की परिभाषा में (क) सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, चाहे उनकी चुकता पूंजी का नाममात्र मूल्य कुछ भी हो, (ख) प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियां जिनके पास चुकता पूंजी और न्यूनतम मूल्य के भंडार हों, को शामिल नहीं किया जाएगा।

एक लाख रुपये से कम, भले ही वे गैर-सदस्यों और (ग) अन्य सभी सहकारी समितियों से जमा स्वीकार कर रहे हों जो जमा प्राप्त नहीं करते हैं, या इसके बाद प्राप्त करना बंद कर सकते हैं।

गैर-सदस्यों से।

खंड 8 और 9 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 3ख के प्रयोजनों के लिए (क) वित्तीय संस्थानों और (ख) गैर-बैंकिंग संस्थानों की परिभाषा में संशोधन का प्रावधान है। यह है।

प्रस्ताव है कि (क) सभी सहकारी बैंक, (ख) सभी कृषि ऋण समितियाँ और (ग) सभी प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियाँ जो सहकारी बैंक नहीं हैं, उन्हें रिजर्व बैंक के नियंत्रण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। वित्तीय और गैर-बैंकिंग संस्थानों के ऋण निवेश या अन्य संबद्ध नीतियों पर। सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए बनाए गए अन्य प्रावधानों के अनुसार प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा और इसलिए उनके संबंध में कोई अलग प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होगी। कृषि ऋण समितियों को आम तौर पर वर्तमान विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा गया है। प्राथमिक गैर-कृषि ऋण समितियों, जो सहकारी बैंक नहीं हैं, उनकी कार्यशील निधियां और कारोबार अपेक्षाकृत महत्वहीन हैं, जिसका परिणाम है दुरंग गणपति चॉगल v.

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

कि उनके ऋणों को नियंत्रित करने में परेशानी या खर्च शामिल है या

अग्रिम या निवेश नीतियाँ सार्थक नहीं हो सकती हैं। खंड 10 और 11। - अध्याय III में संशोधनों का प्रावधान है।

बैंकिंग कंपनी अधिनियम के लिए आवश्यक। खंड 10 और 11 में कहा गया है:

इस अधिनियम के विवरण में परिवर्तन करना और कुछ परिणामी बनाने के लिएलंबे शीर्षक और प्रस्तावना में परिवर्तन। यह अधिनियम प्रस्तावित है,

भविष्य में इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के रूप में जाना जाना चाहिए।

यह उचित होगा, क्योंकि इसका आवेदन किसी भी सीमा तक सीमित नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनियों के लिए और

अधिनियम के कुछ भाग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैंसहकारी बैंकों का निगमन, प्रबंधन और समापन

छोड़ दिए जाने का प्रस्ताव है, क्योंकि ये भाग या प्रावधान इसमें नहीं हैं

केंद्रीय या राज्य में किसी भी प्रविष्टि के दायरे में पीठ और पदार्थसातवीं अनुसूची में विषयों की समवर्ती सूची

संविधान "।

(जोर दिया गया)

सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव इस प्रकार:

" बैंकर पुस्तक साक्षय अधिनियम, 1891 के प्रावधान और

बैंकिंग कंपनियाँ (कानूनी व्यवसायियों के ग्राहकों के खाते)

अधिनियम, 1949 को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव है, ताकि विशेष

साक्षय के संबंध में प्रक्रिया या कुछ के संबंध में संरक्षण

इस संबंध में खातों को भविष्य में विस्तारित किया जा सकता है या उपलब्ध कराया जा सकता है।

सहकारी बैंकों को [खंड (जेडके)]।

प्रस्तावित तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं -

निर्धारित प्रपत्र जिसमें तुलन-पत्र और लाभ और हानि सहकारी बैंकों के खातों को बनाए रखना होगा। द.

यदि आवश्यक हो तो भविष्य में प्रपत्रों में संशोधन किया जा सकता है।

अनुभव और प्रक्रिया के अनुसार जो पहले से ही है

इस उद्देश्य के लिए अधिनियम में विहित "।

सहकारी बैंकों को भी शेष राशि जमा करने की आवश्यकता थी।

और भारतीय रिजर्व बैंक को लाभ और हानि खाता।

27. रिजर्व बैंक में विभिन्न संशोधन किए गए

एल. आई. ए. अधिनियम इसे सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए। द 'सेंट्रल

धारा 2 [2020] 5 एस. सी. आर. में खंड (बी. आई.) को प्रतिस्थापित करके 'इरेटिव बैंक' को परिभाषित किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934। इसी तरह, 'सहकारी बैंक', 'पेरटिव क्रेडिट सोसाइटी' और 'सहकारी सोसायटी' को परिभाषित किया गया था -धारा 2 (बी. आई. आई.), धारा 2 (बी. आई. आई.) और धारा 2 (बी. आई. वी.) क्रमशः।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में अंत:स्थापित वैकल्पिक परिभाषाएँ,

इन्हें नीचे निकाला गया है:

" ((ख) "केंद्रीय सहकारी बैंक" से किसी राज्य के किसी जिले में प्रमुख सहकारी समिति अभिप्रेत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है -

उस जिले में अन्य सहकारी समितियों का वित्तपोषण:

जहाँ किसी जिले में ऐसा कोई प्रमुख समाज नहीं है, राज्य सरकार उस जिले में अन्य सहकारी समितियों के वित्तपोषण का व्यवसाय करने वाली किसी भी एक या अधिक सहकारी समितियों को केंद्रीय सहकारी बैंक या बैंक घोषित कर सकती है।

इस परिभाषा का अर्थ;

(बी. आई. आई.) "सहकारी बैंक" का अर्थ है एक राज्य सहकारी बैंक,

केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक;

(बी. आई. आई.) "सहकारी ऋण समिति" से एक सहकारी समिति अभिप्रेत है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समायोजन प्रदान करना है।

((ख) "सहकारी समिति" से सहकारी समिति अधिनियम, 1912 या सहकारी समितियों से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति अभिप्रेत है। किसी भी राज्य में लागू;

'प्राथमिक सहकारी बैंक' को धारा 2 (सी. आई. आई. आई.) में परिभाषित किया गया है, 'प्राथमिक ऋण समिति' को धारा 2 (सी. आई. वी.) में परिभाषित किया गया है। द.

आयतनों को यहाँ नीचे निकाला गया है:

(1) प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय जिसका बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन;

(2) चुकता शेयर पूंजी और भंडार कम नहीं हैं।

एक लाख रुपये से अधिक; और

(3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं; ((ग) "प्राथमिक ऋण समिति" का अर्थ है एक सहकारी समिति, अन्य

एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति की तुलना में, पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

(1) प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय जिसका बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है;

(2) जिसकी चुकता शेयर पूंजी और भंडार एक लाख रुपये से कम हैं; और (3) जिनके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं;

स्पष्टीकरण। यदि इस खंड या खंड (सी. आई. आई.) या खंड (सी. आई. आई. आई.) में निर्दिष्ट किसी सहकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय के लिए कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसका निर्धारण बैंक अंतिम होगा। ; "

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को सहकारी बैंकों पर लागू करने के लिए प्रावधानों में अन्य संबंधित परिवर्तन लाए गए।

(क) बैंकिंग में विभिन्न संशोधन किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 1949 का नाम बदलकर बी. आर. अधिनियम, 1949 कर दिया गया। 'प्राथमिक कृषि ऋण समिति' को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बी. आर. अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर रखा गया था। सहकारी भूमि बंधक भाग 5 में निर्दिष्ट तरीके और सीमा को छोड़कर बैंकों और किसी भी अन्य सहकारी समिति को भी बाहर रखा गया था। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

(क) एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति; (ख) एक सहकारी भूमि बंधक बैंक; और

(ग) भाग 5 में निर्दिष्ट तरीके और सीमा को छोड़कर कोई अन्य सहकारी समिति।

(ख) चूंकि बी. आर. अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों को विभिन्न प्रावधानों में संशोधनों/चूक को शामिल किए बिना संशोधित रूप में सहकारी बैंकों पर लागू करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि इससे प्रावधानों की समझ थोड़ी जटिल हो जाती। पूरा।

सहकारी बैंकों से संबंधित सहकारी समितियों पर या उनके बारे में लागू होने वाले संशोधनों को धारा 56, अध्याय 5 में निर्दिष्ट किया गया था, हालांकि उनका प्रभाव अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में संशोधन करने का था।

(ग) बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ए) द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि

पूरे अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, किसी बैंकिंग कंपनी या कंपनी या ऐसी कंपनी के संदर्भों का अर्थ [2020] 5 एस. सी. आर. लगाया जाएगा।

एक सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में। धारा 56 (ए) (आई) और (आई) को नीचे निकाला गया है:

(क) इस अधिनियम के दौरान, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,(i) "बैंकिंग कंपनी" या "कंपनी" या "ऐसी कंपनी" के संदर्भों को एक सहकारी के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

बैंक,

((ii) "इस अधिनियम के प्रारंभ" के संदर्भों को बैंकिंग कानूनों के प्रारंभ के संदर्भों के रूप में माना जाएगा।(सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग) अधिनियम, 1964 "

धारा 2 में धारा 56 (बी) के आधार पर, 'कंपनी अधिनियम, 1956' शब्दों और आंकड़ों को हटा दिया गया था। धारा 5 में खंड (सी. सी.) के बाद

खंड (सी. सी. सी.) में 'केंद्रीय सहकारी बैंकों' की परिभाषा निम्नानुसार जोड़ी गई थी:

" (सी. सी. सी.) "केंद्रीय सहकारी बैंक", "सहकारी बैंक"। सहकारी समिति "," निदेशक "," प्राथमिक कृषि ऋण समिति "," प्राथमिक सहकारी बैंक "," प्राथमिक ऋण समिति "और" राज्य सहकारी बैंक "के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें सौंपे गए हैं।

(घ) धारा 5 ए को सहकारी बैंकों के संबंध में संशोधित किया गया था। धारा 5 ए में प्रावधान किया गया है कि भाग 5 के प्रावधान प्रबल होंगे और

किसी सहकारी समिति के उप-कानूनों या उसके द्वारा निष्पादित किसी भी समझौते को, चाहे वह बैंकिंग कानूनों के प्रारंभ से पहले या बाद में पंजीकृत, निष्पादित या पारित किया जाए, ओवरराइड करें।

सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1964। धारा 5 ए को नीचे निकाला गया है:

" 5 ए. (1) इस भाग के प्रावधान प्रभावी होंगे -

बाय में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद

किसी सहकारी समिति की विधियाँ, या उसके द्वारा निष्पादित किसी समझौते में, या सामान्य बैठक में उसके द्वारा पारित किसी प्रस्ताव में, या उसके निदेशक मंडल या उसके मामलों के प्रबंधन के लिए सौंपे गए अन्य निकाय द्वारा, चाहे वे पंजीकृत हों, निष्पादित हों या पारित हों,

बैंकिंग कानून (सहकारी समितियों पर लागू) अधिनियम, 1964 के प्रारंभ से पहले या बाद में, जैसा भी मामला हो।

पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

पूर्वोक्त संकल्प, जिस हद तक वह प्रतिकूल है, इस भाग के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, शून्य हो जाते हैं या शून्य हो जाते हैं।

बनो "।; "

(ई) के भाग V में धारा 56 (ई) में निहित प्रावधानों के आधार पर

बी. आर. अधिनियम, 1949 जहाँ तक इसका विस्तार सहकारी समितियों/बैंकों तक है, धारा 6 (1) (बी) में इस हद तक संशोधन किया गया है, लेकिन इसमें किसी प्रबंध अभिकर्ता या सचिव और खजांची के व्यवसाय को शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी 'को हटा दिया जाएगा। खंड (घ) में 'कंपनी' शब्द के बाद 'या सहकारी समिति' शब्द जोड़े जाएंगे।

(च) खंड (घ) की धारा 6 (1) में 'सहकारी समाज' शब्द हैं।

'कंपनी' शब्द के बाद जोड़ा गया था। सहकारी समिति को सहकारी बैंक के रूप में नामित करने के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया गया था:

ऐसे शब्द। (2) इस धारा में कुछ भी लागू नहीं होगा

(क) एक प्राथमिक ऋण समिति, या

(ख) लोगों की सुरक्षा के लिए गठित एक सहकारी समिति

सहकारी बैंकों या सहकारी भूमि के पारस्परिक हित बंधक बैंक।; "

(जोर दिया गया)

(छ) धारा 11 को सहकारी बैंकों पर लागू करने में प्रतिस्थापित किया गया था।

धारा 11 (1) के सुसंगत भाग को नीचे निकाला गया है:

" 11. (1) सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के बावजूद

तत्काल प्रभाव से कोई भी सहकारी बैंक शुरू नहीं होगा।

या भारत में बैंकिंग का व्यवसाय जारी रखें जब तक कि कुल मिलाकर

इसकी चुकता पूंजी और भंडार का मूल्य एक लाख से कम नहीं है।रुपयों का: "

(ज) धारा 18 को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें इसे बनाए रखने का प्रावधान था।

नकद आरक्षित। प्रत्येक सहकारी बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल राज्य सहकारी बैंक नहीं है, भारत में इसके 3 प्रतिशत नकद भंडार के रूप में बनाए रखेगा।

राशि। धारा 18 का प्रासंगिक भाग यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 18. प्रत्येक सहकारी बैंक, जो राज्य सहकारी बैंक नहीं है

रिजर्व [2020] 5 एस. सी. आर. की दूसरी अनुसूची में अभी शामिल किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय बैंक अधिनियम, 1934, भारत में अपने पास नकद भंडार के रूप में या रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य बैंक के साथ खोले गए चालू खाते में या किसी प्राथमिक सहकारी के मामले में बनाए रखेगा।

और भारत में देनदारियों की मांग करेंगे और रिजर्व को प्रस्तुत करेंगे।हर महीने के 15 वें दिन से पहले बैंक एक रिटर्न दिखाता है

इस प्रकार पिछले महीने के प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को रखी गई राशि

ऐसे प्रत्येक शुक्रवार को भारत में अपने समय और मांग देनदारियों के विवरण के साथ, या, यदि ऐसा कोई शुक्रवार परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर व्यवसाय के समापन पर।

(i) धारा 19 को सहकारी समितियों में आवेदन के संबंध में प्रतिस्थापित किया गया था। धारा 19 का सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

" 19. कोई भी सहकारी बैंक किसी अन्य में शेयर नहीं रखेगा।

इस हद तक और इस तरह के अधीन को छोड़कर सहकारी समिति

ऐसी शर्तें जो रिजर्व बैंक इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है: .....धारा 19 के तहत शेयर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों में।

(जे) बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 22, जैसा कि सहकारी बैंकों के संबंध में इसके आवेदन में संशोधन किया गया है, यह प्रावधान करता है कि कोई भी सहकारी नहीं है।

सोसायटी भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक करेगी जब तक कि वह एक प्राथमिक क्रेडिट सोसाइटी या एक सहकारी बैंक न हो और उसके पास रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस न हो। अत: यह आवश्यक था कि केवल प्राथमिक

क्रेडिट सोसायटी भारत में बैंकिंग व्यवसाय में शामिल हो सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर सकती है। धारा 22 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों को भी सहकारी बैंक को उनके आवेदन में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था:

" (0) धारा 22 में -

((i) उप-धारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धाराएँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

" (1) इसके बाद दिए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी सहकारी समिति भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं करेगी जब तक कि -(क) यह एक प्राथमिक सहकारी समिति है, या दुरंग गणपति चौगुले v.

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

(ख) यह एक सहकारी बैंक है और इसमें जारी लाइसेंस रखता है।रिजर्व बैंक की ओर से, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो,

रिजर्व बैंक निम्नलिखित को लागू करना उचित समझ सकता है:

समाज, न कि एक प्राथमिक ऋण समिति या एक सहकारी बैंक होने के नातेबैंकिंग की शुरुआत में बैंकिंग व्यवसाय करना

विधि (सहकारी समितियों के लिए अनुप्रयोग) अधिनियम, 1964 ऐसी शुरुआत से एक वर्ष की अवधि।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति एक के रूप में व्यवसाय करती है

बैंकिंग कानूनों की शुरुआत में सहकारी बैंक

क्रेडिट सोसायटी जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाता हैऐसी शुरुआत तीन महीने की समाप्ति से पहले होगी

जिस तारीख को यह एक प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाता है और

प्राथमिक ऋण समिति के अलावा प्रत्येक सहकारी समिति

भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले लिखित रूप में आवेदन करें।

इस धारा के तहत लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक को: बशर्ते कि उप-धारा (1) के खंड (बी) में कुछ भी नहीं होगा

ऐसा माना जाता है कि वह किसी सहकारी समिति को व्यवसाय करने से रोकता है बैंकिंग कानूनों के प्रारंभ में एक सहकारी बैंक

(सहकारी समितियों के लिए अनुप्रयोग) अधिनियम, 1964 और एक प्राथमिकक्रेडिट सोसायटी जो एक प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाता है

ऐसी शुरुआत, बैंकिंग व्यवसाय करने से लेकर जब तक कि यह

इस धारा के अनुसरण में लाइसेंस दिया गया है या नोटिस द्वारा दिया गया है

रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया कि लाइसेंस नहीं हो सकता हैउसे दिया गया। ; "

(जोर दिया गया)

(के) प्रतिबंध भी उप-धारा (1) द्वारा बनाया गया है

23, व्यवसाय का एक नया स्थान खोलने के लिए जहाँ तक यह लागू होता है

इरेटिव बैंक इस प्रकार हैं:

एक ही शहर, शहर या गाँव के अलावा, स्थानव्यवसाय के मौजूदा स्थान का: "

धारा 29 और 30 को प्रतिस्थापित करके इसे आवश्यक बना दिया गया है।

बहुत ही सहकारी बैंक जो [2020] 5 एस. सी. आर. को खाते और बैलेंस शीट जमा करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भी दिया गया है। धारा 35 के तहत प्राथमिक सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने की शक्ति। धारा 35 ए (1) (सी) में 'बैंकिंग कंपनी' शब्दों के बाद 'किसी भी सहकारी बैंक का बैंकिंग व्यवसाय' शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। तुलनपत्र, संपत्ति और परिसंपत्तियाँ, और लाभ और हानि खाता जमा करने के लिए भी प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक ऋण समिति पर गहरा और व्यापक नियंत्रण प्रदान किया जाता है, जो इसमें शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी सहकारी समिति द्वारा किया गया। सहकारी बैंकों का अस्तित्व ही निर्भर है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के साथ-साथ बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। उपरोक्त विधान भारत के संविधान की सूची I की क्रमशः प्रविष्टि 38 और प्रविष्टि 45 के तहत हैं।28. आगे बढ़ने से पहले, सर्फेसी अधिनियम में निहित प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है। सरफेसी अधिनियम है

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन को विनियमित करने और उससे जुड़े और उससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। ऐसा माना जाता था कि बैंकों के पास संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने की शक्ति नहीं है। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित कानूनी प्रणाली ने बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ तालमेल

नहीं रखा है। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का प्रासंगिक भाग यहां निकाला गया है:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अपनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास में सफलता प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र प्रमुख चालकों में से एक रहा है। जबकि

भारत में बैंकिंग उद्योग उत्तरोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विवेकपूर्ण मानदंडों और लेखा प्रथाओं का पालन कर रहा है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के पास दुनिया के वित्तीय बाजारों में अन्य प्रतिभागियों की तुलना में समान अवसर नहीं है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण की सुविधा के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के विपरीत, भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति नहीं है। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित हमारा मौजूदा कानूनी ढांचा बदलते नियमों के अनुरूप नहीं रहा है।

वाणिज्यिक पद्धतियाँ और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। इसके परिणामस्वरूप चूक करने वाले ऋणों की वसूली की गति धीमी हो गई है और दुरंग गणपति चौगुल v बढ़ रहा है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर। नरसिम्हम समिति I और II और अंधारुजिना समिति

केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित

बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों की जांच ने इन क्षेत्रों के संबंध में कानूनी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर विचार किया है। इन समितियों ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूतिकरण के लिए एक नया कानून बनाने और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और अदालत के हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने का सुझाव दिया है। इन सुझावों पर अमल करते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति ब्याज अध्यादेश, 2002 का प्रवर्तन था

प्रतिभूतिकरण को विनियमित करने के लिए 21 जून, 2002 को जारी किया गया और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति का प्रवर्तन

पुनर्निर्माण। 2. अब अध्यादेश को एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अध्यादेश के प्रावधान भी शामिल हैं -

(छ) 'सुरक्षा हित' को किसी भी प्रकार की सुरक्षा के रूप में परिभाषित करना, जिसमें शामिल हैं -

देय के लिए दी गई अचल संपत्तियों पर बंधक और शुल्क

वित्तीय संस्थान; (ज) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए दी गई प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने या पट्टे पर देने या चूक की स्थिति में प्रबंधन संभालने के लिए सशक्त बनाना, यानी उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में उनके द्वारा जारी निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत करना।

समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक:

29. सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत, यह खुला है

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अदालत या एन. ए. एल. के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा हित को लागू करना, और

एस रिकवरी ट्रिब्यूनल प्रदान किया गया है। अपीलीय न्यायाधिकरण का अर्थ ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण किया गया है, और कार्रवाई के खिलाफ सभी/आवेदन का अधिकार धारा 17 में प्रदान किया गया हैई. बी. टी. एस. वसूली न्यायाधिकरण। इस प्रकार, आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण का गठन किया गया है।

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. 'बैंक' और 'बैंकिंग' की परिभाषाएँ महत्वपूर्ण हैं जो धारा 2 (1) (सी) में सरफेसी अधिनियम में प्रदान की गई हैं और

2 (1) ((घ) क्रमशः:

" 2. परिभाषाएँ। - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

((ग) "बैंक" का अर्थ है((i) एक बैंकिंग कंपनी; या

((ख) एक संबंधित नया बैंक; या

((ग) भारतीय स्टेट बैंक; या

((घ) सहायक बैंक; या

((v) ऐसा अन्य बैंक जिसके द्वारा केंद्र सरकारअधिसूचना, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करें;

***

(घ) "बैंकिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में दिया गया है।

1949) ; "

31. सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) (वी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी

बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (सी. सी. आई.) में परिभाषित सहकारी बैंकों को निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से कंपनी मामले

सरफेसी अधिनियम। निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गई थी:

" S.O.105 (E)। — वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रवर्तन की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (सी) की मद (वी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54), केंद्र सरकार इसके द्वारा खंड (सी. सी. आई.) में परिभाषित "सहकारी बैंक" को निर्दिष्ट करती है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के उद्देश्य से 'बैंक' के रूप में।

32. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) में, प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन और प्रतिभूति ब्याज की वसूली के माध्यम से एक 'बहु-राज्य सहकारी बैंक', डब्ल्यू. ई. एफ. 15.1.2013 को शामिल करके और संशोधन किए गए हैं।ऋण कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का सं. 1)। सरफेसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों में भी संशोधन किया गया।

इसी तरह का एक संशोधन पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम था। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 (डी) में खंड (vi) 'एक बहु-राज्य सहकारी बैंक' शामिल किया गया है। धारा 2 (डी) को नीचे निकाला गया है:

" 2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

((घ) "बैंक" का अर्थ है

((i) एक बैंकिंग कंपनी;

((ख) एक संबंधित नया बैंक;

((ग) भारतीय स्टेट बैंक;

((घ) सहायक बैंक; या

((v) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;((vi) एक बहु-राज्य सहकारी बैंक;

33. हमें विधायी क्षमता की जांच करनी होगी

एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002 के रूप में राज्य के भीतर सहकारी बैंकों के संबंध में संसद को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 44 सूची I के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। विधायी

एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002 के संबंध में संसद की क्षमता मुद्दे में नहीं है।

'बैंकिंग' का अर्थ

34. मुख्य मुद्दा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 में उपयोग किए गए 'बैंकिंग' के अर्थ के बारे में है। यह है।

'बैंक' और 'बैंकिंग' के अर्थ को समझना आवश्यक है। संविधान के लागू होने से पहले, बैंकिंग को पूर्ववर्ती बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों में इसके विस्तार के बाद, इसका नाम बदलकर बी. आर. अधिनियम, 1949 कर दिया गया। बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत 'बैंकिंग' की परिभाषा पर विचार करने से पहले, 'बैंक' और 'बैंकिंग' का अर्थ समझना आवश्यक है। बैंक का अर्थ आम तौर पर कोई भी प्रतिष्ठान होता है जोबैंकिंग। 'बैंक' शब्द को कई अधिनियमों में परिभाषित किया गया है। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में, 'बैंक' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" बैंक • एन. 1 एक वित्तीय प्रतिष्ठान जो जमा किए गए धन का उपयोग करता है

ग्राहकों द्वारा निवेश के लिए, आवश्यकता पड़ने पर इसका भुगतान किया जाता है,

ब्याज पर ऋण दें, और मुद्रा का आदान-प्रदान करें।

संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में 'बैंकिंग' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" बैंकिंग • एन. बैंक द्वारा संचालित व्यवसाय या प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, नौवें संस्करण 'बैंकिंग' का अर्थ है बैंक द्वारा या उसके साथ किया जाने वाला व्यवसाय। बैंक 'को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

" बैंक। (15(ग) 1. जमा, ऋण, विनिमय या धन जारी करने और धन के संचरण के लिए एक वित्तीय प्रतिष्ठान; विशेष रूप से। , फेडरल रिजर्व सिस्टम का सदस्य। ● प्रतिभूति कानून के तहत, बैंक में कोई भी वित्तीय संस्थान शामिल होता है, चाहे वह हो या न हो।

निगमित, संघीय या राज्य कानून के तहत व्यवसाय करना, यदि संस्थान के व्यवसाय के बड़े हिस्से में जमा प्राप्त करना या राष्ट्रीय बैंकों के लिए अनुमत प्रत्ययी शक्तियों का प्रयोग करना शामिल है और यदि संस्थान की निगरानी और जांच किसी राज्य या संघीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा की जाती है; या उपरोक्त संस्थानों में से किसी के रिसीवर, संरक्षक या अन्य परिसमापन एजेंट। 15 यूएससीए

§ 78 सी (ए) (6)। [मामले: बैंक और बैंकिंग 2,332,289, 359.] .

2. वह कार्यालय जिसमें ऐसा प्रतिष्ठान कार्य करता है।

लेनदेन "।

बैंक, डिपॉजिटरी बैंक, इरॉवी बैंक, फेडरल होम लोन बैंक, फेडरल लैंड बैंक, मध्यवर्ती बैंक, निवेश बैंक, म्यूचुअल

बचत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, परक्राम्य बैंक, गैर-सदस्य बैंक, भुगतान बैंक, बचत और ऋण बैंक, बचत बैंक।

'बैंक' शब्द को इससे संबंधित विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित किया गया है।

35. 'रिजर्व बैंक' को धारा 5 (1) में रिजर्व बैंक की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत का अधिनियम, 1934 (1934 का 2)। धारा 5 (हेक्टेयर) 'राष्ट्रीय बैंक' को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में परिभाषित करती है।राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के तहत स्थापित। 'भारतीय स्टेट बैंक' को धारा 5 (एन. सी.) में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिभाषित किया गया है।

36. प्रविष्टि 45 सूची I में प्रयुक्त 'बैंकिंग' शब्द रुस्तम कावासजी कूपर (ऊपर) में विचार के लिए आया, जिसमें इस न्यायालय की 11-न्यायाधीश पीठ ने 'बैंकिंग' के प्रश्न पर विचार किया और कहा:

दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

और उस कारण से सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 43 और 44 द्वारा पूरी तरह से शामिल किया गया है, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। प्रविष्टि 43 बैंकिंग कंपनियों सहित व्यापारिक निगमों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित है। विनियमित करने वाला कानून निगम का व्यवसाय निगम के विनियमन के संबंध में कोई कानून नहीं है। सूची I में व्यापार और वाणिज्य से स्पष्ट रूप से संबंधित प्रविष्टियाँ 41 और 42 हैं। फिर से सूची I में कई प्रविष्टियाँ चरित्र में व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित हैं। प्रविष्टि 45 "बैंकिंग";

प्रविष्टि 46 "विनिमय के बिल, चेक, वचन पत्र और इसी तरह के अन्य उपकरण"; प्रविष्टि 47 "बीमा"; प्रविष्टि 48 "स्टॉक एक्सचेंज और भविष्य के बाजार"; प्रविष्टि 49 "पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन"। सूची II-प्रविष्टि 21 में वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित कई प्रविष्टियाँ हैं।

" मत्स्य पालन "; प्रविष्टि 24" उद्योग XXX "; प्रविष्टि 25" गैस और गैस कार्य "; प्रविष्टि 26" व्यापार और वाणिज्य "; प्रविष्टि 30" धन उधार देने वाले और साहूकार "; प्रविष्टि 31" सराय और सराय-रखने "; प्रविष्टि 33" थिएटर और नाटकीय प्रदर्शन, सिनेमा आदि। .. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि राज्य विधान मंडल इन विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम हैं।

प्रविष्टियाँ केवल तभी की जाती हैं जब वाणिज्यिक गतिविधियाँ व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं न कि जब वे निगमों द्वारा की जाती हैं।

31. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को छोड़कर किसी भी भारतीय कानून में "बैंकिंग" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह याद किया जा सकता है कि उस अधिनियम की धारा 5 (बी) के अनुसार "बैंकिंग" का अर्थ है "ऋण देने या धन जमा करने के उद्देश्य से धन स्वीकार करना। जनता से मांग पर या अन्यथा देय और चेक, ड्राफ्ट या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य। परिभाषा में अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ शामिल नहीं थीं जिनमें एक बैंकिंग संस्थान शामिल हो सकता है।

32. अपने तर्क के समर्थन में श्री पालखीवाला ने राष्ट्रमंडल ऑस्ट्रेलिया बनाम में लॉर्ड पोर्टर के अवलोकन पर भरोसा किया। बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स, एल. आर. (1950) एसी 235 कि बैंकिंग इसमें ऋण का निर्माण और हस्तांतरण, ऋण बनाना, [2020] 5 एस. सी. आर. शामिल हैं।

निवेशों और अन्य संबंधियों की खरीद और निपटान

लेन-देन; और हैल्सबरी के कानूनों में बयान पर इंग्लैंड, तीसरा संस्करण।, खण्ड. 2 , अनुच्छेद 270 पीपी पर। 150 और 151 वह कि:

" एक 'बैंकर' एक व्यक्तिगत साझेदारी या निगम है, जिसका एकमात्र या प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग है, यानी चालू या जमा खाते में धन की प्राप्ति औरद्वारा निकाले गए चेक और उनके द्वारा भुगतान किए गए चेक का संग्रह

ग्राहक "।

और फुटनोट (जी) में पी। 151 वह:

" वर्तमान में कई अन्य कार्य किए जाते हैं।

बैंकों द्वारा दिन जैसे कि अधिवासित बिलों का भुगतान, की अभिरक्षा बहुमूल्य वस्तुएं, बिलों में छूट, निष्पादक और न्यासी व्यवसाय, या स्टॉक एक्सचेंज लेनदेन के संबंध में कार्य करना, और बैंकों के कुछ वित्तीय कानूनों के तहत कार्य होते हैं,

एक्स एक्स एक्स

ये कार्य सख्ती से बैंकिंग व्यवसाय नहीं हैं।

33. महान्यायवादी ने कहा कि प्रविष्टि 45, सूची I में "बैंकिंग" अभिव्यक्ति का अर्थ है व्यवसाय के सभी रूप जो भारत में बैंकिंग के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत के बाद से, बैंकिंग है।

संस्थान बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5 (बी) में परिभाषित बैंकिंग के अलावा और उस खाते पर बैंकिंग की धारा 6 (1) में वर्णित सभी प्रकार के व्यवसाय करते रहे हैं।

खंड (ए) से खंड (एन) में विनियमन अधिनियम, यदि इसके अलावा जारी रखा जाता है

"बैंकिंग का मूल" बैंकिंग और संसद प्रविष्टि 45, सूची I के तहत उस व्यवसाय के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है। उनके इस तर्क के समर्थन में कि उधार या निवेश के लिए जनता से धन स्वीकार करने के व्यवसाय के अलावा, और चेक, ड्राफ्ट या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य, बैंकिंग में कई संबद्ध व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल हैं जो बैंकिंग संस्थानों से जुड़ी थीं।में, महान्यायवादी ने बैंक ऑफ बंगाल के चार्टर के खंड 21 (1839 का अधिनियम 6); 1862 के अधिनियम 4 की धारा 27; 1876 के प्रेसीडेंसी बैंक अधिनियम 11 की धारा 36 और 37; ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम की धारा 91 (15); पेजेट के बैंकिंग कानून, 7वें संस्करण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। , पी पर। 5 ; पाल्मर्स कंपनी प्रेसीडेंट्स फॉर्म 138 में एक बैंकिंग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मानक रूप के लिए; और ऑब्जेक्ट्स के स्टेटमेंट के लिए दुरांग गणपति चौगुल v.

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936 के रूप में अधिनियमित विधेयक के समर्थन में कारण।

34. बैंक ऑफ बंगाल का चार्टर, 1862 का प्रेसीडेंसी बैंक अधिनियम 4, Ch. भारतीय कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936 द्वारा निगमित भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के एक्स-ए में केवल उस व्यवसाय का वर्णन किया गया है जिसे एक बैंकिंग संस्थान चला सकता है। इस प्रकार उन गतिविधियों को "बैंकिंग" अभिव्यक्ति के भीतर शामिल करने का इरादा नहीं था। के बाद अधिनियमित अधिनियमबैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 भी उस निष्कर्ष का समर्थन करता है। के तहत

उस अधिनियम की धारा 6 (1) में विनिर्दिष्ट। ये प्रावधान प्रविष्टि 45, सूची I में प्रविष्टि "बैंकिंग" का अर्थ लगाने में सहायता नहीं करते हैं। 35. भारत में अन्य स्थानों की तरह आधुनिक समय में, व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए, बैंकिंग प्रतिष्ठान अपने घटकों के लिए विभिन्न प्रकार की विविध सेवाएं प्रदान करते हैं और प्रदान करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर परीक्षण के लिए

यह निर्धारित करना कि संवैधानिक प्रविष्टि में "बैंकिंग" का क्या अर्थ है, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि है जिसमें बैंकर एक निश्चित समय पर संलग्न होते हैं, उस अभिव्यक्ति की सामग्री में बहुत अस्पष्टता पेश की जाएगी। संघीय संविधान में संवैधानिक प्रविष्टि का दायरा, जो कानून के एक क्षेत्र को तैयार करता है, इस पर निर्भर करता है किसंतोषजनक आधार।

36. सातवीं अनुसूची की सूची I में विधायी प्रविष्टि "बैंकिंग" है न कि "बैंकर" या "बैंक"। प्रविष्टि 45, सूची I में "बैंकिंग" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर शामिल करना, सभी वाणिज्यिक गतिविधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो एक बैंकर है।

बैंकरों की प्रथा या कानून के अधिकार से संविधान का पुनर्लेखन होगा। एक निर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति के निवेश में विषय के सभी आनुषंगिक मामले शामिल हैं। पूर्ण शक्ति की आकृति को इंगित करने वाले एक व्यापक पदनाम में व्यक्त की जाने वाली एक विधायी प्रविष्टि को व्यापक आयाम के लिए अनुकूल अर्थ प्राप्त होना चाहिए, हालांकि संघीय योजना में निहित सीमाओं के अधीन जो [2020] 5 एस. सी. आर. के बीच विधायी शक्ति का वितरण करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माँग पर या अन्यथा सार्वजनिक पुनर्भुगतान और चेक, ड्राफ्ट या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य। इंग्लैंड में बैंकिंग की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन न्यायालयों ने एक अर्थ और सिद्धांत विकसित किया है कि बैंक का वैध व्यवसाय क्या है।152. मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखते हुए, धारा 6 (1) के खंड (ए) में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जैसे कि उधार लेना, धन जुटाना या लेना, या ऋण देना या धन को आगे बढ़ाना के साथ सुरक्षित जमा भंडार प्रदान किया जाता है। यह खंड (एन) से प्रकट होगा

1949 के अधिनियम की धारा 6 (1) में कहा गया है कि खंड (ए) से (एम) में उल्लिखित व्यवसाय के रूपों के अलावा एक बैंकिंग कंपनी इसमें संलग्न हो सकती है।

"कंपनी के व्यवसाय के संवर्धन या उन्नति के लिए आनुषंगिक या अनुकूल अन्य सभी कार्य करने में"। खंड (ए) से खंड (एम) में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की गणना के बाद खंड (एन) में दिखाई देने वाले शब्द "अन्य चीजें" एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि खंड (ए) से खंड (एम) में उल्लिखित व्यवसाय सभी कंपनी के व्यवसाय के प्रचार या उन्नति के लिए आकस्मिक या अनुकूल हैं। इसलिए ये व्यवसाय न केवल बैंकों के वैध व्यवसाय हैं, बल्किये प्रतिष्ठित वाणिज्यिक बैंकों की सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत भी आते हैं। 7 वीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 45।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

घटक के प्रतिनिधि के रूप में बैंक की नियुक्ति। एजेंसी लेनदेन के रूप अलग-अलग हो सकते हैं। यह संग्रह एजेंट या संवितरण एजेंट या पक्षों के डिपॉजिटरी के रूप में कार्य कर सकता है। लेन-देन के संदर्भ में एजेंसी की श्रेणियों को कई गुना किया जा सकता है। यही कारण है कि खंड (बी) में उल्लिखित एजेंसी का व्यवसाय पहले किसी भी सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करने के सामान्य रूप में है, दूसरा माल की समाशोधन और अग्रेषण सहित किसी भी विवरण के एजेंसी व्यवसाय को करना और तीसरा ग्राहकों की ओर से वकील के रूप में कार्य करना। कारोबार. गारन्टी आधुनिक वाणिज्यिक शब्द में व्यावहारिक रूप से बैंक के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है और बैंक के व्यवसाय का एक हिस्सा है। प्रतिभूति प्रस्तुत करने के संबंध में बैंक गारंटी पर जोर देना न्यायालयों के लिए लगभग आम बात है। गारंटी के कई उदाहरण हो सकते हैं। ट्रस्टीशिप के व्यवसाय के बारे में [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और निष्पादन यह कहा जा सकता है कि यह बसने वाले की इच्छा है

1949 के अधिनियम की धारा 6 (1) में उल्लिखित। एक बैंक माल की खरीद या बिक्री या अदला-बदली में सौदा नहीं कर सकता है सिवाय संबंध के।उपरोक्त धारा 6 (1) में उल्लिखित कुछ व्यवसायों से संबंधित कुछ उद्देश्यों के साथ। ये प्रावधान यह भी स्थापित करते हैं कि 1949 के अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित व्यवसाय आकस्मिक और बैंकिंग व्यवसाय के लिए अनुकूल हैं। एक बैंक किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है जिसका पारिश्रमिक एक के रूप में है

बैंकिंग कंपनी के लाभ में कमीशन या हिस्सेदारी या जिनका पारिश्रमिक रिजर्व बैंक की राय में है

अत्यधिक। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक 1949 के अधिनियम की धारा 35 है, जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक किसी भी समय डुरांग गणपति चौगुल v.

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने परइसके एक या अधिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराया जाना

लेखा बहियां और केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना

कंपनी के हितों के नुकसान के लिए संचालित किया जा रहा हैइसके जमाकर्ता, बैंकिंग कंपनी को प्राप्त करने से रोक सकते हैं

ताजा जमा या रिजर्व बैंक को धारा के तहत आवेदन करने का निर्देश दें।

38 बैंकिंग कंपनी के समापन के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात

1949 के अधिनियम में प्रावधान, धारा 27 में पाया जाता है जो प्रदान करता है निर्धारित प्रपत्र और तरीके से मासिक विवरणी के लिए

परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ। के अधीन रिजर्व बैंक की शक्ति1949 के अधिनियम की धारा 27 और 35 के मामलों से संबंधित है

बैंकिंग कंपनी जो व्यवसाय के विभिन्न रूपों को समझती है

1949 के अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित बैंक का। फिर एक बार 1949 के अधिनियम की धारा 29 में निम्नलिखित से संबंधित खातों पर विचार किया गया है -

बैंक द्वारा लेन-देन किए गए सभी व्यवसाय के खाते। धारा 35-ए

1949 का अधिनियम रिजर्व बैंक को निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है

बैंक के मामलों के संबंध में। ये प्रावधान इंगित करते हैं

सन्देह के किसी भी उपाय से परे कि व्यवसाय के सभी रूपों का उल्लेख किया गया है

1949 के अधिनियम की धारा 6 (1) में वैध, वैध व्यवसाय हैं।

एक बैंक के रूप में ये व्यापार की वृद्धि के साथ बढ़े हैं और

और इसका एकमात्र अर्थ पुरुषों की सामान्य समझ होगी।और बैंकिंग के संबंध में स्थापित प्रथा। यही कारण है कि

व्यवसाय के ये विवादित रूप वैध के दायरे में आते हैं बैंक का व्यवसाय "।

(जोर दिया गया)

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया निवेदन कि बैंकिंग व्यवसाय का अर्थ है

बैंकिंग का कट्टर, स्वीकार नहीं किया गया था। यह माना गया कि

' 'बैंकिंग' का कभी कोई स्थिर अर्थ नहीं रहा है, और इसका एकमात्र अर्थ है

ई पुरुषों की सामान्य समझ और स्थापित अभ्यास

बैंकिंग। व्यवसाय के विभिन्न रूप वैध दायरे में आते हैं।

एक बैंक।

37. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि बी. आर. अधिनियम, 1949

वित्तीय गतिविधि की दो श्रेणियों का निर्धारण करता है जो एक बैंक कर सकता है।

(1) धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय के रूप में, अर्थात, कोर बैंकिंग

(2) धारा 6 (1) में उपबंधित कोई अन्य व्यवसाय।

अन्यथा, रुस्तम कावासजी कूपर (ऊपर) पर निर्भरता रखी गई है। महालक्ष्मी बैंक लिमिटेड में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय।

क), सेवा में लगाया जाता है, जिसमें यह आयोजित किया गया था:

" 5. इसके बाद उक्त परिवर्तनों को प्रभावी बनाने वाले विशेष प्रस्ताव की मंजूरी के लिए इस न्यायालय में एक आवेदन किया गया था। न्यायालय ने कुछ विज्ञापनों को जारी करने का निर्देश दिया और कंपनी अधिनियम, 1956 के Sec.17 द्वारा आवश्यक सामान्य नोटिसों की सेवा का भी निर्देश दिया। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के पंजीयक ने इसके विरोध में एक शपथ पत्र दायर किया और सुनवाई में आवेदन का विरोध किया लेकिन कंपनी के किसी भी लेनदार या शेयर धारक ने आवेदन का विरोध नहीं किया। पी. बी. मुखर्जी, जे., जिनके समक्ष आवेदन की सुनवाई की गई थी, ने पंजीयक द्वारा उठाई गई दलीलों को प्रभावी बनाया और आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान न्यायाधीश

अन्य बातों के साथ-साथ अपने निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" शुरू में यह कहा जाना चाहिए कि यह एक जिज्ञासु अनुप्रयोग है। यदि उद्देश्य "ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों या फर्मों को और ऐसी शर्तों पर धन उधार देना है जो समीचीन लगें", तो यह छद्म रूप में किसी प्रकार के बैंकिंग के बराबर हो सकता है। यह बिल्कुल सच है कि बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत, बैंकिंग को जनता से धन की जमा राशि को उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से स्वीकार करने के लिए परिभाषित किया गया है, जो मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान योग्य है, और चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य है। थोड़े चतुराई से हेरफेर करके, याचिकाकर्ता प्रस्तावित संशोधन के तहत बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रख सकता है, हालांकि इस तरह के संशोधन की अनुमति देने से यह गैर-बैंकिंग की आड़ में होगा।

कम्पनी '।

यह तर्क दिया गया है कि विद्वान न्यायाधीश की ये टिप्पणियां बैंकिंग व्यवसाय की वास्तविक प्रकृति और चरित्र की गलत धारणा के कारण हैं। अपीलार्थी कंपनी के विद्वान वकील द्वारा 'बैंकिंग' शब्द की परिभाषा पर रिलायंस को इस रूप में रखा गया हैबैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के Sec.5 (1) (b) में दिया गया है, जो

यह इस प्रकार है:

" बैंकिंग 'का अर्थ है, उधार देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशि को स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश द्वारा निकासी योग्य हो। या अन्यथा "।

अब यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि जमा पर धन प्राप्त करना ग्राहकों से और उनके चेक का सम्मान करना आवश्यक है।

बैंकिंग की विशेषता। ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन का उपयोग बैंकर द्वारा इसे उधार देने या निवेश करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन बैंक जमा राशि को चुकाने का दायित्व भी निभाता है।

मांग या अन्यथा और वह तरीका जिसके द्वारा दुरंग गणपति चौगुले v को वापस लिया जाता है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

जमा को चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अन्यथा, यानी समान तरीकों से जारी किया जा सकता है। 6. हार्ट्स लॉ ऑफ बैंकिंग में, एक बैंकर या बैंक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में, धन प्राप्त करता है जिसे वह उन व्यक्तियों के चेक का सम्मान करके भुगतान करता है जिनके खाते में वह इसे प्राप्त करता है। सर जॉन पेजेट ने बैंकिंग पर अपनी पुस्तक में कहा है कि "कोई भी व्यक्ति या निकाय कॉर्पोरेट या अन्यथा एक बैंकर नहीं हो सकता है जो (1) जमा खाते नहीं लेता है, (2) चालू खाते नहीं लेता है, (3) चेक जारी करता है और भुगतान करता है, और (4) अपने ग्राहकों के लिए

पार किए गए और बिना पार किए गए चेक एकत्र करता है।" शेल्डन ने पृष्ठ 183 पर अपनी पुस्तक ऑन द प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ बैंकिंग के सातवें संस्करण में बैंकर की निम्नलिखित परिभाषा तैयार की है।

" एक व्यक्ति तब तक बैंकिंग का व्यवसाय करने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह चालू खाते में धन का प्रतिनिधित्व करने वाले धन या साधन प्राप्त नहीं करता है, उस पर निकाले गए चेक का सम्मान नहीं करता है और चेक की आय एकत्र नहीं करता है जिसे उसके ग्राहक संग्रह के लिए उसके हाथों में रखते हैं।

री बॉटमगेट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी, (1891) 65 एल. टी. 712 के मामले में पी. 714 , स्मिथ, जे. बैंकरों के व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित करते हैं:

" बैंकर के व्यवसाय का प्रमुख भाग जमा पर धन प्राप्त करना है, जिससे जमाकर्ता जब चाहे उसके खिलाफ धन निकाल सकता है और खड़ी राशि पर ब्याज का भुगतान कर सकता है।

जमा पर "।

उप-धारा (1) में। इसलिए बैंकिंग कंपनी को किसी भी प्रकार का आनुषंगिक या संबद्ध व्यवसाय करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। धारा की उप-धारा (1) के उपखंड (ए) से (ओ) में गिने गए उपखंडों की तुलना में। 6 अधिनियम से। इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि सार

बैंकिंग वह संबंध है जो जमा के समय अस्तित्व में लाया जाता है; यही बैंकिंग का मूल है। यह सच है कि बैंकिंग व्यवसाय में जमा, अभिरक्षा, निवेश, ऋण, विनिमय, निर्गम और [2020] 5 एस. सी. आर. का हर संभव चरण या संयोजन शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धन का संचरण, ऋण का सृजन और हस्तांतरण और अन्य

संबंधित गतिविधियाँ लेकिन यदि बैंकिंग की आवश्यक विशेषता है,

अर्थात्, जनता से जमा प्राप्त करने की शक्ति जो धारा में बताए गए तरीके से पुनर्भुगतान योग्य है। 5 (1) (ख) बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा अनुपस्थित है और केवल ऋण देने की शक्ति है।इसे बनाए रखा जाता है और प्रयोग किया जाता है कि, मेरे विचार में, कंपनी को एक बैंकिंग कंपनी नहीं बनाता है। धन उधार देना बैंकिंग व्यवसाय का एक चरण हो सकता है लेकिन यह मुख्य चरण या मुख्य चरण नहीं है।

विशिष्ट चरण। बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड के मामले में v.

कुंजा बिहारी कर, 1944 एफसीआर 370: (ए. आई. आर. 1945 एफ. सी. 2) संघीय न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि बंगाल धन ऋणदाता अधिनियम, 1940 एक ऐसा विधान था जो

प्रविष्टियों संख्या में बैंकिंग के मद के भीतर आता है। 33 और सरकार की अनुसूची VII की सूची 1 का 38

भारत अधिनियम, 1935 ग्राहकों को धन उधार देने के लिए या

वचन पत्रों पर धन आगे बढ़ाना इसका एक प्रमुख हिस्सा है

बैंकिंग व्यवसाय और टेनेंट बनाम का मामला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कनाडा, 1894 ए. सी. 31 को संदर्भित किया गया था, लेकिन संघीय न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। यह इंगित किया गया था कि किसी बैंक द्वारा धन उधार देने से इस तरह के धन उधार का हिस्सा बन सकता है।बैंकिंग व्यवसाय लेकिन अन्यथा नहीं (पृष्ठ 389 पर सी. जे. के अनुसार) "।

38. आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा किया गया है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही विभिन्न व्यवसायों के तहतई (ए) से (ओ) धारा 6 (1) के बंद कर रहे हैं, कंपनी अभी भी होगा

बैंकिंग कंपनी जब तक वह मुख्य बैंकिंग का काम कर रही है

धारा 5 (बी) के तहत आयन। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 37. हम जो बिंदु बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है कि इसके अलावा

जमा स्वीकार करने और उक्त 1949 अधिनियम के तहत ऋण देने का प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग कंपनियों के लिए उद्यम करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश छोड़ता है

नए व्यवसायों में ऐसे व्यवसाय जो नियामक के नियंत्रण के अधीन हों। आरबीआइ। दूसरे शब्दों में, 1949 का अधिनियम बैंकिंग कंपनियों को गतिविधियों और व्यवसाय करने की अनुमति देता है।

जब तक वे प्रतिबंधों और प्रतिबंधों को आकर्षित नहीं करते हैं जैसे

जो धारा 8 और 9 में निहित हैं। इस संबंध में हमें इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि धारा 6 (1) (एन) एक बैंकिंग कंपनी को ऐसा करने में सक्षम बनाती है।

सभी चीजें जो पदोन्नति के लिए आकस्मिक या अनुकूल हैं या कंपनी के व्यवसाय की उन्नति। धारा 6 (1) बैंकिंग कंपनियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने में सक्षम बनाती है। के तहत

धारा 6 (1), ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त हैं। कोर बैंकिंग।

पांडुरंग गणपति चौगुले v शब्दों का महत्व। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

" इसके अलावा धारा 6 (1) में कहा गया है कि भले ही खंड (ए) से (ओ) के तहत विभिन्न व्यवसाय बंद कर दिए जाते हैं, तब भी कंपनी तब तक एक बैंकिंग कंपनी रहेगी जब तक कि यह मुख्य बैंकिंग में है।

जमा स्वीकार करना और ऋण देना ताकि इसकी मुख्य आय

जिसे "ब्याज आय" कहा जाता है। इस प्रकार, हम बैंकिंग कंपनी के कार्यों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जमा और ऋण स्वीकार करने और विविध कार्यों और सेवाओं की मुख्य बैंकिंग। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 6 व्यवसाय के उस रूप का प्रावधान करती है जिसमें बैंकिंग कंपनियां संलग्न हो सकती हैं। इस प्रकार, आर. बी. आई. को एक ऐसी नीति बनाने का अधिकार है जोयह बैंकिंग कंपनियों को कोर बैंकिंग के अलावा गतिविधियों में शामिल होने में सक्षम बनाएगा और इस प्रक्रिया में यह परिभाषित करता है कि इसका गठन क्या है।

" बैंकिंग व्यवसाय "।

इसमें 'सहकारी बैंक' शामिल नहीं हैं। सहकारी बैंक की गतिविधि धारा 5 (1) (बी) के तहत आती है। रुस्तम कावासजी कूपर (ऊपर) में इसी तरह की प्रस्तुति स्वीकार नहीं की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक वाणिज्यिक गतिविधि को सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। बैंकिंग का अपने आप में एक व्यापक अर्थ है, और सहकारी बैंकों की गतिविधि निश्चित रूप से, किसी भी संदेह से परे, सूची I की प्रविष्टि 45 में शामिल है।40. अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि बैंकिंग के कानूनी शब्द 'नामकरण न्याय' को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है। जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तब उक्त अधिनियम में 'बैंकिंग' की परिभाषा प्रचलित थी। संविधान निर्माताओं ने भी यही अभिव्यक्ति अपनाई। इस प्रकार, आशय का कानून में सटीक और निश्चित अर्थ था और इसलिए, इसके ज्ञात कानूनी [2020] 5 एस. सी. आर. को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

rt. इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय द्वारा गैनन डंकरली एंड कंपनी, (मद्रास) लिमिटेड (ऊपर) में टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया है, जो यह अभिनिर्धारित किया गया था:

" (36) इन निर्णयों का सिद्धांत यह है कि जब किसी कानून के अधिनियमन के बाद नए तथ्य और स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिन पर विचार नहीं किया जा सकता था, तो वैधानिक प्रावधान उन पर उचित रूप से लागू किया जा सकता है यदि उनके शब्द व्यापक अर्थों में उन्हें समाहित करने में सक्षम हैं। उस स्थिति में, "यह नहीं है", जैसा कि लॉर्ड राइट ने 1936 एसी 578 (एच) में देखा था, कि शब्दों का अर्थ बदल जाता है, लेकिन बदलती परिस्थितियाँ।

उस अर्थ के पूर्ण महत्व को स्पष्ट और प्रकाशित करें। तब सवाल यह नहीं होगा कि निर्माता उन शब्दों से क्या समझते हैं, बल्कि यह होगा कि क्या वे शब्द नए तथ्यों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं। स्पष्ट रूप से, यह सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। बिक्री कर कोई ऐसा विषय नहीं था जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के बाद प्रचलन में आया हो। यह उस क़ानून के निर्माताओं को पता था और उन्होंने प्रविष्टि 48 के तहत इसके लिए स्पष्ट प्रावधान किया था। फिर यह केवल शब्दों की व्याख्या करने का सवाल बन जाता है, और पहले से ही बताए गए सिद्धांत पर, कि कानूनी महत्व को जानने वाले शब्दों का अर्थ उसी अर्थ में लगाया जाना चाहिए जो उनके पास था।

इस अर्थ में उस प्रविष्टि के भीतर बनाए रखा जा सकता है, विवादित प्रावधान अभी भी सरकार की धारा 107 के तहत खराब होंगेभारत अधिनियम और दुखिनेश्वर सरकार बनाम में निर्णय। इस विवाद के समर्थन में वाणिज्यिक कर अधिकारी, (एस) ए. आई. आर. 1957 कैल 283 (जेड 19) पर भरोसा किया गया था। जहाँ तक सामग्री की बात है, धारा 107 इस प्रकार है:

धारा 107 (1) "यदि किसी प्रांतीय कानून का कोई प्रावधान किसी डोमिनियन कानून के किसी प्रावधान के लिए प्रतिकूल है जिसे डोमिनियन विधानमंडल अधिनियमित करने के लिए सक्षम है या समवर्ती में उल्लिखित मामलों में से किसी एक के संबंध में मौजूदा कानून के किसी प्रावधान के लिए प्रतिकूल है।

विधायी सूची, तब, इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिराज्य कानून, चाहे वह प्रांतीय कानून से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या, जैसा भी मामला हो, मौजूदा कानून प्रबल होगा और प्रांतीय कानून, प्रतिकूलता की सीमा तक, शून्य होगा।

दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

या उस मामले के संबंध में कोई मौजूदा कानून, तब, यदि प्रांतीय कानून, जिसे गवर्नर जनरल के विचार के लिए आरक्षित किया गया है, को गवर्नर-जनरल की सहमति मिल गई है, तो उस प्रांत में प्रांतीय कानून प्रबल होगा, लेकिन फिर भी डोमिनियन विधानमंडल किसी भी समय उसी मामले के संबंध में आगे का कानून बना सकता है। अब, तर्क यह है कि मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम में दी गई "बिक्री" की परिभाषा माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में दी गई परिभाषा के विपरीत है, कि माल की बिक्री समवर्ती सूची की प्रविष्टि 10 के भीतर आने वाला मामला है, और इसके परिणामस्वरूप, मद्रास सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1947 के रूप में। 1947 का 25) जिसके तहत विवादित प्रावधान किए गए थे

अधिनियमित, गवर्नर जनरल की सहमति के लिए आरक्षित नहीं किया गया था जैसा कि धारा 107 (2) में प्रदान किया गया था। इसके प्रावधान इस हद तक खराब हैं कि वे "बिक्री" की परिभाषा के प्रतिकूल हैं।

माल की बिक्री अधिनियम, 1930। इस तर्क का संक्षिप्त उत्तर यह है कि मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम माल की बिक्री से संबंधित नहीं है, बल्कि माल की बिक्री पर कर से संबंधित एक कानून है,

और यह समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों में से एक नहीं है या जिस पर डोमिनियन विधायिका एक कानून बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन सूची II में प्रविष्टि 48 के तहत प्रांत की अनन्य क्षमता के भीतर एक मामला है। इस तरह के कानून के संदर्भ में केवल एक ही सवाल उठ सकता है कि क्या यह उस प्रविष्टि के दायरे में है। यदि ऐसा है, तो धारा 107 के तहत तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। निर्णय में

(एस) एआईआर 1957 कैल 283 (जेड 19) को इस बिंदु पर ध्वनि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

डायमंड शुगर मिल्स लिमिटेड (ऊपर) में, यह आयोजित किया गया था:

उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए और प्रदत्त शक्तियों को दिया जाना चाहिएसबसे व्यापक आयाम; दूसरी ओर हमें शब्दों के अर्थ को उनके विस्तार से आगे बढ़ाने से खुद को बचाना होगा।

उचित अर्थ, विधायिका की शक्ति को बनाए रखने की चिंता में। [2020] 5 एस. सी. आर. की मध्य प्रांतों और बरार बिक्री में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मोटर स्पिरिट और स्नेहक कराधान अधिनियम, 1938,1939 एफ. सी. आर. 18 पी. 37 : (ए. आई. आर. 1939 एफ. सी. 1 पी. 4) सर मौरिस ग्वायर, सी. जे. ने कहा:" मेरा मानना है कि एक व्यापक और उदार भावना को उन लोगों को प्रेरित करना चाहिए जिनका कर्तव्य इसकी व्याख्या करना है, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि वे किसी भी कानूनी या संवैधानिक सिद्धांत के हित में या किसी भी कथित त्रुटियों को सुधारने के उद्देश्य से अधिनियम की भाषा को फैलाने या विकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पुनः, नवीनचंद्र मफतलाल बनाम। आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी, 1955 1 एस. सी. आर. 829: ((एस) ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 58) दास, जे. (जैसा कि वे उस समय कर रहे थे) ने इस न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा: व्याख्या का मुख्य नियम हालांकि यह है कि शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए।

इस सवार के अधीन कि विधायी शक्ति प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिनियम में शब्दों का अर्थ लगाने में सबसे उदार

शब्दों पर निर्माण किया जाना चाहिए ताकि वे अपने व्यापक आयाम में प्रभाव डाल सकें। (25) यह सच है कि जब शब्दों और वाक्यांशों की पहले व्याख्या की गई थी

न्यायालयों द्वारा पिछले कानून को प्रतिस्थापित करने वाले बाद के अधिनियम में विधानमंडल द्वारा उपयोग किया जाता है, एक धारणा है कि विधानमंडल ने उनके उपयोग से वही अर्थ व्यक्त करने का इरादा किया था जो न्यायालयों ने उन्हें पहले ही दे दिया था। हालाँकि इस धारणा का उपयोग केवल बाद के क़ानून

की व्याख्या में सहायता के रूप में किया जा सकता है और इसे निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। जैसा कि श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने संघीय संचार में कहा था

आयुक्त वी. कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑफ कैलिफोर्निया, (1940) 311 यू. एस. 132 जब इस सिद्धांत पर विचार किया जाता है, तो इस सिद्धांत के पीछे जो अनुनय है, वह भाषा को उचित अर्थ देने के कुल प्रयास में केवल एक कारक है। यह धारणा मजबूत होगी जहां पिछले क़ानून के शब्दों को देश के विभिन्न न्यायालयों में निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा एक निश्चित अर्थ प्राप्त हुआ है और विशेष रूप से मजबूत होगी जब ऐसी व्याख्या की गई हो।देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया या पुष्टि की गई। लेकिन हम यह कहना उचित समझते हैं कि यह धारणा स्वाभाविक रूप से बहुत कमजोर होगी जब व्याख्या एक एकल में दी गई थी।

मामला और अपील में परीक्षण नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद आई. एल. आर. (1942) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सभी 302: (ए. आई. आर. 1942 ऑल 156) (ऊपर) "स्थानीय क्षेत्र" शब्दों के अर्थ और ऊपर उल्लिखित व्याख्या के नियम के उचित महत्व के बारे में, हम पांडुरंग गणपति चौगुले v के हैं।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

राय है कि संविधान निर्माताओं ने "स्थानीय क्षेत्र" शब्दों का उपयोग उस अर्थ में नहीं किया जो विद्वान न्यायाधीश ने उससे जोड़ा था। हमारी राय है कि शब्दों के साथ उचित अर्थ जोड़ा जाना चाहिए।

" संविधान की प्रविष्टि 52 में "स्थानीय क्षेत्र" (जब क्षेत्र कानून लागू करने वाले राज्य का हिस्सा है) एक स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, संघ बोर्ड, पंचायत या इसी तरह के स्थानीय निकाय द्वारा प्रशासित क्षेत्र है। इसलिए एक कारखाने का परिसर एक "स्थानीय क्षेत्र" नहीं है।

लाइसेंस के तहत बैंकिंग की गतिविधियों को करने वाले सहकारी बैंक। यह सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में आता है।42. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 32 और 33 के बल पर, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि

धारा 32 इस बात को मान्यता देती है कि भारतीय स्टेट बैंक 'एजेंसी' चला सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 'व्यवसाय'। धारा 33 भारतीय स्टेट बैंक को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) के तहत धारा 5 (बी) और व्यवसाय के अन्य रूपों के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने में सक्षम बनाती है। तर्क का कोई फायदा नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 स्वतंत्र है और सहकारी बैंकों के साथ सह-संबंधित नहीं है, और भारतीय स्टेट बैंक को इस अधिनियम के तहत एक निगम के रूप में स्थापित किया गया है। इस प्रकार,अपीलार्थियों की ओर से उन्हें सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे से बाहर निकालने के लिए स्वीकार किए गए निवेदन को घर ले जाने में कोई मदद नहीं होगी।

43. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि इकाई और गतिविधि के बीच अंतर है। खंड के एक सादे पठन पर 6 (1) बी. आर. अधिनियम, 1949 के अनुसार, यह स्पष्ट हो जाता है कि बैंकिंग व्यवसाय और बैंकिंग कार्य करने वाली संस्था के बीच अंतर है।

कार्य। धारा 6 (1) और 6 (2) केवल एक इकाई को कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक कार्यों को करने में सक्षम बनाती है। यह ऐसा कोई दर्जा प्रदान नहीं करता है।

ऐसी इकाई।

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. हमारी राय में, धारा 6 व्यवसाय के उन रूपों से संबंधित है जिनमें बैंकिंग कंपनियां संलग्न हो सकती हैं। कोई भी रूप नहीं हो सकता है

धारा 6 में उल्लिखित किसी भी व्यवसाय में संलग्न हों।प्रविष्टियों का प्रभाव सूची I की 43 और 45 और सूची II की 32 प्रविष्टियों का प्रभाव

भारत का संविधान

45. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 43 को अपीलार्थियों की ओर से सेवा में लगाया गया है। यह संसद को संबंधित कानून पारित करने की क्षमता प्रदान करता है -

' व्यापार निगम, विशेष रूप से, एक बैंकिंग निगम का निगमन, विनियमन और समापन। लेकिन, सहकारी समितियों को संसद की क्षमता के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूची I की प्रविष्टि 43 में निगमन, विनियमन और

सहकारी समितियों के समापन को संघ सूची के दायरे से बाहर रखा गया है और विशेष रूप से सहकारी समितियों को बाहर रखा गया है, अन्यथा उन्हें सूची I की प्रविष्टि 43 में 'निगमन, विनियमन और समापन' के लिए शामिल किया जाता। 'निगमन, विनियमन और सहकारी समितियों का समापन' शब्द सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य विषयों के रूप में आरक्षित थे, इसलिए इसे सूची I की सूची 43 से हटा दिया गया था। लेकिन सूची I की प्रविष्टि 43 से 'निगमन' निकालते हुए उन्हें बाहर कर दिया गया।

संसद के दायरे से बाहर सहकारी समितियों का विनियमन और समापन, सहकारी बैंकों के उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता है। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप, यह भी आग्रह किया गया कि बैंकिंग कंपनी को धारा 277 एफ की धारा द्वारा परिभाषित और शासित किया गया था।277N कंपनी अधिनियम (1913 का VII) के अध्याय X-A के तहत। इसे 1936 के संशोधन अधिनियम No.22 के माध्यम से जोड़ा गया

था। 10.3.1949 पर, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 लागू किया गया था। बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 का प्राथमिक उद्देश्य एक व्यापक परिभाषा प्रदान करना था -

' बैंकिंग 'उन सभी संस्थानों को अपने दायरे में लाना जो ऋण या निवेश के लिए मांग पर या अन्यथा पुनर्भुगतान योग्य जमा प्राप्त करते हैं। जिसमे

प्रासंगिक समय, भारत सरकार अधिनियम, 1935, जो दुरंग गणपति चौगुले v से संबंधित था।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

'बैंकिंग' के साथ-साथ 'व्यापारिक निगम' का सीटी, सूची I (संघीय) में था।

लैटिव लिस्ट), इस प्रकार:

" "बैंकिंग" के संबंध में प्रविष्टि 38: बैंकिंग ", अर्थात,

इसके अलावा अन्य निगमों द्वारा बैंकिंग व्यवसाय का संचालन एक संघ राज्य द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित निगम और केवल उस राज्य के भीतर व्यवसाय करते हैं।

और केवल उस राज्य या सहकारी समितियों के भीतर और निगमों का, चाहे व्यापार हो या न हो, उद्देश्यों के साथ व्यवसाय करना।यह किसी एक इकाई तक सीमित नहीं है (लेकिन इसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं)।

भारत सरकार अधिनियम की प्रविष्टि 38 को सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के रूप में फिर से अधिनियमित किया गया था, जबकि प्रविष्टि 33 को प्रविष्टि 43 और 44 में विभाजित किया गया था। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 1965 , संसद द्वारा विनियमित प्राथमिक इकाई एक ऐसी कंपनी थी जिसे प्रविष्टि 43 में स्थान मिला था। इस प्रकार, दोनों में

कार्य, अर्थात, बैंकिंग और एक इकाई के रूप में, सूची I (प्रविष्टि 45 के तहत बैंकिंग और प्रविष्टि 43 के तहत कंपनी) में आता है। इसलिए, यह संसद के नियंत्रण में था। 1965 तक, बैंकिंग कंपनियाँ।

अधिनियम, 1949, केवल बैंकिंग कंपनियों नामक एक न्यायिक इकाई से संबंधित था। फिर प्रस्तावना से "कंपनी" शब्द को हटा दिया गया। द.

बैंकिंग निगम भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शासित था। अधिनियम, 1955। इस प्रकार, सूची I के दायरे से बाहर किसी इकाई के बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करने का सवाल कभी नहीं उठा। 1965 में सरकार ने बैंकिंग कानून (सहकारी संस्थाओं पर लागू) बनाए।

सोसायटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम No.23) और

सहकारी बैंकों के लिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधान। इस प्रकार, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि उक्त संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण केवल संबंधित प्रविष्टि 45 को विनियमित करने के लिए था न कि सहकारी समितियों को विनियमित करने के लिए। सहकारी बैंकों के 'निगमन, प्रबंधन और समापन' से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया था क्योंकि वे इसके अंतर्गत नहीं आते थे। सूची I की प्रविष्टि 45।

46. विद्वान वकील श्री देवांश ए. मोहता ने आगे तर्क दिया कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 2 (10) के तहत

एड 'सहकारी बैंक' इस प्रकार:

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, (10) " "सहकारी बैंक" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में परिभाषित बैंकिंग का व्यवसाय कर रही है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

समिति जो अध्याय 11 के तहत एक सहकारी कृषि और ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बैंक के रूप में कार्य कर रही है या कार्य करने वाली है;

महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 91 के तहत, संविधान, प्रबंधन या व्यवसाय से संबंधित किसी भी विवाद को किसी के पास भेजा जाना आवश्यक है।

सहकारी न्यायालय। इसी तरह, मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धारा 2 (एफ) 'को-ऑपरेटिव बैंक' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, जो बैंकिंग व्यवसाय करती है। धारा 84 (2) के तहत, किसी भी बकाया ऋण या मांग के दावे को बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन, प्रबंधन या व्यवसाय को छूते हुए विवाद माना जाएगा। संसद ने बी. आर. अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के विशिष्ट प्रावधानों का विस्तार किया है, जो क्रमशः सूची I की प्रविष्टि 45 और सूची I की प्रविष्टि 38 से संबंधित हैं। संसद में सहकारी समितियों के किसी भी अन्य व्यवसाय, कार्य या पहलू को विनियमित करने के लिए विधायी क्षमता का अभाव है। यह एक वसूली प्रक्रिया प्रदान नहीं कर सकता था क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में है। हम विद्वान वकील द्वारा उठाए गए उपरोक्त निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

47. दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (उपरोक्त) में, आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के संदर्भ में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संसद के पास अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता है। सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग'

इसके सहायक या सहायक मामलों के संबंध में कानून को समझना। संसद बैंकिंग व्यवसाय के संचालन के संबंध में एक कानून बना सकती है, जिसमें बैंकों के बकाया की वसूली शामिल है, और उस उद्देश्य के लिए, बैंकिंग न्यायाधिकरण जैसे न्यायिक निकाय की स्थापना की अनुमति है। इस प्रकार, आर. डी. बी. के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना

अधिनियम, 1993 को बरकरार रखा गया। न्यायालय ने राय दी:" 14. दिल्ली उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति का स्रोत सूची III की प्रविष्टि 11-ए है जो "न्याय के प्रशासन, संविधान और संविधान" से संबंधित है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का संगठन। हमारी राय में, सूची I की प्रविष्टि 45 में अब अधिनियमित विधानों के प्रकार शामिल होंगे। सूची I की प्रविष्टि 45 "बैंकिंग" से संबंधित है।

बैंकिंग पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में. चूंकि सूचियों में से किसी भी वस्तु को संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ में नहीं पढ़ा जाना है, इसलिए प्रविष्टि 45 में "बैंकिंग" शब्द का अर्थ बैंकिंग के सभी पहलुओं के बारे में कानून बनाना होगा।बैंकिंग से संबंधित सहायक या सहायक मामले। लेन-देन से संबंधित बैंकिंग न्यायाधिकरण जैसे न्यायिक निकाय की स्थापना, जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थान संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत आती है, जिससे संसद को इसके संबंध में कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति मिलती है।

48. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि बकाया की वसूली किसी भी बैंकिंग संस्थान का एक आवश्यक कार्य होगा

और संसद सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत एक कानून बना सकती है सहकारी बैंकों द्वारा की जाने वाली बैंकिंग गतिविधि सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में आती है। जाहिर है, यह संसद के लिए खुला है कि वह सरफेसी अधिनियम की धारा 13 के तहत वसूली के लिए उपाय प्रदान करे।

सहकारी बैंक का पूरा संचालन और बैंकिंग की गतिविधि सूची I की प्रविष्टि 45, यानी बी. आर. अधिनियम, 1949 और सूची I की प्रविष्टि 38 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत अधिनियमित कानून द्वारा नियंत्रित होती है।

त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960 की धारा 187 के तहत त्रिपुरा अधिनियम की बिक्री पर विधायी प्रतिबंध था। बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरवी रखी गई संपत्ति जो इसका सदस्य नहीं है

एक अनुसूचित जनजाति। मामले में नीलामी खरीदार अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं थे। इस न्यायालय ने कहा कि

सरफेसी अधिनियम बैंक को किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने में सक्षम बनाता है।

31 (2017) 2 एससीसी 585 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ उसके पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया गया है और बकाया चुकाने के लिए किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति बेच दी गई है। इस न्यायालय ने कहा कि संसद ने प्रविष्टि 45 के लिए विशेष रूप से व्यवहार करने योग्य कानून अधिनियमित कियासुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों के साथ, जो केंद्रीय कानून होने के नाते प्रबल होंगे, इस प्रकार:

" 15. वर्तमान मामले में केंद्रीय और के बीच संघर्ष

राज्य अधिनियम एक स्पष्ट अतिक्रमण के कारण है

केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बैंकिंग के क्षेत्र में भूमि सुधार से संबंधित राज्य अधिनियम के प्रावधान। इसलिए, परीक्षण यह पता लगाने के लिए होगा कि किस कानून को ध्यान में रखते हुए प्रमुख कानून हैअतिक्रमण का क्षेत्र।

18. 2002 का अधिनियम बैंकिंग के प्रवेश से संबंधित है जो सातवीं अनुसूची की सूची I में शामिल है। बैंक द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री व्यवसाय का एक अविभाज्य और अभिन्न अंग है। बैंकिंग। राज्य अधिनियम का उद्देश्य, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, राज्य में भूमि राजस्व कानून को समेकित करने का एक प्रयास है और

कृषि सुधारों के उपाय प्रदान करना। का क्षेत्र

राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया अतिक्रमण किस क्षेत्र में है

बैंकिंग। जब तक सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित और सूची I की प्रविष्टि 45 के लिए संदर्भित कोई समानांतर केंद्रीय अधिनियम मौजूद नहीं था, तब तक धारा 187 सहित राज्य अधिनियम वैध रूप से संचालित था। हालाँकि, जिस क्षण संसद ने प्रविष्टि 45 के लिए पता लगाने योग्य ऐसा कानून लागू करके और विशेष रूप से सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित गतिविधियों से निपटने के लिए कदम उठाया, राज्य कानून, इस हद तक कि यह 2002 के अधिनियम के साथ असंगत है, को छोड़ देना चाहिए। प्रमुख विधान संसदीय विधान होने के कारण, त्रिपुरा अधिनियम, 1960, प्रो टैन्टो, (धारा 187) के प्रावधान अमान्य होंगे। यह 2002 के अधिनियम के प्रावधान हैं, जिसमें उन

व्यक्तियों की श्रेणी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिन्हें बैंक द्वारा अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति बेची जा सकती है, जो प्रावधानों पर हावी होंगे।

त्रिपुरा अधिनियम, 1960 की धारा 187 में निहित है।

50. भारतीय स्टेट बैंक बनाम। संतोष गुप्ता और Anr.[32] 32, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 के तहत कार्य करके अदालत की प्रक्रिया के बाहर सुरक्षा हितों को लागू करने के लिए बैंकों के अधिकारों और जम्मू और कश्मीर राज्य में इसकी प्रयोज्यता के बारे में सवाल उठा। सरफेसी अधिनियम में प्रदान किए गए ऋणों की वसूली और न्यायिक तंत्र,

32 (2017) 2 एस. सी. सी. 538 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

इसलिए, यह सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' विषय के दायरे में आता है। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश ने संसद को सातवीं अनुसूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में प्रविष्टि 95 के साथ पठित सूची I प्रविष्टि 45। सरफेसी अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में वैध रूप से लागू किया जा सकता है, भले ही संपत्ति हस्तांतरण की धारा 140 हो।

जम्मू और कश्मीर का अधिनियम, 1920, सरफेसी अधिनियम के साथ संघर्ष करता है। इस प्रकार, बिक्री या समनुदेशन के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण ऋणों की वसूली के कई तरीकों में से केवल एक है और इस प्रकार, समग्र रूप से सरफेसी अधिनियम को संपत्ति के हस्तांतरण के विषय से संबंधित एक अधिनियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है। ऋण/ऋण की वसूली के लिए संपत्ति की बिक्री और गिरवी रखना भी 'बैंकिंग' का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग न्यायाधिकरण जैसे न्यायिक निकाय की स्थापना भी सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार, राज्य का कानून काम कर सकता है यदि इसके बारे में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। यदि कोई केंद्रीय कानून है तो राज्य का कानून तिरस्कार के सिद्धांत के संचालन से केंद्रीय कानून का अतिक्रमण नहीं कर सकता है। संसद विशेष शक्ति के साथ योग्य है -

बैंकिंग से संबंधित कानून बनाएँ। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों को विच्छेदित करना और उन्हें विभिन्न सूचियों के तहत विभिन्न प्रविष्टियों से जोड़ना संभव नहीं है। सारफेसी अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 6 में संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित नहीं है, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण की वसूली से संबंधित है। यह देखा गया:

" 30. जब बात सरफेसी की ही आई, तो इस न्यायालय ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम. केरल राज्य (2009) 4 एस. सी. सी. 94: (एस. सी. सी पी. 116, पैरा 36)

" 36. निर्विवाद रूप से, डी. आर. टी. अधिनियम और प्रतिभूतिकरण अधिनियम को संसद द्वारा अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 45 के तहत अधिनियमित किया गया है, जबकि बॉम्बे और केरल अधिनियमों को अनुसूची VII सूची II प्रविष्टि 54 के तहत संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, सातवीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियों के संदर्भ में विधानों के दो समूह बनाए गए हैं। इसलिए, राज्य विधानों को इस आधार पर निरस्त करने के लिए अनुच्छेद 254 का उपयोग नहीं किया जा सकता है कि वे केंद्रीय विधानों के साथ टकराव में हैं। इसके अलावा,

जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, विधानों के दो समूहों के बीच कोई स्पष्ट रूप से अतिव्यापी नहीं है। इसलिए, भले ही केसोरम इंडस्ट्रीज मामले में निहित टिप्पणियाँ, (2004)

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 10 एस. एस. सी. 201 को संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में माना जाता है, राज्य के कानूनों को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि वे केंद्र के साथ टकराव में हैं।

कानून "।

34. कनाडा के अटॉर्नी जनरल बनाम में प्रिवी काउंसिल का एक निर्णय। क्यूबेक प्रांत के महान्यायवादी, 1947 ए. सी. 33 (पी. सी.) भी इस बात पर कुछ प्रकाश डालते हैं कि "बैंकिंग" अभिव्यक्ति का सही अर्थ क्या है। एक क्यूबेक क़ानून जिसे खाली संपत्ति के रूप में माना जाता है, एक मालिक के बिना, (जो अब महामहिम का होगा) क्रेडिट संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में सभी जमा या क्रेडिट जो जमा पर धन या प्रतिभूतियां प्राप्त करते हैं, जहां 30 साल या उससे अधिक समय से ऐसी जमा या क्रेडिट उसके हकदार व्यक्तियों द्वारा किसी भी संचालन या दावे का विषय नहीं हैं। एक में

क्यूबेक प्रांत के राजा की पीठ की अदालत से अपील, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ने तर्क दिया कि राज्य अधिनियम क्यूबेक विधानमंडल की शक्तियों से परे था क्योंकि "बैंकिंग" इनमें से एक था

विशेष रूप से कनाडा की संसद को आवंटित विषय। लॉर्ड पोर्टर ने एक उज्ज्वल निर्णय में सवाल उठाया और इसका जवाब इस प्रकार दिया: (एसी पी। 44)

" फिर, क्या जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को जमा का पुनर्भुगतान कानून के तहत बैंकिंग व्यवसाय का एक हिस्सा है या अनिवार्य रूप से आकस्मिक है, या यह मुख्य रूप से संपत्ति और नागरिक अधिकारों से संबंधित है या उन विषयों के लिए आकस्मिक है? उनके अधिपति यह सोचे बिना नहीं रह

सकते कि जमा की प्राप्ति और जमाकर्ताओं या उनके उत्तराधिकारियों को जमा की गई राशि का पुनर्भुगतान, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, एक

बैंकिंग व्यवसाय का अनिवार्य भाग।"

मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रिवी काउंसिल ने आगे कहा: (एसी पी।

" ... उनके विचार में, एक प्रांतीय विधानमंडल बैंकिंग के क्षेत्र में तब प्रवेश करता है जब वह जमाकर्ताओं के जमा का भुगतान प्राप्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, जैसा कि उनके विचार में यह होगा यदि वह किसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण को जब्त कर लेता है। दोनों एक अर्थ में संपत्ति और नागरिक अधिकारों के मामले हैं, लेकिन संक्षेप मेंवे बैंकिंग की श्रेणी में शामिल हैं।

37. सारफेसी में सार और सार के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि सार और सार में पूरा अधिनियम दुरंग गणपति चौगुले v के लिए संदर्भित है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

प्रविष्टि 45 सूची जिसे मैंने प्रविष्टि 95 के साथ पढ़ा सूची I जिसमें यह संबंधित है

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय पुनर्गठन को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की परिसंपत्तियाँ, और एक तंत्र स्थापित करनाअधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए। पिथ और पदार्थ में,

सर्फेसी "संपत्ति के हस्तांतरण" से संबंधित नहीं है। वास्तव में,

जहाँ तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संबंध है, यह सौदा करता है।

ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली के साथऔर कुछ उपाय जो अदालत के बाहर किए जा सकते हैं

ऐसी वसूली को लागू करने की प्रक्रिया। की धारा 13 (4) के अधीन

सुरक्षित पर कब्जा करने के अलावा, सर्फेसी

उधारकर्ता की परिसंपत्तियाँ और उन्हें सौंपना या बेचना ताकि अपने ऋणों का भुगतान करें, बैंक प्रबंधन भी संभाल सकते हैं

सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधक, जिसके कब्जे में हैसुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया। सुरक्षित रूप से बैंक

लेनदारों को किसी भी समय लिखित सूचना की आवश्यकता हो सकती है,

वह व्यक्ति जिसने किसी भी सुरक्षित संपत्ति का अधिग्रहण किया हो

सुरक्षित ऋण का भुगतान करने के लिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिक्री या असाइनमेंट के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण कई उपायों में से केवल एक है - एक बैंक के कारण एक सुरक्षित ऋण की वसूली और यह है

इस मामले में, यह स्पष्ट है कि समग्र रूप से, सर्फेसी को संभवतः सार और सार में नहीं कहा जा सकता है, जो इस विषय से संबंधित एक अधिनियम हैमामला "संपत्ति का हस्तांतरण"।

51. दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, प्रश्न

कानून के संबंध में विचार के लिए कि क्या यह इसके अंतर्गत आता है

ntry या दूसरा। हालाँकि, विषय का कुछ हिस्सा -

गैसलेशन संयोग से घिसा हुआ है और नीचे एक खेत में प्रवेश कर सकता है ईआर सूची; तब, इसे पूरी तरह से वैध माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से उन मामलों पर खाई न हो जो इसकी क्षमता से परे हैं।

एस ने देखा:

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित जमा नियमधारा 58-ए को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 के साथ पढ़ा जाता है। यह केवल अस्वीकार किए जाने के लिए उल्लेख किया जाना है। श्री मल्होत्रा ने [2020] 5 एस. सी. आर. का आग्रह किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि जब कोई कंपनी जमा आमंत्रित करती है और स्वीकार करती है, तो जमाकर्ता के बीच एक ऋणदाता-उधारकर्ता संबंध अस्तित्व में आता है।

और कंपनी, और इसलिए इस विषय से संबंधित कानून राज्य सूची की प्रविष्टि 30, 'धन उधार और साहूकार' के अंतर्गत आता है। यदि इस प्रस्तुतिकरण में दोषसिद्धि होती है, तो बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता साहूकार होगा और लेन-देन साहूकार का होगा। बैंकिंग है?

उद्योग को प्रविष्टि 30 के अंतर्गत लाया जाएगा? दूसरी ओर, संघ सूची में प्रविष्टि 45 एक विशिष्ट प्रविष्टि 'बैंकिंग' है और इसलिए कोई भीबैंकिंग से संबंधित कानून संघ सूची में प्रविष्टि 45 के लिए संदर्भित होगा। संघ सूची में प्रविष्टि 43 है: " निगमन,

यह किसी एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं। स्पष्ट रूप से कंपनियों के बारे में कानून बनाने की शक्ति संदर्भित है।

प्रविष्टि 44 तक जब कंपनी के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वह व्यापार कर रही है या नहीं। जब किसी कानून पर इस आधार पर आक्षेप लगाया जाता है कि वह उसे लागू करने वाली विधायिका की शक्तियों से परे है, तो क्या होना चाहिए?

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कानून का वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसा करने के लिए किसी को समग्र रूप से अधिनियम, इसके उद्देश्यों और इसके प्रावधानों के दायरे और प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए (ए. एस. कृष्ण बनाम देखें।मद्रास राज्य, 1957 एससीआर 399,410)। विवाद को हल करने के लिए यदि यह पता लगाना आवश्यक हो जाता है कि तीन सूचियों में किस प्रविष्टि के लिए कानून संदर्भित है, तो अदालत ने सिद्धांत विकसित किया है।

पिथ और पदार्थ। यदि सार और सार में, कानून एक प्रविष्टि या दूसरे के भीतर आता है लेकिन विषय के कुछ हिस्से के भीतर आता है। कानून का मामला संयोग से खाई में गिर जाता है और किसी अन्य सूची के तहत एक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, तो इसे पूरी तरह से वैध माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से उन मामलों पर खाई में गिर सकता है जो

वी. भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी, (1976) 1 एस. सी. आर. 552 और कर्नाटक राज्य बनाम। रंगनाथ रेड्डी, (1978) 1 एससीआर 641)। पीठ और पदार्थ के इस सिद्धांत को लागू करते हुए, धारा 58-ए जो हैकंपनी अधिनियम में निगमित प्रविष्टि 43 और पांडुरंग गणपति चौगुल v के लिए संदर्भित है।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

राज्य सूची में प्रविष्टि 30 के लिए संदर्भित किया जा रहा है। निस्संदेह, इसलिए संसद के पास धारा को लागू करने की विधायी क्षमता थी 58 - ए "।

संसदीय कानून। संघ सूची में प्रविष्टि 52 का दायरा 'उद्योग' अभिव्यक्ति के अर्थ के विशेष संदर्भ के साथ-साथ संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में प्रविष्टि 24 में भी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची का उल्लेख किया गया है।

विचार करें। न्यायालय ने बेलसुंड शुगर कंपनी Ltd.v में संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। बिहार राज्य 3 3, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल इसलिए कि उद्योग संघ सूची की प्रविष्टि 52 द्वारा अधिनियमित आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 2 के तहत एक घोषणा द्वारा नियंत्रित है, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के तहत अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे उद्योग के उत्पादों को विनियमित करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने अंततः यह निर्णय दिया कि राज्य विधान और तंबाकू

बोर्ड अधिनियम, 1975 जिस हद तक बाजार क्षेत्रों में तंबाकू की बिक्री से संबंधित है, वह एक साथ नहीं हो सकता है। राज्य विधानसभाएँ ऐसी वस्तुओं के संबंध में कानून पारित करने के लिए सक्षम थीं। आई. टी. सी. लिमिटेड (ऊपर) में यह देखा गया था:

" 87. इसके अलावा, बेलसुंड शुगर कंपनी, (1999) 9 एस. सी. सी. 620 में, संविधान पीठ ने एस. आई. ई. एल. मामले, (1998) 7 एस. सी. सी. 26 में निर्णय को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया और दोहराया कि केवल इसलिए कि उद्योग आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 2 के तहत एक घोषणा द्वारा नियंत्रित है।संघ सूची की प्रविष्टि 52 द्वारा अधिनियमित, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के तहत अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करके ऐसे उद्योग के उत्पादों को विनियमित करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बेलसुंड शुगर कंपनी मामला, (1999) 9 एस. सी. सी. 620 के पैरा 119 को इस प्रकार निकालना उपयोगी होगा: (एससीसी पीपी। 670-71)

" 119. हालाँकि, जहाँ तक आई. डी. आर. अधिनियम का संबंध है, इसे पहली अनुसूची की प्रविष्टि 52 के तहत अधिनियमित किया गया है जो निम्नलिखित से संबंधित है -

33 (1999) 9 एस. सी. सी. 620 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संघ सूची की प्रविष्टि 52 के अनुसार ऐसे उद्योगों से संबंधित सामान्य कानून के विस्तार द्वारा शासित। उपरोक्त संविधान पीठ का निर्णय प्रविष्टि 24 के तहत अधिनियमित किसी भी राज्य के कानून से संबंधित नहीं था। इसके विपरीत, यह केंद्रीय संसद के कानून से संबंधित थासंघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य सूची की प्रविष्टि 23 के साथ पढ़ा जाता है। उपरोक्त विधायी प्रविष्टियों की योजना

यह सूची I की प्रविष्टि 52 की योजना से पूरी तरह से अलग है जिसे सूची II की प्रविष्टि 24 के साथ पढ़ा जाता है जिससे हम संबंधित हैं। अतः, उपरोक्त दो प्रविष्टियों के संयुक्त पठन पर, संविधान पीठ के निर्णय का अनुपात -

श्री रंजीत कुमार द्वारा अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उपरोक्त मामले को प्रभावी ढंग से सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। इसमें

इस विवाद में, हम उपयोगी रूप से एस. आई. ई. एल. लिमिटेड (1998) 7 एस. सी. सी. 26 में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें हम में से एक, सुजाता वी. मनोहर, जे. सदस्य थीं। इसने हिंगिर रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 459 के मामले में संविधान पीठ के फैसले के अनुपात को सही ढंग से अलग किया है और विचार लिया है। कि केवल इसलिए कि कोई उद्योग संघ सूची की प्रविष्टि 52 द्वारा अधिनियमित आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 2 के तहत एक घोषणा द्वारा नियंत्रित है, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के तहत अपनी

विधायी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे उद्योग के उत्पादों को विनियमित करने की अपनी शक्तियों से वंचित नहीं किया जाएगा। में।

उस मामले में सवाल यह था कि क्या यू. पी. शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 को केंद्र सरकार द्वारा जारी शीरा (नियंत्रण) आदेश के प्रतिकूल कहा जा सकता है।

आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 18-जी शीरे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है और शीरे की अधिकतम कीमत तय करती है।

नकारात्मक में प्रश्न का उत्तर देते हुए, यह माना गया कि प्रविष्टि 24 में 'उद्योग' शब्द व्यापार और वाणिज्य या वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को इसके दायरे में नहीं लेगा जो सूची II की प्रविष्टि 26 और 27 के प्रांत के भीतर हैं। इसी तरह, सूची I में प्रविष्टि 52, जो उद्योग से संबंधित है, में भी दुरंग गणपति चौगुले v के उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य, या उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को शामिल नहीं किया जाएगा।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

वे उद्योग जो सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत आते हैं। सूची I की प्रविष्टि 52 में आने वाले उद्योगों के लिए, इन विषयों को अलग किया जाता है और सूची III की प्रविष्टि 33 में स्पष्ट रूप से रखा जाता है। यह भी हुआ था आयोजन कि धारा 18-जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 1961 के मोलासीस (नियंत्रण) आदेश को पारित किए जाने के बाद से किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य या बिहार राज्य को विस्तारित नहीं किया गया था।

गुड़ नियंत्रण आदेश, 1961 और यू. पी. शीरा

नियंत्रण अधिनियम, 1964 उत्पन्न नहीं होता है। नतीजतन, यह

यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वैधानिक आदेश के अभाव में

आई. डी. आर. अधिनियम की धारा 18-जी के तहत घोषित, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्पादों की बिक्री और खरीद के विनियमन के लिए क्षेत्र

आटा उद्योग जैसे आटा, मैदा, सुजी, चोकर आदि

राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहें।

93. यह विवाद में नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में संसद की विधायी शक्ति संविधान के तहत सर्वोपरि है। इसमें क्या है?

विवाद उन क्षेत्रों की सीमाएँ हैं जिन्हें न्यायिक रूप से परिभाषित किया गया है। मोटे तौर पर, अनुच्छेदों के तहत संसदीय सर्वोच्चता प्रदान की जाती है।

246 और संविधान के 254. संविधान के अनुच्छेद 246 के पहले तीन खंड संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के सीमांकन से संबंधित हैं। खंड (1) के तहत, खंड (2) और (3) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची में सूची I या संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति दी गई है। खंड (2) की शक्ति के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों को सशक्त बनाता है -

खंड (1) के अधीन संसद, इनमें से किसी के संबंध में विधि बनाएगी -

संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में वर्णित सातवीं अनुसूची की सूची III में सूचीबद्ध मामले

"राज्य सूची" के रूप में वर्णित लेकिन खंड (1) और (2) के अधीन, सातवीं अनुसूची में सूची II में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानून बनाना। विधायी विषयों की विस्तार से गणना करते हुए ये तीनों सूचियाँ विधायी क्षेत्रों को सावधानीपूर्वक वितरित करती हैं।संसद (सूची I) और राज्य (सूची II) के बीच प्राधिकरण। संसद की सर्वोच्चता गैर द्वारा प्रदान की गई है

अनुच्छेद 246 (1) में अवरोधक खंड और अनुच्छेद 246 (2) और (3) में "अधीन" शब्द। इसलिए, अनुच्छेद 246 (1) के तहत यदि [2020] 5 एस. सी. आर. में से कोई भी हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तीन सूचियों में प्रविष्टियाँ ओवरलैप होती हैं, सूची I में प्रविष्टि प्रबल होगी (एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी v. ए. पी. राज्य, ए. आई. आर 1958 एस. सी. 468)। इसके अतिरिक्त राज्य सूची में कुछ प्रविष्टियाँ की गई हैं -

सूची I के तहत या सूची III के तहत कानून बनाने की संसद की शक्ति के स्पष्ट रूप से अधीन किया गया। सातवीं अनुसूची की सूचियों में प्रविष्टियों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है, फिर भी अदालतें व्याख्या की एक प्रक्रिया द्वारा इस संतुलन को बिगाड़ने से सावधान रही हैं ताकि इसकी सामग्री की किसी भी प्रविष्टि को वंचित किया जा सके और इसे "बेकार लकड़ी" (कलकत्ता गैस कंपनी (स्वामित्व) लिमिटेड v.

डब्ल्यू. बी. राज्य, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044)। खंड (3) में "अनन्य" शब्द का उपयोग दर्शाता है कि सूची II में निहित विधायी क्षेत्रों के भीतर, राज्य विधान मंडल संसद के रूप में पूर्ण और पर्याप्त अधिकार का प्रयोग करते हैं।

" 276. तथ्य यह है कि हमारे संविधान की योजना के तहत, राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की जाती है

इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर, राज्य सर्वोच्च हैं। केंद्र अपनी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। विशेष रूप से, अदालतों को एक दृष्टिकोण, एक व्याख्या को नहीं अपनाना चाहिए, जिसका प्रभाव शक्तियों को कम करने का होता है या प्रभाव पड़ता है।राज्यों के लिए आरक्षित "।

126. संक्षेप में: प्रविष्टि 52 के प्रयोजनों के लिए "उद्योग" शब्द

टीका रामजी, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 द्वारा सूची I को दृढ़ता से केवल निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया तक सीमित कर दिया गया है। अन्य संविधान पीठों सहित बाद के निर्णयों में

निर्माण या उत्पादन और इसमें उद्योग में उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल या उद्योग के उत्पादों का वितरण शामिल नहीं है। संवैधानिक ढांचे और न्यायिक प्राधिकरण के महत्व को देखते हुए किसी तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है"उद्योग" शब्द के व्यापक अर्थ का प्रचार करना। किसी भी अन्य संदर्भ में इस शब्द का जो भी अर्थ हो, उसे संवैधानिक संदर्भ में "निर्माण या उत्पादन" के रूप में समझा जाना चाहिए।

130. यह माना गया था कि: (एयर पीपी। 94-95 , पैरा 10)

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि बाजार का मतलब आम तौर पर एक ऐसी जगह है जहाँ

कारोबार हो रहा है। शायद यही सब इसका मतलब था दुरंग गणपति चौगुल बनाम।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

एक ऐसे समय में जब व्यापार विकसित नहीं हुआ था और जब लेनदेन निर्दिष्ट स्थानों पर हुए थे। लेकिन वाणिज्य के विकास के साथ, पत्राचार और शब्द के अर्थ के माध्यम से सौदेबाजी अधिक बार समाप्त होने लगी। ' 'बाजार' में इसी तरह का विस्तार हुआ। आधुनिक भाषा में 'बाजार' शब्द का अर्थ व्यवसाय के साथ-साथ वह स्थान भी हो गया है जहाँ व्यवसाय किया जाता है।

163. जैसा कि पहले देखा गया है कि आई. टी. सी. मामले में बहुमत का दृष्टिकोण, 1985 सप्लीमेंट

भाई पटनायक के फैसले में एस. सी. सी. 476 को थोड़ा अलग तर्क के आधार पर बरकरार रखा गया है और एम. ए. तुलोच, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1284 और बैजनाथ कादियो, (1969) 3 एस. सी. सी. 838 में इस अदालत के फैसले खनन पर कानून से संबंधित हैं और आई. टी. सी. मामले, 1985 के बहुमत फैसले में एस. सी. सी. 476 पर भरोसा किया गया है।

निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं पाया गया। यह सच है, जबकि कानून बनाते हुए

किसी भी सूची की प्रविष्टि के तहत शामिल किसी भी विषय पर, हमेशा हो सकता है

के क्षेत्र पर प्रवेश करने या छूने की संभावना हो

उसी सूची की किसी अन्य प्रविष्टि का विधान या उन मामलों के लिए कोई अन्य सूची जो आनुषंगिक या सहायक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में, अन्य बातों के साथ-साथ, सूची में प्रविष्टि की एक व्यापक और उदार व्याख्या की निश्चित रूप से आवश्यकता हो सकती है। कानून के लिए विषय के प्रमुखों का एक पूर्ण या जलरोधक विभाजन संभव नहीं हो सकता है, लेकिन साथ ही एक अन्य प्रविष्टि के क्षेत्र में प्रवेश करने का मतलब यह नहीं हो सकता है कि यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है, भले ही यह अन्य विधायिका द्वारा कानून के लिए विषयों के प्रमुखों की विशेष सूची में हो। जैसा कि वर्तमान मामले में प्रविष्टि 24 के अलावा सूची II में विषय के प्रासंगिक शीर्षों को सूची II से व्यावहारिक रूप से गायब नहीं किया जा सकता है और यह माना जा सकता है कि सूची I की प्रविष्टि 52 के तहत तंबाकू उद्योग की घोषणा के आधार पर सूची II के विषयों को छूने या उनमें उलझाने की आड़ में सूची I में पूरी तरह से शामिल किया गया है।"

मैंने और मैंने देखा कि सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, दोनों प्रविष्टियों को व्यापक गुंजाइश देते हुए, व्याख्या जोवनइज़ को अपनाना होगा। यह आयोजित किया गया था:

" 9. इस पृष्ठभूमि के साथ हम उपरोक्त प्रविष्टियों का अर्थ निकालते हैं। तीन संभावित निर्माण हैं, अर्थात् (1) एस. सी. आर. 5 की प्रविष्टि 24।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूची 2, जो आम तौर पर उद्योगों के लिए प्रावधान करती है, गैस और गैस के औद्योगिक पहलू को शामिल करती है-प्रवेश 25 को गैस और गैस के कार्यों के अन्य पहलुओं के लिए प्रदान करने के लिए छोड़ देता है; (2) प्रवेश 24 आम तौर पर उद्योगों के लिए प्रदान करता है, और प्रवेश 25 इसमें से गैस और गैस के विशिष्ट उद्योग को तराशता है, जिसके परिणामस्वरूप गैस और गैस के उद्योग को प्रवेश 24 से बाहर रखा जाता है; और (3) गैस और गैस के उद्योग-कार्य दोनों प्रविष्टियों के अंतर्गत आते हैं, यानी, उक्त प्रविष्टियों का एक वास्तविक अतिव्यापी है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत रूप में, दोनों प्रविष्टियों को व्यापक दायरा देते हुए, हम उस व्याख्या को अपनाएंगे जो सामंजस्य और सामंजस्य स्थापित करती है।

उन्हें "।

54. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। केरल राज्य और Ors.[3]5, प्रश्न सूची I की प्रविष्टि 45 के संबंध में विचार के लिए आया और

सूची II की प्रविष्टि 54। सवाल यह उठा कि क्या बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 38-सी और केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 26-बी और अन्य राज्य कानूनों में निहित इसी तरह के प्रावधान, जिनके द्वारा विक्रेता या ऐसे अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला शुल्क लगाया गया था, जो बिक्री कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 और एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में निहित प्रावधानों के साथ असंगत थे और क्या केंद्रीय कानूनों को प्रधानता मिलेगी।राज्य के कानूनों पर। यह देखा गया:

" 92. उपर्युक्त उल्लिखित प्रावधानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि डी. आर. टी. अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया की शीघ्र वसूली के लिए विशेष तंत्र का निर्माण करना था। यही कारण है कि डी. आर. टी. अधिनियम न केवल न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण के साथ बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए आवेदनों का संक्षिप्त निर्णय लेने का प्रावधान करता है। न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि की वसूली के तरीकों को निर्दिष्ट करता है और धारा 17 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता को भी प्रतिबंधित करता है। न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों को भी मुक्त कर दिया गया है।

सिविल संहिता में निहित प्रक्रिया की बेड़ियों

प्रक्रिया। इसे अलग तरीके से कहें तो डी. आर. टी. अधिनियम ने न केवल त्वरित वसूली के लिए विशेष प्रक्रियात्मक तंत्र को अस्तित्व में लाया है

34 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1044

35 (2009) 4 एस. सी. सी. 94 दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया का, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किया कि चूक करने वाले उधारकर्ता बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को विफल करने के लिए दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

93. प्रतिभूतिकरण अधिनियम के अधिनियमन को सबसे कट्टरपंथी विधायी उपायों में से एक माना जा सकता है

अदालतों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना उनके बकाया का। 110. डी. आर. टी. अधिनियम ने न्यायाधिकरणों की दो स्तरीय प्रणाली की स्थापना की सुविधा प्रदान की। प्रथम स्तर पर स्थापित न्यायाधिकरणों को अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं।

अपने बकाया की वसूली के मामले में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावों पर बिना किसी बाधा के निर्णय लेना।

सिविल प्रक्रिया संहिता की तकनीकीताएँ। प्रतिभूतिकरण अधिनियम ने परिदृश्य को काफी बदल दिया क्योंकि इसने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य सुरक्षित लेनदारों को अदालतों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना अपने बकाया की वसूली करने में सक्षम बनाया। द.

प्रतिभूतिकरण अधिनियम ने प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों के पंजीकरण और विनियमन, प्रतिभूतिकरण के लिए भी प्रावधान किया।

बैंकों और वित्तीय संस्थानों की वित्तीय परिसंपत्तियाँ और अन्य संबंधित प्रावधान।

116. डी. आर. टी. अधिनियम की धारा 34 (1) और प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 35 में निहित गैर-अबाधित खंड ओवरराइड करते हैं।

उन अधिनियमों के प्रावधानों का प्रभाव केवल तभी पड़ता है जब किसी अन्य कानून या साधन में कुछ असंगत निहित हो जो किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी हो। दूसरे शब्दों में, यदि अन्य अधिनियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो डी. आर. टी. अधिनियम या प्रतिभूतिकरण अधिनियम के साथ असंगत हैं, तो उन अधिनियमों में निहित प्रावधान अन्य विधानों पर हावी नहीं हो सकते हैं। बॉम्बे अधिनियम की धारा 38-सी और केरल अधिनियम की धारा 26-बी में भी गैर-अवरोधक खंड हैं और अन्य ऋणों पर राज्य के प्रभार की प्राथमिकता को वैधानिक मान्यता देते हैं, जिसे भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई थी। 1950 से पहले भी अदालतें। दूसरे शब्दों में, ये धाराएँ और अन्य राज्य विधानों में निहित इसी तरह के प्रावधान न केवल विक्रेता या [2020] 5 एस. सी. आर. के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला शुल्क लगाते हैं।

बिक्री कर, आदि का भुगतान करें, लेकिन उन्हें अन्य पर हावी प्रभाव भी दें।

कानून "।

इस न्यायालय ने केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों में कोई विरोधाभास नहीं पाया

और राज्य का।

55. एस. एस. धनोआ, दमन सिंह और डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट में निर्णयों पर भरोसा करने वाले अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील

लिमिटेड (ऊपर) ने तर्क दिया कि संसद सूची I की प्रविष्टि 43 और 44 के तहत आने वाले निगम और सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आने वाली सहकारी समिति के बीच के अंतर से अवगत थी। एस. एस. धनोआ (ऊपर) में, इस न्यायालय ने दोनों के बीच के अंतर पर विचार किया।कानून द्वारा निर्मित निगम और कानून के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा निर्मित निकाय या समाज ने कहा:

" 8. निगम एक ऐसा कृत्रिम अस्तित्व है जिसे कानून द्वारा बनाया गया है। कानूनी इकाई उन व्यक्तियों से पूरी तरह से अलग और अलग है जो इसे निरंतर अस्तित्व की क्षमता के साथ बनाते हैं और

उत्तराधिकार, इसकी सदस्यता में परिवर्तन के बावजूद। इसके अलावा,

यह लेने, धारण करने की ऐसी कानूनी इकाई के रूप में क्षमता रखता है। और संपत्ति का हस्तांतरण, अनुबंधों में प्रवेश करना, मुकदमा करना और मुकदमा चलाया जाना, और ऐसी अन्य शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करना जो एक प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में इसके निर्माण के कानून द्वारा इसे प्रदान की जा सकती हैं।

मई। निगम की निम्नलिखित परिभाषा प्रमुख द्वारा दी गई थी।

प्रसिद्ध डार्टमाउथ कॉलेज मामले में न्यायमूर्ति मार्शल, 4

गेहूँ 518,636: 4 एल एड 629 (1819):

" निगम एक कृत्रिम प्राणी है, जो अदृश्य, अमूर्त है और केवल कानून के चिंतन में मौजूद है। सिर्फ़ होने के नाते

कानून के रूप में, इसके पास केवल वही गुण हैं जो इसकी रचना का चार्टर इसे प्रदान करता है, या तो स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के लिए आकस्मिक रूप से। ऐसा माना जाता है

जिस वस्तु के लिए इसे बनाया गया था, उसे प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छी गणना की गई। सबसे महत्वपूर्ण में अमरता है, और, यदि अभिव्यक्ति की अनुमति दी जा सकती है, तो व्यक्तित्व; गुण, जिसके द्वारा कई व्यक्तियों के स्थायी उत्तराधिकार को समान माना जाता है, और एक एकल व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। वे एक निगम को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने और संपत्ति रखने में सक्षम बनाते हैं।

हाथ से हाथ में संचारित करने के उद्देश्य से निरंतर परिवहन की जटिल जटिलताएं, खतरनाक और अंतहीन आवश्यकता। यह मुख्य रूप से दुरंग गणपति चौगुल बनाम के कपड़ों के निकायों के उद्देश्य के लिए है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

इन गुणों और क्षमताओं के साथ, कि निगमों का आविष्कार किया गया था, और उपयोग में हैं। इन माध्यमों से, व्यक्तियों का एक स्थायी उत्तराधिकार कार्य करने में सक्षम है एक अमर प्राणी की तरह विशेष वस्तु का प्रचार।

इसलिए, 'निगम' शब्द निजी निगमों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। लेकिन, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के खंड बारहवें के संदर्भ में, 'निगम' अभिव्यक्ति को एक संकीर्ण कानूनी अर्थ दिया जाना चाहिए। 9. निगम, अपने व्यापक अर्थों में, एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के हकदार व्यक्तियों का कोई भी संघ हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से यह वह अर्थ नहीं है जिसमें इसका उपयोग किया गया है। विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम का अर्थ केवल एक निगमित निकाय हो सकता है जो

अपने अस्तित्व के लिए, न कि केवल अपनी निगमित स्थिति के लिए, अधिनियम का श्रेय जाता है। उदाहरण के लिए, एक नगर पालिका, एक जिला परिषद या एक ग्राम पंचायत

इसके अस्तित्व और स्थिति का श्रेय विधानमंडल के एक अधिनियम को जाता है। जिस पर दूसरी ओर, व्यक्तियों का एक संघ जो खुद को गठित करता है

कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी या इसके तहत एक सोसायटीसोसायटी पंजीकरण अधिनियम का अस्तित्व इस अधिनियम के कारण नहीं है

विधायिका लेकिन दलों के कृत्यों के लिए हालांकि, यह अपनी स्थिति के रूप में देय हो सकता है

विधानमंडल के किसी अधिनियम के लिए निगमित निकाय।

दमन सिंह (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ

भारत के संविधान के सातवें युगल की सूची I की प्रविष्टि 43 और सूची II की प्रविष्टि 32 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा:

" 5. निगम क्या है? हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथे संस्करण, खंड 9, पैराग्राफ 1201 में कहा गया है,

निगम को व्यक्तियों के एक निकाय (निगम समुच्चय के मामले में) या एक कार्यालय (निगम एकल के मामले में) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कानून द्वारा एक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है जो निकाय के सदस्यों या व्यक्ति के व्यक्तित्व के अलग-अलग व्यक्तित्वों से अलग है। उस समय के लिए धारक जो विचाराधीन कार्यालय का है।

एक निगम समुच्चय को पैराग्राफ 1204 में परिभाषित किया गया है,

[ए] एक विशेष संप्रदाय के तहत एक निकाय में एकजुट व्यक्तियों का संग्रह, जिसके तहत स्थायी उत्तराधिकार है

कृत्रिम रूप, और कानून की नीति द्वारा निहितएक व्यक्ति के रूप में कई मामलों में कार्य करने की क्षमता, विशेष रूप से [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति लेना और देना, अनुबंध दायित्वों का लेना और मुकदमा करना और मुकदमा दायर करना, सामान्य रूप से विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का आनंद लेना और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करना, कम या ज्यादा व्यापक रूप से, अपनी संस्था की रूपरेखा के अनुसार, या इसे प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार, या तो इसके निर्माण के समय

या इसके अस्तित्व की किसी भी बाद की अवधि में।

यह न्यायालय न्यासी मंडल, आयुर्वेदिक और यूनानी टिबिया महाविद्यालय, दिल्ली बनाम। दिल्ली राज्य, 1962 के पूरक 1 एस. सी. आर. 156 को इस प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक था कि क्या न्यासी मंडल जो मूल रूप से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत था और एक नया न्यासी मंडल जिसे टिब्बिया कॉलेज अधिनियम, 1952 नामक विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था, जिसके द्वारा पुराने बोर्ड को भंग कर दिया गया था और एक नए बोर्ड का गठन निगम थे। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पुराना बोर्ड नहीं बल्कि नया बोर्ड था। यह सवाल उठाते हुए कि निगम क्या है, अदालत ने इसका जवाब हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में निहित बयानों के साथ दिया जो पहले से ही हमारे द्वारा निकाले गए हैं और जोड़ा गया है,

अतः एक निगम समुच्चय की केवल एक ही क्षमता होती है, अर्थात् उसकी निगमित क्षमता। एक निगम समुच्चय हो सकता है

एक व्यापारिक निगम या एक गैर-व्यापारिक निगम हो। एक व्यापारिक निगम के सामान्य उदाहरण हैं (1) चार्टर कंपनियां, (2) संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा निगमित कंपनियां, (3)

कंपनी अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत कंपनियां। गैर-व्यापारिक निगमों को (1) नगरपालिका द्वारा चित्रित किया गया है।

निगम, (2) जिला बोर्ड, (3) परोपकारी संस्थान, (4) विश्वविद्यालय आदि। कानूनी अवधारणा में एक आवश्यक तत्व

निगम की पहचान निरंतर है, अर्थात मूल सदस्य या सदस्य और उनके उत्तराधिकारी एक. कानून में व्यक्तिगत पार्षद, या सदस्य, जिनमें से यह

रचना से कुछ पूरी तरह से अलग हैं

निगम स्वयं; एक निगम के लिए एक कानूनी व्यक्ति उतना ही है जितना कि एक व्यक्ति। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक निगम के लिए एक नाम आवश्यक है; कि एक निगम समग्र, एक सामान्य नियम के रूप में, केवल इसके तहत विलेख द्वारा अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।

सामान्य मुहर; कि वर्तमान में इंग्लैंड में एक निगम दो तरीकों में से एक या अन्य द्वारा बनाया जाता है, अर्थात्, रॉयल द्वाराक्राउन से या संसद के अधिकार से निगमन का चार्टर जो कि क़ानून द्वारा या उसके आधार पर है।

दुरंग गणपति चौगुल वी है। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

यह कहने के लिए दीर्घकालिक प्राधिकरण कि निगम का सार (1) निगमन के वैध प्राधिकरण में शामिल है,

(2) निगमित किए जाने वाले व्यक्ति, (3) एक नाम जिसके द्वारा व्यक्तियों को निगमित किया जाता है, (4) एक स्थान, और (5) निगमन को दर्शाने के लिए कानून में पर्याप्त शब्द। निगम के निर्माण के लिए किसी विशेष शब्द की आवश्यकता नहीं है; कोई भी अभिव्यक्ति जो एक

शामिल करने का इरादा पर्याप्त होगा।

न्यायालय ने तब सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान दिया, जिसमें उनके अनुसार शामिल करने के इरादे का संकेत देने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे, लेकिन इसके विपरीत प्रावधानों से पता चलता है कि इस तरह के इरादे का अभाव था। इसलिए, उन्होंने कहा, "इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपरोक्त प्रावधान नहीं हैं।

निगम की मुख्य आवश्यक विशेषता को स्थापित करें

समग्र, अर्थात्, समाज को शामिल करने के इरादे का "। अगले सवाल पर विचार करते हुए कि क्या नया बोर्ड एक था

इस शर्त पर कि विवादित अधिनियम के तहत गठित नए बोर्ड को एक निगमित दर्जा दिया गया है; दूसरे शब्दों में, नया बोर्ड शब्द के पूर्ण अर्थ में एक निगम है। 6. हम पहले ही पंजाब अधिनियम की धारा 30 निकाल चुके हैं जो प्रत्येक पंजीकृत सहकारी समिति को एक निकाय निगमित का दर्जा प्रदान करता है, जिसके पास स्थायी उत्तराधिकार और एक आम मुहर है, जिसमें संपत्ति रखने, अनुबंध करने, मुकदमे और अन्य कानूनी कार्यवाही करने और उन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी चीजें करने की शक्ति है जिनके लिए इसका गठन किया गया है। वहाँ

इसलिए इस बात में जरा भी संदेह नहीं हो सकता कि एक सहकारी समिति एक निगम है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। क्या संविधान की योजना से कोई फर्क पड़ता है? हम नहीं पकड़ते हैं।

7. ..... श्री राममूर्ति के अनुसार व्यक्त बहिष्कार

सूची I की प्रविष्टि 43 में सहकारी समितियों और सूची II की प्रविष्टि 32 में सहकारी समितियों को अलग से और इसके अलावा सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा, स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि संवैधानिक योजना [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सहकारी समितियों को निगमों से अलग संस्थानों के रूप में मानने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दूसरी ओर कोई यह सोचेगा कि सूची I की प्रविष्टि 43 और सूची II की प्रविष्टि 32 दोनों में अन्य निगमों के साथ सहकारी समितियों का उल्लेख इस बात का संकेत देता है कि संविधान निर्माताओं का विचार था कि सहकारी समितियाँ अन्य निगमों के समान ही थीं और सभी निगम थे। वास्तव में सूची I की प्रविष्टि 43 से सहकारी समितियों का स्पष्ट बहिष्कार इस दृष्टिकोण का संकेत है कि लेकिन इस तरह के बहिष्कार के लिए, सहकारी समितियों को "निगम" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर समझा जाएगा।

डाल्को इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में, न्यायालय ने एस. एस. धनोआ (ऊपर) में निर्णय का पालन किया और राय दी कि कानून द्वारा स्थापित और कानून के तहत स्थापित निगम के बीच अंतर है। हालाँकि, तत्काल मामले में शामिल सवाल अलग है।

56. हिन्दुस्तान लीवर (ऊपर) में, इस सवाल पर विचार किया गया था कि क्या संसद के आरक्षित क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया था।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 43, जो केंद्र सरकार को संबंधित कानून बनाने का अधिकार देती है -

' बैंकों, बीमा और वित्त निगमों सहित व्यापारिक निगमों का निगमन, विनियमन और समापन। यह अभिनिर्धारित किया गया कि स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण और ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करना एक अलग पहलू है। बॉम्बे स्टाम्प एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है -

' निगमों का निगमन, विनियमन और समापन। न्यायालय ने कहा:

" 42. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि बॉम्बे स्टाम्प अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित धारा 2 (जी) (iv) के प्रावधान जो प्रदान करते हैं

यह कि जिस दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वह साक्षय में अस्वीकार्य होगा, कंपनी अधिनियम की धारा 394 के प्रतिकूल है और राज्य का कानून कंपनी अधिनियम के प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि स्टाम्प शुल्क की आड़ में राज्य विधानमंडल वास्तव में कंपनियों के समामेलन पर कर लगा रहा है और इसलिए इस पर अतिक्रमण किया हैसंविधान की प्रविष्टि 43 सूची I

के तहत संसद का क्षेत्र। हम इस प्रस्तुति में भी कोई सार नहीं पाते हैं। मुद्रांक शुल्क साधन पर लगाया जाता है और इसका उपाय हस्तांतरण की गई संपत्ति का मूल्यांकन है। संविधान की प्रविष्टि 43 सूची I के तहत संसद के क्षेत्र में अतिक्रमण का कोई सवाल ही नहीं है, जो संघ को कानून बनाने का अधिकार देती है:

निगमन, दुरंग गणपति चौगुल v. विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

बैंकों, बीमा और वित्त निगमों सहित व्यापारिक निगमों का विनियमन और समापन, जिसमें सहकारी निगम शामिल नहीं हैं। समाज। प्रविष्टि 43 सूची I के तहत अनुवर्ती कानून स्टाम्प शुल्क लगाने और ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करने से पूरी तरह अलग है। बॉम्बे स्टाम्प एक्ट निगमों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में किसी भी कानून का प्रावधान नहीं करता है। यह केवल स्टाम्प शुल्क लगाता है और समझौते या व्यवस्था द्वारा दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर निर्धारित करता है।

57. केरल राज्य विद्युत बोर्ड (ऊपर) में, एक संविधान

ज, पीठ और पदार्थ के सिद्धांत पर विचार करते हुए और

निरर्थक उद्देश्य, राय दी:

" 5. अनुच्छेद 254 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

सूची III के मामलों, जिन पर खंड (2) द्वारा विचार किया जाता है, के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद सर्वोच्च है और संसद को सूची 1 के मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है। राज्य विधायिका के पास सूची II के मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है। लेकिन यह खंड (1) के प्रावधानों के अधीन है [खंड (2) के संदर्भ को फिलहाल छोड़कर]। खंड (3) [खंड (2) के प्रावधानों को फिर से विचार से बाहर रखते हुए] में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सूची I में शामिल मामलों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति सर्वोच्च है। नहीं, खंड (1) में "बावजूद" और खंड (3) में "अधीन" शब्दों का क्या अर्थ है? उनका मतलब है कि जहां सूची II में एक प्रविष्टि सामान्य रूप से है और उस प्रविष्टि का हिस्सा विशिष्ट रूप से सूची I में है, सूची I में प्रविष्टि सूची II में प्रविष्टि के बावजूद प्रभावी होती है। यह इस सिद्धांत पर भी है कि "विशेष" में "सामान्य" शामिल नहीं है और सूची II में सामान्य प्रविष्टि सूची 1 में विशेष प्रविष्टि के अधीन है। उदाहरण के लिए, हालांकि आवास

और किराया नियंत्रण या तो राज्य सूची के अंतर्गत आ सकता है या समवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 3 तैयार की गई

किराया नियंत्रण और आवास का विषय

आवास और किराया नियंत्रण के सामान्य विषय से छावनी (इंदु भूषण बनाम देखें। सुंदरी देवी, (1970) 1 एस. सी. आर. 443)। इसके अलावा, खंड (1) में "इसके बावजूद" शब्द का अर्थ यह भी है कि यदि दोनों प्रविष्टियों का मिलान करना संभव नहीं है तो सूची I में प्रविष्टि प्रबल होगी। लेकिन ऐसा होने से पहले यह तय करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कोई विशेष कानून किस सूची में आता है।

यह तय करना कि किस प्रविष्टि के तहत एक विशेष कानून सिद्धांत के अंतर्गत आता है अदालतों द्वारा "पीठ और पदार्थ" का विकास किया गया है। यदि सार और सार में कोई विधान एक या दूसरी सूची के भीतर आता है, लेकिन उस विधान के विषय के कुछ हिस्से पर संयोग से खाई पड़ जाती है और दूसरी सूची के तहत आ सकता है, तो इस तरह के आकस्मिक होने के बावजूद समग्र रूप से अधिनियम मान्य होगा।

ट्रेंचिंग। ये सिद्धांत कई निर्णयों में निर्धारित किए गए हैं।

16. यह स्पष्ट होगा कि अधिनियम का एक भाग बोर्ड के गठन, बोर्ड के निगमन और इसकी गतिविधियों के विनियमन से संबंधित है। लेकिन इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बिजली के उत्पादन और आपूर्ति को तर्कसंगत बनाना है। प्रविष्टि 43 और 44 में परिकल्पित विनियमन निगम के बिजली उत्पादन, वितरण और आपूर्ति के व्यवसाय का विनियमन नहीं है। चूँकि 1910 और 1948 के अधिनियम एक साथ एक पूर्ण संहिता बनाते हैं, सूची 111 में प्रविष्टि 38 के संबंध में बोर्ड केवल इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया एक साधन है। विद्युत बोर्ड के निगमन और विनियमन के संबंध में प्रावधान को बिजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के संबंध में प्रावधान के लिए केवल आकस्मिक माना जाना चाहिए।

18. रामतनु हाउसिंग सोसाइटी बनाम। महाराष्ट्र, (1970) 1 एस. सी. सी. 248, इस न्यायालय ने महाराष्ट्र औद्योगिक मामले पर विचार किया था। विकास अधिनियम, 1961 और यह प्रश्न कि क्या महाराष्ट्र

अधिनियम के तहत गठित विकास निगम एक व्यापारिक निगम था। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विधान राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के अंतर्गत आता है और संघ सूची की प्रविष्टि 43 के अंतर्गत नहीं आता है, इस न्यायालय ने कहा: [एससीसी पीपी। 324 , 325 , 326 , 327-328 , पैरा 3,4,8,11 और 15]

यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों और उद्योगों की औद्योगिक संपदाओं में व्यवस्थित स्थापना को सुरक्षित करने और आम तौर पर सहायता करने के लिए एक विशेष प्रावधान करने वाला है।

उसके संगठन में, और उस उद्देश्य के लिए एक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, और उद्देश्यों के लिएउपरोक्त मामलों से संबंधित।

निगम की स्थापना सुरक्षा के उद्देश्य से की गई है

और त्वरित और व्यवस्थित स्थापना में सहायता करना और

औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं में उद्योगों का संगठन

महाराष्ट्र राज्य में।

दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

के कार्यों और शक्तियों को मोटे तौर पर बताया गया है

निगम को औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक संपदाओं का विकास करना है

सड़क, पानी या बिजली की आपूर्ति, सड़क प्रकाश, जल निकासी की सुविधाएं प्रदान करके या अन्यथा निगम द्वारा धारण की गई किसी भी संपत्ति को ऐसी शर्तों पर हस्तांतरित करके जो निगम द्वारा उचित समझी जाए। राज्य में उद्योगों की स्थापना, विकास और विकास के संबंध में निगम के प्रमुख कार्य सबसे पहले औद्योगिक संपदाओं की स्थापना और प्रबंधन करना है।

निगम या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए अधिग्रहित किया गया है, राज्य सरकार, भूमि का कब्जा लेने के बाद, भूमि को निगम या उस स्थानीय प्राधिकरण को हस्तांतरित करेगी।*

*

यह अधिनियम के उद्देश्यों और निगम की शक्तियों और कार्यों की पृष्ठभूमि में है कि कानून के वास्तविक और सही चरित्र का निर्धारण किया जाएगा। उद्योग राज्य सूची की प्रविष्टि 24 के भीतर आते हैं। महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना, विकास और विकास संघ सूची की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के अंतर्गत नहीं आता है। स्थापना, विकास और

राज्य में उद्योगों का विकास उद्योगों की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि अधिग्रहण या अधिग्रहण समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 के अंतर्गत आता है। उद्योगों के विकास को प्राप्त करने के लिए न केवल भूमि अधिग्रहण करना बल्कि अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करना भी आवश्यक है। अतः निगम की स्थापना अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है। अधिनियम उद्योगों की स्थापना, विकास और संगठन, उस ओर से भूमि अधिग्रहण और सरकार के अंगों या एजेंसियों में से एक के रूप में निगम की स्थापना करके अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना है। निगम की शक्तियाँ और कार्य किसी भी अनिश्चित शब्दों में नहीं दिखाते हैं कि ये सभी स्थापना, विकास और [2020] 5 एस. सी. आर. के प्रमुख और प्रमुख उद्देश्य की सहायता में हैं।

उद्योगों की स्थापना। निगम की स्थापना उस उद्देश्य के लिए की गई है। इसलिए हम मानते हैं कि यह अधिनियम एक वैध कानून है।

बिजली के उत्पादन और आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाना और विद्युत विकास के लिए अनुकूल होने के लिए, 1948 के अधिनियम को सूची III की प्रविष्टि 38 के तहत आने वाला माना जाना चाहिए। इसके अलावा, बिजली बोर्ड कारोबार नहीं कर रहे हैं। निगमों। वे लोक सेवा निगम हैं। उन्हें बिना किसी लाभ के काम करना पड़ता है। बढ़ावा देना उनका कर्तव्य है।

बिजली के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का सबसे कुशल और किफायती तरीके से समन्वित विकास, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में इस तरह के विकास के संदर्भ में जो किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा तत्काल या पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किए जा रहे हैं (धारा 18)। एकमात्र आदेश यह है कि जहाँ तक व्यवहार्य हो वे नहीं करेंगे।

हानि पर अपने कार्यों को जारी रखें (धारा 59)। उन्हें राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है (धारा 63)। के निर्वहन में

विषय, अर्थात्, 1910 और 1948 के अधिनियम और यदि वे ऐसे थे, तो क्या उस तिरस्कार को राष्ट्रपति की सहमति से ठीक किया गया है?21. यह मानते हुए भी कि 1948 के अधिनियम का हिस्सा एक व्यापारिक निगम के निगमन और विनियमन के संबंध में कानून है, जो अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 43 के तहत आता है, इसका बाकी हिस्सा होगा।

यह सूची III की प्रविष्टि 38 के अंतर्गत आता है। बिजली के उत्पादन और वितरण से संबंधित गतिविधियों के विनियमन से संबंधित अधिनियम का वह हिस्सा, जैसा कि हमने दिखाया है, प्रविष्टि "बिजली" के अंतर्गत आएगा। केरल अधिनियम का दुरंग गणपति चौगुल v से कोई लेना-देना नहीं है।

विद्युत बोर्ड का निगमन और विनियमन और इसलिए, यह केवल सूची III की प्रविष्टि 38 से संबंधित हो सकता है, यदि बिल्कुल भी हो। ”

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अस्वीकृति केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब संसद और राज्य दोनों विधान सूची III के भीतर आते हैं।

58. सीता राम शर्मा और ओआरएस में। (ऊपर) संबंधित प्रश्न

43 सूची I और सूची III की प्रविष्टियों 35 और 42 पर विचार किया गया। यह.

एल्ड:

“ 9. मुख्य तर्क यह है कि धारा 4 का विषय-वस्तु

सातवीं अनुसूची की सूची I की मद 43 के अंतर्गत आता है संविधान। इसलिए राज्य विधानमंडल धारा 4 को अधिनियमित नहीं कर सका। डॉ. एल. एम. सिंघवी, महाधिवक्ता का प्रतिद्वंद्वी तर्क

राजस्थान, यह है कि धारा 4 का विषय-वस्तु अपनी वास्तविक प्रकृति और चरित्र में सातवीं की सूची III की मद 35 और 42 के अंतर्गत आता है।संविधान की अनुसूची।

10. सूची I की मद 43 में लिखा है: " बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगम सहित व्यापारिक निगम का निगमन, विनियमन और समापन, लेकिन सहकारी समितियों को शामिल नहीं करना। सूची III की मद 35 में लिखा है: " यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहन जिनमें शामिल हैं

जिन सिद्धांतों पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है। सूची III की मद 42 में लिखा है: " संपत्ति का अधिग्रहण और अधिग्रहण।

15. अपीलार्थी द्वारा यह विवादित नहीं है कि अध्याय IV-A का विषय-वस्तु सूची III की मद 35 और 42 के अंतर्गत आता है। तदनुसार यह होगा कि धारा 68-ए परिभाषा खंड भी उन्हीं मदों के संबंध में एक कानून है। अध्यादेश की धारा 4

घोषित करता है कि इसके तहत तैयार और प्रकाशित कोई भी योजना

धारा 68-सी राज्य परिवहन के महाप्रबंधक द्वारा

उपक्रम को तैयार या प्रकाशित माना जाएगा।

राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा। इसमें यह भी कहा गया है कि

योजना पर किसी भी अदालत या किसी प्राधिकरण के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।

केवल इस आधार पर कि यह महाप्रबंधक द्वारा तैयार या प्रकाशित किया गया है। यह देखा जा सकता है कि धारा 4 सड़क परिवहन निगम अधिनियम में कोई संशोधन नहीं करती है। यह उक्त अधिनियम की धारा 19 (2) (सी) के तहत सड़क परिवहन निगम की शक्ति को सीधे प्रभावित नहीं करता है। इसने मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय IV-A में एक नई धारा 68-CC डालने का प्रयास किया है। इस नए खंड द्वारा इसने तैयार की गई योजना को मान्य कर दिया है और

राज्य परिवहन के महाप्रबंधक द्वारा प्रकाशित

धारा 68-सी में परिभाषित उपक्रम।

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि विषय-वस्तु

धारा 4 स्पष्ट रूप से सूची III की मद 35 और 42 के अंतर्गत आती है और नहीं

सूची I की मद 43 के भीतर विषय-वस्तु की संस्तुति है -

जनरल द्वारा सड़क परिवहन उपक्रम के अधिग्रहण की शक्ति

अधिग्रहण के साथ। इसका निगमन, विनियमन से कोई संबंध नहीं है।और व्यापारिक निगमों का समापन। की संवैधानिकता

लिमिटेड, 1947 एफ. सी. आर. 28: आकाशवाणी 1947 पी. सी. 60: 74 आई. ए. और कन्नन देवन हिल्स प्रोडक्यूस कंपनी लिमिटेड v. केरल राज्य, (1973) 1 एससीआर

356) . "

(जोर दिया गया)

यह स्पष्ट है कि 'निगमन, विनियमन और समापन'

बैंक एक ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा जिसे वह चुन सकता है। जब पिथ और पदार्थ में बैंकिंग को सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत शामिल किया जाता है, तो भी आकस्मिकप्रविष्टि 32 सूची II के तहत राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्र में खाई खोदने की अनुमति है।

59. एक गतिविधि के विभिन्न पहलू हो सकते हैं। सहकारी

राज्य सहकारी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत समितियों का गठन किया जा सकता है। राज्य के कानून में 'निगमन, विनियमन और समापन पांडुरंग गणपति चौगुले v' का प्रावधान है।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत, सदस्यता पंजीकरण और अन्य मामलों को सूची II की प्रविष्टि 32 द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, और साथ ही, बैंकिंग, लाइसेंस, खातों आदि से संबंधित पहलुओं को प्रविष्टि 45 सूची I के तहत शामिल किया जा सकता है।

60. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक संविधान पीठ ने पहलुओं के सिद्धांत पर विचार किया और

सूची I और II के तहत कराधान का क्षेत्र और राय दी कि वास्तव में अतिव्यापी हो सकता है, लेकिन कानून में कोई अतिव्यापी नहीं होगा। केवल इसलिए कि मूल्यांकन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली या तंत्र और

परिमाणीकरण समान है, दोनों करों को अतिव्यापी नहीं कहा जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रविष्टि 52,53 और 54 कराधान के प्रमुख नहीं हैं। कराधान का क्षेत्र सूची II की प्रविष्टियाँ 49 और 50 द्वारा कवर किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक ही लेन-देन में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएँ इसके विभिन्न पहलुओं में शामिल हो सकती हैं। केवल इसलिए कि पहलू ओवरलैप होते हैं, इस तरह का ओवरलैपिंग पहलुओं की विशिष्टता को कम नहीं करता है। वहाँ कोई नहीं था। केवल एक ही लेन-देन के दो पहलुओं के कारण संघर्ष का प्रश्न दो विधानसभाओं द्वारा दो शुल्कों के लिए उपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने कहा:

" 141. जैसा कि गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, 1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 707 में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसे हमने सही निर्णय के रूप में अभिनिर्धारित किया है, इस न्यायालय ने कई निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित कानून के सिद्धांत को नोट किया है कि कर का माप इसके आवश्यक चरित्र का निर्धारक नहीं है। द.एक ही लेन-देन के विभिन्न पहलुओं में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएँ शामिल हो सकती हैं। केवल इसलिए कि पहलू ओवरलैप होते हैं, जैसे कि

अतिव्याप्ति पहलुओं की विशिष्टता को कम नहीं करती है। हमारी राय में, केवल एक ही लेन-देन के दो पहलुओं का दो लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के कारण टकराव का कोई सवाल ही नहीं है

दो शुल्कों के लिए विधायिकाएँ जिनमें से दोनों कर या शुल्क हो सकते हैं या जिनमें से एक कर हो सकता है और दूसरा शुल्क दो के भीतर आता है।दोनों के लिए क्रमशः उपलब्ध विधान के क्षेत्र।

कानून और प्रविष्टियों पर विचार किया जाना चाहिए और सार कानून के तय किए गए सिद्धांत हैं, और आकस्मिक खाई की अनुमति है। इस प्रकार, हमारी राय है कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (सी) (iv) (ए) और अधिसूचना दिनांक 28.2.2003 को ऐसा नहीं कहा जा सकता हैअल्ट्रा वायर्स बनें। वे भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45 सूची I के अंतर्गत हैं।

संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव

61. हमारा उपरोक्त निष्कर्ष संविधान (सत्तानबे) के माध्यम से जोड़े गए संवैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित है।

संशोधन) अधिनियम, 2011। सहकारी समितियों के प्रबंधन के संबंध में अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 बी को नीचे निकाला गया है:

" 43 बी. सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य करेगा

स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता को बढ़ावा देने का प्रयास

सहकारी समितियों का कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन।

62. अनुच्छेद 243ZI में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल,

कानून, सहकारी समितियों के 'निगमन, विनियमन और समापन' के संबंध में प्रावधान करें। अनुच्छेद 243ZI यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 243 ज़ी. सहकारी समितियों का समावेश। इस भाग के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के संबंध में प्रावधान कर सकता है।

आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कार्य "।

63. सतानबेवें संशोधन में अनुच्छेद 243ZL को भी शामिल किया गया जो बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन के अधिक्रमण और निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 243ZL यहाँ नीचे निकाला गया है:

" 243 जेडएल। - बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिवेतन और निलंबन। — (1) तत्काल लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी बोर्ड को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए निरस्त या निलंबित नहीं किया जाएगा: बशर्ते कि बोर्ड को हटा दिया जाए या उसके अधीन रखा जाए

मामले में निलंबन

((i) अपने स्थायी चूक का; या

((ख) अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही; या((ग) बोर्ड ने हितों के प्रतिकूल कोई भी कार्य किया है।

सहकारी समिति या उसके सदस्य; या

((iv) बोर्ड के गठन या कार्यों में गतिरोध है।

या पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

((v) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण या निकाय,

कानून द्वारा, अनुच्छेद 243ZK के खंड (2) के तहत, आचरण करने में विफल रहा है।राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव:

बशर्ते कि किसी सहकारी समिति के संचालन के मामले में बैंकिंग का व्यवसाय, बैंकिंग विनियमन के प्रावधान

अधिनियम, 1949 भी लागू होगा:

बहु-राज्य सहकारी समिति, जिसका व्यवसाय चलता है बैंकिंग, इस खंड के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि

शब्द "छह महीने", शब्द "एक वर्ष" को प्रतिस्थापित किया गया था।

(2) बोर्ड के अधिक्रमण के मामले में, प्रशासक नियुक्त किया जाता है

ऐसी सहकारी समिति के कार्यों का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्था की जाएगी

खंड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर चुनाव कराने के लिए

और प्रबंधन को निर्वाचित बोर्ड के रूप में सौंपें। (3) किसी राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, इसके लिए प्रावधान कर सकता है -

प्रशासक की सेवा की शर्तें। ”

(जोर दिया गया)

अनुच्छेद 243ZL (1) का तीसरा परंतुक स्पष्ट करता है कि

बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति, राज्य अधिनियम के अलावा बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे। अनुच्छेद 243 जेडएल के खंड (1) के चौथे परंतुक में बैंकिंग का व्यवसाय करने वाली बहु-राज्य सहकारी समिति के संबंध में एक अपवाद भी शामिल है, इस खंड के प्रावधानों का प्रभाव इस तरह होगा जैसे कि

'छह महीने' शब्दों को 'एक वर्ष' शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, संवैधानिक प्रावधान स्वयं एक सहकारी बैंक और अन्य सहकारी समितियों और सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत अधिनियमित लागू कानून के बीच अंतर करता है। इसने बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा संचालित बैंकों पर लागू होने से संबंधित किसी भी विवाद को समाप्त कर दिया।

सहकारी समितियाँ। यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसे बैंक सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा शासित होते हैं।

64. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) पर अपीलकर्ताओं द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया जाता है, और तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा नोट किए गए संघर्ष के कारण, मामला भेजा गया है। ग्रेटर मेंबॉम्बे कॉप। बैंक लिमिटेड (ऊपर) ने सवाल उठाया कि क्या

सहकारी समिति अधिनियम के तहत गठित सहकारी बैंकों को सहकारी समिति अधिनियम के तहत देनदारों से राशि की वसूली करने का अधिकार होगा, या वे आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के तहत आगे बढ़ सकते हैं, और क्या लंबित कार्यवाही को ऋण राहत न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया जाना था। दूसरे शब्दों में, क्या महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत गठित न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों को आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद ऋणों की वसूली के लिए 1960 अधिनियम और 2002 अधिनियम के तहत निगमित सहकारी बैंकों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदनों/विवादों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। उच्च न्यायालय ने राय दी कि 1993 के अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद, 1960 के अधिनियम के साथ-साथ 2002 के अधिनियम के तहत अदालतों और प्राधिकरणों के पास ऋणदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा।

सहकारी बैंक अपने बकाया की वसूली के लिए। हालाँकि, उसी समय, उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल की क्षमता को बरकरार रखा।

65. एक अन्य मामले में, ए. पी. स्टेट कॉप। बैंक वी. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, समुद्र झींगा (पी) लिमिटेड ने धाराओं को निरस्त कर दिया।

61 और संवैधानिक अक्षमता के आधार पर ए. पी. सी. एस. अधिनियम, 1964 की धारा 71। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 में विषय वस्तु को राज्य विधायी क्षेत्र से बाहर रखा गया था, और धन की वसूली संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 में बैंकिंग के मूल और मूल क्षेत्र के भीतर आती है। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) में परिभाषित एक सहकारी बैंक, धारा 2 (डी) के अर्थ में एक बैंक और एक बैंकिंग कंपनी है।

((ङ) आर. डी. बी. अधिनियम, 1993। 1993 के अधिनियम के तहत गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण का विशेष अधिकार क्षेत्र था।

66. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। कार्यक्षेत्र के बारे में बैंक लिमिटेड (ऊपर)

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियाँ 43,44 और 45 और सूची II की प्रविष्टियाँ 32 में से यह देखा गया:

" 88. सूची I की प्रविष्टि 43 बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगमों आदि की बात करती है, लेकिन स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों को इसके दायरे से बाहर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक इरादा यह है कि दुरंग गणपति चौगुल बनाम।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने और उस पर कानून बनाने के लिए राज्यों पर छोड़ दिया जाना था और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधियों को भी तब तक नहीं छुआ जाना था जब तक कि संसद इस पर विचार नहीं करती।

अनिवार्य है। बी. आर. अधिनियम बैंकिंग व्यवसाय के विनियमन से संबंधित है। कार्यवाही से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। किसी भी बैंक द्वारा अपने बकाया की वसूली के लिए। वसूली शुरू में दीवानी मुकदमों के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित की गई थी और आर. डी. बी. अधिनियम लागू होने के बाद, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया की वसूली के लिए आवेदन दायर किए गए थे।

न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण की स्थापना बैंकों के ऋणों की वसूली के लिए त्वरित उपचार प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ की गई है और

वित्तीय संस्थानों को सिविल न्यायालय के सामान्य उपचार से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 89. आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ, (1970) 1 एस. सी. सी. 248, इस न्यायालय ने कहा कि बैंकिंग और अन्य व्यवसाय करने और संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के लिए निगमों की स्थापना के लिए कानून बनाने की शक्ति और

निगम संसद को 43,44 प्रविष्टियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और

45 संविधान से। इसलिए, सूची I की प्रविष्टि 43 में सहकारी समितियों का स्पष्ट बहिष्कार और सूची II की प्रविष्टि 32 में सहकारी समितियों को अलग से और इसके अलावा सूची I और विश्वविद्यालयों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा अन्य निगमों के साथ स्पष्ट रूप से शामिल करना, स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संवैधानिक योजना सहकारी समितियों को निगमों से अलग संस्थानों के रूप में मानने के लिए बनाई गई थी। सहकारी समितियाँ, निगमन, विनियमन और समापन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची

II की प्रविष्टि 32 के दायरे में राज्य के विषय हैं। सहकारी समितियाँ जीनस "निगम" की एक प्रजाति बनाती हैं और ऐसी सहकारी समितियाँ जिनके उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं हैं, वे हैं -

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 44 में दिए गए संघ सूची के साथ पढ़ें; एमएससीएस अधिनियम, 2002

ऐसी बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ। इसलिए, कॉरपोरेट बैंकों के विपरीत सीमित वाणिज्यिक कार्यों के साथ जनता के लिए कार्य करने वाले सहकारी बैंकों को "बैंकिंग" से संबंधित सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है। विषय-वस्तु

सहकारी समितियाँ संघ सूची में शामिल नहीं हैं, बल्कि यह हैसंविधान में संलग्न सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (ऊपर) में निर्णय को इस प्रकार अलग किया:

" 95. भारत संघ बनाम। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन। , (2002) 4 एस. सी. सी. 275, बॉम्बे उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के समर्थन में उत्तरदाताओं की ओर से भरोसा करता है, सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारी बैंकों के निर्णय और वसूली प्रावधानों के मुद्दे पर विचार नहीं करता है। न्यायालय केवल प्रविष्टि 45 पर विचार कर रहा था,

सूची I बनाम प्रविष्टि II-A, सूची III "न्याय का प्रशासन"। इस प्रकार, इस मामले का निर्णय किसी भी सहायता या सहायता का नहीं है

वर्तमान मामलों में शामिल कानून का प्रस्ताव।

67. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। बैंक लिमिटेड (ऊपर), न्यायालय ने संत साधु सिंह बनाम के निर्णयों पर भरोसा किया। पंजाब राज्य 3 7, और

नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम प्रभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ 3 8. संत साधु सिंह (ऊपर) में, पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 में किया गया संशोधन, जिसने पंजाब सहकारी समिति के प्रबंधन में शेयरधारकों के अधिकारों और शक्तियों को कम कर दिया।

बैंकिंग व्यवसाय में लिप्त समितियाँ, इसलिए, राज्य के पास सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत विधायी क्षमता नहीं थी, और केवलसंसद के पास सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत विधायी क्षमता थी। प्रबंधन के रूप में शामिल प्रश्न स्पष्ट रूप से सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत शामिल था। यह एक समाज के निगमन, प्रबंधन और समापन के संबंध में था। इस प्रकार, उपर्युक्त दोनों निर्णय हो सकते हैं

बैंकिंग के पहलू के संबंध में लागू नहीं कहा जाएगा और

37 ए. आई. आर. 1970 पी एंड एच 528

38 एयर 1971 बम 365 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

ग्रेटर बॉम्बे कॉप में एक राय बनाते समय गलत तरीके से भरोसा किया गया था। बैंक लिमिटेड (ऊपर)।

6 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 और 69ए में निहित प्रावधानों पर विचार करते हुए सूची III की। हमारी राय है कि यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित है। 69. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने भी विरेंद्र पाल सिंह (ऊपर) पर भरोसा रखा है, जिसमें बैंकिंग में शामिल सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुशासनात्मक नियंत्रण सहित भर्ती, परिलब्धि, नियम और सेवा की शर्तों से संबंधित प्रावधानों पर विचार किया गया था। अतः प्रश्न यह है कि

सहकारी समितियों का प्रबंधन/विनियमन शामिल था। सहकारी बैंकों के बैंकिंग व्यवसाय का पहलू शामिल नहीं था। अधिनियम बनाने के लिए राज्य की विधायी क्षमता पर सवाल उठाया गया था। उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, सार और सार में, यू. पी. सहकारी समितियाँ अधिनियम निगमन, प्रबंधन औरसमाप्त करना और यह कि यदि यह संयोग से बैंकिंग पर खाई डालता है, तो कानून को राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे नहीं ले जाएगा। सहकारी समितियों के उचित वित्तपोषण और प्रभावी कामकाज के लिए ऐसी सहकारी समितियां भी होनी चाहिए जो बैंकिंग व्यवसाय करती हैं ताकि अन्य सहकारी समितियों के काम-काज को केवल इसलिए सुविधाजनक बनाया जा सके कि वे बैंकिंग व्यवसाय करती हैं, वे सहकारी समितियां बनना बंद नहीं करती हैं। यह राय दी गई थी:

" 10. हम इस प्रश्न पर अधिकार की प्रचुरता का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि यह कैसे निर्धारित किया जाए कि कोई कानून एक सूची में प्रविष्टि के अंतर्गत आता है या दूसरी सूची में प्रविष्टि के अंतर्गत आता है। बहुत पहले प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम. बैंक ऑफ

कॉमर्स लिमिटेड, 74 आई. ए. 23, प्रिवी काउंसिल को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या बंगाल धन-ऋणदाता अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 27 के भीतर आता है, जो "धन-ऋण" था, जिसके संबंध में प्रांतीय विधायिका कानून बनाने के लिए सक्षम थी, या क्या यह सूची I में प्रविष्टियों 28 और 38 के भीतर आता है जो "वचनबद्ध" थे।

"और" बैंकिंग "जो केंद्रीय विधानमंडल की क्षमता के भीतर थे। तर्क यह था कि बंगाल का पैसा

ऋणदाता अधिनियम प्रांतीय [2020] 5 एस. सी. आर. की क्षमता से परे था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ तक विधायिका वचन पत्रों और बैंकिंग के व्यवसाय से संबंधित है। प्रिवी काउंसिल ने पूरे अधिनियम के अधिकारों को बरकरार रखा क्योंकि यह धन-ऋण देने से संबंधित था। उन्होंने देखा:

विषयों को अभी भी ओवरलैप करना चाहिए, और वे कहाँ करते हैं सवाल पूछा जाना चाहिए कि सार और सार में इसका क्या प्रभाव है किसकी शिकायत की गई है और किस सूची में इसकी वास्तविक प्रकृति और चरित्र पाया जाना है। यदि इन प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता था, तो बहुत अधिक लाभकारी कानून को जन्म के समय दबा दिया जाएगा, और प्रांतीय कानून को सौंपे गए कई विषयों को कभी भी प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा सकता था।

यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों की जांच करना

प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियों का प्रकाश हमारे पास नहीं है

इस बात में थोड़ा सा भी संदेह है कि अधिनियम सार और सार से संबंधित है

" सहकारी समितियाँ "। यह संयोग से बैंकिंग पर खाई डालता है जो इसे राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे नहीं ले जाता है। यह स्पष्ट है कि उचित वित्तपोषण और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए

सहकारी समितियों में सहकारी समितियाँ भी होनी चाहिए।

जो दूसरों के काम करने को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। सहकारी समितियाँ। सिर्फ इसलिए कि वे बैंकिंग व्यवसाय करते हैं

ऐसी सहकारी समितियाँ सहकारी समितियाँ बनना बंद नहीं करती हैं,

जब अन्यथा वे सहकारी समिति के तहत पंजीकृत हों

सोसायटी अधिनियम और कर्तव्यों, देनदारियों और नियंत्रण के अधीन हैंसहकारी समिति अधिनियम के प्रावधान। हम नहीं करते।

सोचिए कि सवाल पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए और हम,

इसलिए, मान लीजिए कि यू. पी. सहकारी समिति अधिनियम इसके अंतर्गत था।

नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम।संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, आकाशवाणी 1971

पी एंड एच 528 "। उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यू. पी.

सहकारी समिति अधिनियम, राज्य सहकारी बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन से निपटने के लिए सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत सक्षम था। हालाँकि, बैंकिंग से संबंधित सहकारी बैंक की गतिविधि का मुख्य पहलू बी. आर. अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा कवर किया गया था, जो कानून सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 45 और 38 से संबंधित हैं। निगमन के पहलू, पांडुरंग गणपति चौगुले v.

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

विनियमन और समापन सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आते हैं। हमारी राय में, ऐसे बैंकरों द्वारा बैंकिंग की गतिविधि को पीठ के सिद्धांत पर विचार करते हुए सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर किया गया है और

पदार्थ, और राज्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर आकस्मिक अतिक्रमण पर भी विचार करने की अनुमति है।

70. समाज के गैर-बैंकिंग मामलों को विनियमित करने और समाज के बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित करने की अवधारणा दो अलग-अलग पहलू हैं और

निगम, कंपनी या सहकारी बैंक/सहकारी समिति। यह सहकारी बैंकों सहित बैंकों को देय राशि की वसूली का प्रावधान करता है, जो बैंकिंग गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह अधिनियम किसी भी तरह से सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत आरक्षित क्षेत्र में खाई नहीं है और सूची I की प्रविष्टि 45 से पता लगाने योग्य कानून का एक हिस्सा है।(उपर्युक्त) सेवा विनियमों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। यह सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत शामिल 'बैंकिंग' के विनियमन से संबंधित तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है। न्यायालय ने उक्त निर्णय में बैंकिंग के विनियमन के पहलू पर विचार नहीं किया क्योंकि इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, निर्णय का अनुपात एक अलग क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावा, यू. पी. सहकारी सेवा अधिनियम को एक अन्य सूची, अर्थात प्रविष्टि 45 सूची I, जो अनुमेय है, के विषय पर आकस्मिक खाई के आधार पर सहेजा गया था।

संदर्भ प्रश्न संख्या 2:

71. अगला प्रश्न बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (1) (बी) में परिभाषित 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा पर धारा 56 (ए) के प्रभाव का है। 'बैंकिंग' की परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है

सर्फेसी अधिनियम में निहित। 'बैंक' शब्द को परिभाषित किया गया है

धारा 2 (1) (सी) का अर्थ है 'बैंकिंग कंपनी', एक संबंधित नया बैंक, एक सहायक बैंक या एक बहु-राज्य सहकारी बैंक या ऐसा अन्य बैंक जिसे केंद्र सरकार अधिनियम के लिए अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। धारा 2 (डी) के तहत 'बैंकिंग कंपनी' शब्द का वही अर्थ होगा जो बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में दिया गया है। इस प्रकार, 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा धारा 2 (1) (डी) में शामिल की गई है।

सरफेसी अधिनियम, जो 21.6.2002 पर लागू हुआ। धारा 56 (ए) को बी. आर. अधिनियम, 1949 में 1965 के अधिनियम No.23 द्वारा लागू किया गया था।

[2020] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.3.1966 . उस तारीख को धारा 56 (ए) क़ानून का हिस्सा बन गई। बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) 'बैंकिंग कंपनी' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कोई भी कंपनी।

अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति को दी गई सलाह में यह उल्लेख किया गया था कि ये मामले विशेष रूप से सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत शामिल नहीं थे और यह विषय-प्रविष्टि का विषय था। 32 सूची II। इस प्रकार, जब हम 1949 के अधिनियम के प्रावधानों को किसी सहकारी बैंक पर लागू करते हैं, तो सहकारी बैंक को शामिल करने के लिए 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा को पढ़ना पड़ता है। धारा 56 (ए) धारा 5 (सी) का हिस्सा बन जाती है, हालांकि यह एक अलग स्थान पर स्थित है। चूंकि अधिनियम का केवल भाग 5 सहकारी बैंकों पर लागू होता है, इसलिए धारा 56 (ए) की परिभाषा में संशोधन किया गया है -

'बैंकिंग कंपनी', और यह धारा 5 (सी) का एक अभिन्न अंग बन जाता है, क्योंकि पूर्ण प्रभाव दिया जाना आवश्यक है।

72. पूर्ववर्ती अधिनियम के संदर्भ में निगमन का पहलू

बाद में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा पृष्ठों 318-320 पर 'वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत', 12 वें संस्करण 2010 में इस प्रकार चर्चा की गई है:

सुविधा के लिए अपनाया गया उपकरण जिससे बचने के लिएपूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों का शाब्दिक पुनरुत्पादन

बाद में। 39 जब कोई पूर्ववर्ती अधिनियम या उसके कुछ प्रावधान

बाद के अधिनियम में संदर्भ द्वारा निगमित, इस प्रकार के प्रावधान

39 मैरी रॉय बनाम। केरल राज्य, (1986) 2 एस. सी. सी. 209, पी. 216 : ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 1011; नागपुर सुधार न्यास बनाम। अमरीक सिंह, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3499, पी. 3512 : (2002) 7 एससीसी 657।

"इसमें शारीरिक रूप से परिवर्तित" किया गया था। 40 निगमन का प्रभावलार्ड ईशर, एम. आर. द्वारा सराहनीय रूप से कहा गया है। : " अगर बाद में

अधिनियम पूर्व के कुछ खंडों को संदर्भ द्वारा अपने आप में लाता है। अधिनियम, जिसका कानूनी प्रभाव, जैसा कि अक्सर माना जाता है, लिखना है

उसमें कलम के साथ, या उसमें मुद्रित। 41 परिणाम यह है किबाद में पूर्ववर्ती अधिनियम के निगमित प्रावधानों के साथ अधिनियम,

एक स्वतंत्र विधान जो एक द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया गया है

जे. : " जहाँ एक क़ानून को, संदर्भ द्वारा, दूसरे में शामिल किया जाता है।क़ानून, एक तिहाई द्वारा पहले क़ानून का निरसन प्रभावित नहीं करता है

दूसरा "। 43 इसी प्रभाव के लिए सर जॉर्ज का कथन है

नीचे: " यह मानना कम तार्किक नहीं लगता है कि कहाँ

मौजूदा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है।

बाद के अधिनियम में, पूर्व अधिनियम के लिए कोई जोड़ नहीं है, जो नहीं है

बाद के अधिनियम पर स्पष्ट रूप से लागू किया गया, माना जा सकता है

इसमें शामिल किया जाना, सभी घटनाओं पर यदि यह संभव हैबाद का अधिनियम प्रभावी रूप से बिना जोड़ के कार्य करेगा। 44

40 रामसरूप वी. मुंशी, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 553, पी. 558 : 1963 (3) एस. सी. आर. 858; नागपुर सुधार न्यास बनाम। अमरीक सिंह, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3499, पी. 3512 : (2002) 7 एससीसी 657। 4 1 रे, वुड्स एस्टेट, एक्स पार्टी, वर्क्स एंड बिल्डिंग्स कॉमर्स। , (1886) 31 सीएच डी 607, पी। 615 ; राम कृपाल भगत बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 951, पी. 957 : (1969) 3 एस. सी. सी. 471; बोलानी ओरेस लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 17, पी. 29 : 1975 (2) एससीआर 138: (1974) 2 एस. सी. सी. 777; महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम। भारत संघ, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 798, पृ. 810 , 811 : (1979) 2 एस. सी. सी. 529; ओंकारलाल नंदलाल बनाम। राजस्थान राज्य, (1985) 4 एस. सी. सी. 404, पी. 415 : ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 2146; सुराना स्टील्स प्रा. लिमिटेड वी. डी. आय-कर आयुक्त, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1455, पी. 1459 : (1999) 4 एस. सी. सी. 303 (पी. इस पुस्तक के 7वें संस्करण का 233 अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है)।

42 नरोत्तमदास बनाम। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1667, पी. 1670 : (1964) 7 एस. सी. आर. 820; बोलानी ऑरेस लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य, ऊपर; महिंद्रा एंड महिंद्रा

लिमिटेड बनाम। भारत संघ,ऊपर; नागपुर सुधार न्यास बनाम। अमरीक सिंह, ऊपर; स्नेह एंटरप्राइजेज बनाम। कॉम. सीमा शुल्क, (2006) 7 एस. सी. सी. 714 (पैरा 13): (2006) 8 जेटी 587: (2006) 7 एस. एल. टी. 615 (इस पुस्तक के 10वें संस्करण का अंश अनुमोदित रूप से उद्धृत किया गया है)।

43 क्लार्क बनाम। ब्रैडलॉफ, (1881) 8 क्यू. बी. डी. 63, पी. 69 ; रामस्वरूप बनाम में संदर्भित। मुंशी, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 553, पी. 558 : (1963) 3 एससीआर 858; सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम। नथेलाल संपथु चेट्टी, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 316, पी. 334 : (1962) 3 एससीआर 786। आगे जेथानंद बेताब बनाम देखें। दिल्ली राज्य, ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 89, पीपी. 91 , 92 : (1960) 1 एस. सी. आर. 755; बोलानी ऑरेस लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य, ऊपर; महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम। भारत संघ, उपर्युक्त; नागपुर सुधार न्यास बनाम। अमरीक सिंह, ऊपर।

44 राज्य सचिव वी। हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 149, पी. 152. नगरपालिका आयुक्तों के अध्यक्ष में संदर्भित। हावड़ा वी. शालीमार वुड प्रोडक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1691, पी. 1694 : 1963 (1) एस. सी. आर 47; बोलानी [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आम तौर पर यदि कोई अधिनियम बाद के अधिनियम में शामिल किया जाता है, तो इरादा है:

पूर्ववर्ती अधिनियम को इसमें किए गए सभी संशोधनों के साथ शामिल करना। निगमन की तारीख तक।
45 नियम कि निरसन या

अधिनियम का संशोधन जो एक में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है

बाद का अधिनियम बाद के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होता है

योग्यता और अपवादों के लिए। 46 इस संदर्भ में एक अंतर है

निगमन और केवल पहले के संदर्भ के बीच खींचा गया

बाद में Act.47 में कार्य करें इसके अलावा, एक अंतर भी तब निकाला जाता है जबजिसे संदर्भित किया गया है वह कोई पूर्ववर्ती अधिनियम या उसका कोई प्रावधान नहीं है

लेकिन सामान्य रूप से एक विषय पर कानून। 48 हालांकि, कोई विवाद नहीं है

अधिनियम या नियम, सामान्य रूप से ऐसा अपनाना चाहे निगमन द्वारा याकेवल संदर्भ पूर्ववर्ती अधिनियम में सभी संशोधनों को शामिल करता है या

गोद लेने की तारीख तक के नियम। 49

वर्तमान एक में संदर्भ द्वारा निगमन का मामला है

सहकारी बैंकों के लिए आवेदन में बाद में संशोधन द्वारा एक ही अधिनियम। जब हम धारा 5 (सी) के प्रावधानों को सहकारी बैंकों पर लागू करते हैं, तो हमें सहकारी बैंकों को वैधानिक रूप से अनिवार्य रूप से उक्त परिभाषा के हिस्से के रूप में पढ़ना होगा। यदि किसी कंपनी को धारा 5 (सी) में सहकारी समितियों/बैंकों के संदर्भ के रूप में नहीं लिया जाता है, तो धारा 56 की व्याख्या के बारे में कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। यह होगा।

सहकारी बैंकों के आवेदन में बी. आर. अधिनियम, 1949 में जहां भी 'बैंकिंग कंपनी' शब्द आते हैं, उन सभी प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

73. संदर्भ द्वारा निगमन के विधायी उपकरण के संबंध में

मैरी रॉय आदि में v. केरल राज्य और Ors.50, न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 7. ..... संदर्भ द्वारा निगमन का विधायी उपकरण एक है

सुविख्यात उपकरण जहाँ विधायिका दोहराने के बजाय

49 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जयपुर बनाम। पूनम पाहवा, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 2951, पी. 2957 : 1997 (6) एससीसी 100। पाठ और टिप्पणी 80, उपर्युक्त भी देखें। [सुविधा के लिए, उद्धरणों को पुनः क्रमांकित किया गया है।] 50 ए. आई. आर 1986 एस. सी. 1011:

(1986) 2 एस. सी. सी. 209 दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

एक अन्य क़ानून में एक विशेष क़ानून के प्रावधान पहले के क़ानून के संदर्भ में बाद के क़ानून में ऐसे प्रावधानों को शामिल करते हैं। यह एक विधायी उपकरण है जिसे सुविधा के लिए अपनाया गया है ताकि किसी प्रावधान के शाब्दिक पुनरुत्पादन से बचा जा सके। बाद के क़ानून में पहले का क़ानून। लेकिन जब विधायिका इस विधायी उपकरण को अपनाने का इरादा रखती है तो उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा पूरी तरह से अलग और धारा 29 उप-अनुभाग में उपयोग की जाने वाली भाषा से अलग होती है। (2) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925। एस. 29 उपसेक का प्रारंभिक भाग। (2) एक गुणात्मक या अपवादात्मक प्रावधान होने का इरादा है

और न कि संदर्भ द्वारा निगमन का प्रावधान। हमें इस तर्क को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जिसकी ओर से आग्रह किया गया है

उत्तरदाता "।

74. यू. पी. में आवास एवं विकास परिषद बनाम। जैनुल इस्लाम और

, यह देखा गया:

" यह निर्धारित करना कि क्या कोई कानून निगमन के माध्यम से था या

अधिनियम द्वारा प्रयुक्त भाषा, मौजूदा अधिनियम के प्रावधान को संदर्भित करने या शामिल करने के उद्देश्य और दिन-प्रतिदिन के काम पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए न्यायालयों द्वारा संदर्भ निर्माण का विषय है। इसका कारण यह मान लेना न्यायालय का प्रमुख कर्तव्य है कि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सेवा के लिए अधिनियमित किया गया है।

जनहित "।

75. पोर्ट्समाउथ निगम बनाम। स्मिथ 52, यह राय दी गई:

" जहाँ संसद के किसी अधिनियम की एक धारा को किसी अन्य अधिनियम में शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसे उस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए जो इसे मूल अधिनियम में दिया गया है जिससे इसे लिया गया है। नतीजतन, यह पता लगाने के लिए कि धारा का क्या अर्थ है, उस अधिनियम के बाकी सभी को संदर्भित करना पूरी तरह से वैध है।

वे अन्य धाराएँ नए अधिनियम में शामिल नहीं की गई हैं।

लॉर्ड ब्लैकबर्न ने आगे इस प्रकार देखा:

" मेरा यह मतलब नहीं है कि यदि मूल अधिनियम में कोई ऐसी धारा थी जिसे शामिल नहीं किया गया था, जो उस पर परंतुक या अपवाद के रूप में आई थी जिसे शामिल किया गया है, तो उसे संदर्भित किया जाना चाहिए, लेकिन व्याख्या खंड सहित अन्य सभी, यदि एक है, तो उसे संदर्भित किया जा सकता है। यह ड्राफ्टमैनशिप का खतरनाक तरीका है

पूर्व अधिनियम से एक धारा को शामिल करें, जब तक कि

ड्राफ्ट्समैन के पास पूरे का बहुत स्पष्ट स्मरण हैपूर्व अधिनियम को हमेशा छोड़ दिया जा सकता है, इसमें बहुत बड़ा जोखिम है

ताकि कुछ ऐसा व्यक्त किया जा सके जिसका इरादा नहीं था। " " "

76. सुराना स्टील्स प्रा. लि. लिमिटेड वी. डी. आय आयुक्त

और Ors.53, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रावधान शारीरिक रूप से सूचीबद्ध है और व्याख्या के स्पष्ट नियम को लागू किया जाना है:

" 12. एक बार जब हम कानून के पीछे के उद्देश्य का पता लगा लेते हैंऔर अभिनिर्धारित किया कि धारा 205 के प्रावधान यहाँ ऊपर उद्धृत किए गए हैं।

शारीरिक रूप से उठाया गया और धारा 115 जे के मुख्य भाग में शामिल किया गया

आयकर अधिनियम के बारे में, हमें बस इतना करना है कि

स्पष्ट रूप से प्रावधान और यदि कोई अस्पष्टता है तो व्याख्या के नियमों को लागू करें

जीवित रहता है। कंपनियों की धारा 205 (1) प्रथम परंतुक खंड (बी)

अधिनियम मूल्यह्रास की राशि के अवशोषित नहीं किए गए हिस्से को सामने लाता है

वर्ष के लिए नुकसान की गणना के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है। शब्द हैं।

" मूल्यह्रास के लिए प्रदान की गई राशि "और" दोनों में आई

मूल्यह्रास के प्रावधान के बाद मामले "इसे बहुत स्पष्ट करते हैं

कि इस खंड में "हानि" नुकसान की राशि को संदर्भित करता है

में प्रदत्त मूल्यह्रास की राशि को ध्यान में रखने के बाद

लाभ और हानि खाता "।

(जोर दिया गया)

77. राज्य सचिव बनाम। हिन्दुस्तान सहकारी बीमा

Ltd.54 के अनुसार, प्रिवी काउंसिल ने कहा:

. इस देश में यह स्वीकार किया जाता है कि जहां एक क़ानून है

दूसरे कानून में संदर्भ द्वारा निगमित, का निरसन

" क़ानून पर क्रेज़ "। यह सिद्धांत एक में अभिव्यक्ति पाता है सामान्य प्रपत्र अनुभाग जो नियमित रूप से संशोधन में दिखाई देता है

और भारत में समय-समय पर पारित किए जाने वाले अधिनियमों को निरस्त करना।खंड चलता है।

" इस अधिनियम द्वारा किसी भी अधिनियम के निरसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधिनियम जिसमें ऐसा अधिनियम लागू किया गया है, निगमित किया गया

या संदर्भित; "

इसलिए दोनों अधिनियमों का स्वतंत्र अस्तित्व है

मान्यता प्राप्त, मूल अधिनियम की मृत्यु के बावजूद, इसकी संतानें

1 9) 4 एस. सी. सी. 306

1931 पी. सी. 149 दुरंग गणपति चौगुल वी. विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

निगमन अधिनियम में जीवित रहता है। हालाँकि सामान्य खंड अधिनियम में ऐसा कोई बचत खंड नहीं है, लेकिन उनके अधिपतियों का मानना है कि इसमें शामिल सिद्धांत भारत में उतना ही लागू है जितना कि इसमें है।

देश।

यह मानना कम तर्कसंगत नहीं लगता है कि जहां किसी मौजूदा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया है -

बाद का अधिनियम जो स्पष्ट रूप से बाद के अधिनियम पर लागू नहीं किया गया है, उसे सभी स्थितियों में इसमें शामिल माना जा सकता है, यदि बाद के अधिनियम के लिए कार्य करना संभव है।प्रभावी रूप से जोड़ के बिना "।

" (11) यहाँ जो समस्या उठाई गई है, वह निर्माण पर निर्भर है, जो कि कई प्रावधान जो हमने पहले निर्धारित किए हैं, वे करेंगे।पंजाब एलियनशन ऑफ लैंड एक्ट, 1900 के निरसन के बाद। एक बात स्पष्ट है और वह यह है कि प्राधिकरण जिसने अधिनियमित किया

पंजाब एलियनशन ऑफ लैंड एक्ट को निरस्त करने पर विचार नहीं किया गया कि

1913 के पंजाब अधिनियम 1 को ही निरस्त किया जाना था। हम अब

पंजाब के भूमि हस्तांतरण को निरस्त करने के प्रभाव पर विचार करें

प्रत्येक प्रावधान के संदर्भ में अधिनियमः

(1) धारा 3 (1) के तहत 'कृषि भूमि' की परिभाषाः जहाँ किसी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया जाता है -

बाद के अधिनियम में पूर्ववर्ती अधिनियम के निरसन के संदर्भ में, सामान्य रूप से,उस अधिनियम के निर्माण या प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं जिसमें

प्रावधानों को शामिल किया गया है। निगमन का प्रभाव है

ब्रेट, एल. जे. ने क्लार्क बनाम ब्रैडलग, (1881) 8 क्यू. बी. डी. 63 में कहाः " जहाँ एक क़ानून को, संदर्भ द्वारा, दूसरे क़ानून में शामिल किया जाता है, वहाँ तीसरे द्वारा पहले क़ानून का निरसन प्रभावित नहीं करता है -

दूसरा "।इन परिस्थितियों में, इसलिए, 1900 के पंजाब एलियनशन ऑफ लैंड एक्ट को निरस्त करने का पंजाब के निरंतर संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पूर्व-अधिग्रहण अधिनियम और बाद के अधिनियम में 'कृषि भूमि' अभिव्यक्ति को इस तरह पढ़ा जाना चाहिए जैसे कि कृषि भूमि के अलगाव की परिभाषा में भूमि अधिनियम को इसमें भौतिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया था। धारा 2

पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, 1900, अधिनियम 1 द्वारा संशोधित

1907 'भूमि' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

1963 एससी 553 [2020] 5 एससीआर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 'भूमि' पद का अर्थ है ऐसी भूमि जिस पर किसी शहर या गाँव में किसी भवन के स्थल के रूप में कब्जा नहीं किया गया है और जिस पर कब्जा किया गया है या कृषि उद्देश्यों के लिए या कृषि के अधीन उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया गया है या

इसमें शामिल हैं

और

के लिए

चरागाह,

यह विवाद में नहीं है कि अपील में किए गए पूर्व अभिग्रहण के दावे में संबंधित भूमि इस परिभाषा को संतुष्ट करती है।

79. यह स्पष्ट है कि पहले के प्रावधानों के शब्दशः पुनरुत्पादन से बचने के लिए, जो एक सहकारी बैंक पर लागू नहीं होते थे, धारा 56 (ए) में 'कंपनी' को 'बैंकिंग कंपनी' के रूप में पढ़ने के लिए एक उपकरण बनाया गया था।या 'कंपनी' या 'ऐसी कंपनी' एक सहकारी बैंक के संदर्भ में। यदि धारा 5 (ग) और व्याख्या खंड में परिभाषा नहीं है

निगमित के रूप में पढ़ा गया और संशोधित किया गया, व्याख्या खंड और भाग V का पूरा संशोधन अव्यवहारिक हो जाएगा। 1949 के पूरे अधिनियम में संशोधन करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि यह सूची I से संबंधित अन्य संस्थाओं के 'निगमन, विनियमन और समापन' से संबंधित था, क्योंकि इस तरह के प्रावधानों को बनाए रखने की आवश्यकता थी, और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 32 के तहत सहकारी समितियों/बैंकों से संबंधित ऐसे मामलों को बाहर रखा जाना था। चूंकि सहकारी समितियों को उनके आवेदन में विभिन्न प्रावधानों को हटा दिया जाना था और अन्य प्रावधानों को संशोधित रूप में लागू किया जाना था, इसलिए सहकारी बैंकों को उनके आवेदन में प्रावधानों में एक अलग अध्याय प्रदान करके संशोधन किए गए थे। इस प्रकार, इसे आवश्यक नहीं माना गया था और न ही इसमें संशोधन करना उचित होता। धारा 5 (ग) की परिभाषा जहां यह मौजूद थी, वास्तव में इसे धारा 56 (क) में इस प्रकार संशोधित किया गया था। पूरा अध्याय V अधिनियमित किया गया था जिसके बारे में

लिमिटेड (ऊपर) ने स्वयं कहा कि बी. आर. अधिनियम, 1949 सहकारी बैंकों पर लागू होता है जो सूची I और तीसरी की प्रविष्टि 45 से संबंधित अधिनियम है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-जेडएल (1) के प्रावधान में यह भी प्रावधान है कि बीआर अधिनियम भी लागू होगा। इस प्रकार, संसद ने तेजी से ठीक होने के लिए अतिरिक्त उपाय प्रदान करना उचित समझा जो कि पांडुरंग गणपति चौगुल v है।

विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

एक विकल्प भले ही मैदान पर कोई आकस्मिक अतिक्रमण हो

सूची II की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य के लिए आरक्षित, जैसा कि सार और सार में है, 'बैंकिंग' सूची I की प्रविष्टि 45 का हिस्सा है और वसूली प्रक्रिया सूची I की प्रविष्टि 45 के केन के भीतर शामिल है। इस प्रकार, आधार और पदार्थ के सिद्धांत और किए गए संशोधन द्वारा निगमन पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि सहकारी बैंकों को सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) और 2 (1) (डी) के तहत 'बैंक' और 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा में शामिल किया गया है।

80. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। संबंधित बैंक लिमिटेड (ऊपर)

बी. आर. अधिनियम, 1949 में कहा गया था:

" 39. बी. आर. अधिनियम का अध्याय 5 1965 के अधिनियम 23 द्वारा अंत:स्थापित किया गया था। अधिनियम की धारा 56 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधान, जो कुछ समय के लिए लागू हैं, उन पर लागू होंगे या

निम्नलिखित के अधीन बैंकिंग कंपनियों के संबंध मेंसंशोधन, अर्थात्:

" 56. (क) इस अधिनियम के दौरान, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो,

आवश्यकता है,

(i) 'बैंकिंग कंपनी' या 'कंपनी' या 'ऐसी कंपनी' के संदर्भों को एक सहकारी बैंक के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;((ख)

*

*

संशोधनों का उद्देश्य और उद्देश्य बैंकिंग में अपने व्यवसाय के मामले में सहकारी बैंकों के कामकाज को विनियमित करना था। धारा 56 के प्रावधान स्वयं सामान्य वाक्यांश से शुरू होते हैं "जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो"

बी. आर. अधिनियम द्वारा प्रदान की गई विनियामक मशीनरी

सहकारी बैंक भी। बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (सी) के संदर्भ में इसका उद्देश्य सहकारी बैंक को बैंकिंग कंपनी के रूप में परिभाषित करना नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि धारा 5 के मूल खंड (सी) में संशोधन करने के बजाय अलग खंड (सी. सी. आई.) को "सहकारी बैंक" को कवर करने के लिए जोड़ा गया था जिसका अर्थ है "एक राज्य सहकारी बैंक"। बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक सहकारी बैंक। खंड (सी. सी. वी.) में "प्राथमिक सहकारी बैंक" का अर्थ है "प्राथमिक कृषि ऋण समिति के अलावा एक सहकारी समिति"। "सहकारी बैंक" का प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय

बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन होना चाहिए।

40. धारा 56 के खंड (क) में दिए गए संशोधन इस प्रकार हैं:

सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्राधिकरणों के अनुशासन के तहत लाने की प्रक्रिया में बी. आर. अधिनियम द्वारा प्रदान की गई नियामक मशीनरी को सहकारी बैंकों पर भी लागू करने के लिए

स्पष्ट रूप से उपयुक्त है। एक सहकारी बैंक को अधिनियम की धारा 56 के संदर्भ में एक बैंकिंग कंपनी के रूप में माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विनियमन के लिए विभिन्न प्रावधान

बैंकिंग कंपनियों को सहकारी बैंकों पर भी लागू किया जाना था। तदनुसार, धारा 56 ने सहकारी बैंकों को बी. आर. अधिनियम के तंत्र के भीतर लाया, लेकिन धारा 5 (सी) के तहत "बैंकिंग कंपनी" के अर्थ में संशोधन या विस्तार नहीं किया। बी. आर. अधिनियम की धारा 56 के प्रत्येक खंड के एक सादे पठन पर, यह बन जाता है

सहकारी समितियाँ। धारा 56 में प्रयुक्त "सहकारी समितियों" का अर्थ है एक "सहकारी समिति", जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले यह एक सहकारी समिति है, लेकिन निर्दिष्ट चुकता शेयर पूंजी के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना। अन्य परिभाषाएँ भी यह स्पष्ट करती हैं कि इकाइयाँ हैं

मूल रूप से सहकारी समितियाँ "।

(क) सर्फेसी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां थीं -

:

" 41. संसद ने वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम लागू किया था।

2002 (" प्रतिभूतिकरण अधिनियम) जो 21-6-2002 पर लागू हुआ माना जाएगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 2 (डी) में "बैंकिंग कंपनी" शब्दों को वही अर्थ दिया गया है जो बी. आर. अधिनियम की धारा 5 के खंड (ई) में दिया गया है। फिर से "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा को बी. आर. अधिनियम से हटा दिया गया था, लेकिन "बैंक" को परिभाषित करते हुए, संसद ने धारा 2 (सी) के तहत इसके पांच अर्थ दिए और जिनमें से एक "बैंकिंग कंपनी" है। केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 2 (सी) (वी) द्वारा अधिनियम के उद्देश्य के लिए किसी अन्य बैंक को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है। इस अभ्यास मेंकेंद्र सरकार ने दिनांक 28-1-2003 की अधिसूचना द्वारा बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (सी. सी. आई.) में परिभाषित "सहकारी बैंक" को "बैंक" के रूप में निर्दिष्ट किया है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

56 , भाग 5 के खंड 5 (सी. सी. आई.) और (सी. सी. वी.) इस प्रकार हैं -

लगातार "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ स्पष्ट किया

सन्देह से परे इसका अर्थ है "बैंकिंग में लगी एक कंपनी, न कि बैंकिंग में लगी एक सहकारी समिति" और 1965 के अधिनियम 23 में,

बी. आर. अधिनियम में संशोधन करते समय, इसने धारा 5 (सी) या यहां तक कि धारा 5 (डी) की परिभाषा को सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए नहीं बदला; दूसरी ओर, इसने "सहकारी" की एक अलग परिभाषा जोड़ी।

बी. आर. अधिनियम के भाग 5 की धारा 56 की धारा 5 (सी. सी. वी.) में "बैंक" और "प्राथमिक सहकारी बैंक"। संसद के दौरान

प्रतिभूतिकरण अधिनियम को लागू करने से एक अवशिष्ट शक्ति का निर्माण हुआ धारा 2 (सी) (वी) इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य बैंक को बैंक के रूप में निर्दिष्ट करना।

अधिसूचना दिनांक 28-1-2003।42. व्याख्या खंड के संदर्भ में बैंकिंग कंपनी के संदर्भ के प्रभाव को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है।

तीन कारणों से एक सहकारी बैंक का संदर्भ: सबसे पहले, धारा 5 एक व्याख्या खंड है; दूसरा, धारा 5 (सी) में परिभाषा में "बैंकिंग कंपनी" के लिए "सहकारी बैंक" के प्रतिस्थापन का परिणाम एक बेतुका होगा क्योंकि तब धारा 5 (सी) इस प्रकार पढ़ेगी: " सहकारी बैंक "से कोई भी कंपनी अभिप्रेत है, जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है; तीसरा, धारा 56 (सी) स्पष्ट रूप से हटाकर/सम्मिलित करके" सहकारी बैंक "को अलग से परिभाषित करती है।

धारा 5 में खंड (सी. सी. आई.)। संसद ने अपने विवेक से 1965 के अधिनियम 23 द्वारा बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (सी) में "बैंकिंग कंपनी" की परिभाषा में कोई बदलाव या संशोधन नहीं किया था।

43. जैसा कि ऊपर देखा गया है, "सहकारी बैंक" को नए जोड़े गए खंड (सी. सी. आई.) द्वारा अलग से परिभाषित किया गया था और "प्राथमिक सहकारी बैंक" को इसी तरह खंड (सी. सी. वी.) द्वारा अलग से परिभाषित किया गया था। इसलिए "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ सख्ती से सीमित होना चाहिए।

बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (सी) में उपयोग किए गए शब्द। यदि संसद का इरादा "सहकारी बैंक" को "बैंकिंग" के रूप में परिभाषित करना था

"कंपनी", संसद के लिए यह कहना सबसे आसान तरीका होता कि "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ धारा 5 (सी) में परिभाषित "बैंकिंग कंपनी" होगा और इसमें "सहकारी बैंक" शामिल होगा और" प्राथमिक सहकारी बैंक "जैसा कि खंड (सी. सी. आई.) और (सी. सी. वी.) में डाला गया है।

1965 के अधिनियम 23 की धारा 5 में।

(ख) आर अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ए) के संदर्भ में निगमन के संबंध में यह राय दी गई थी:

इसके साथ संबंध विशिष्ट अधिनियमों द्वारा कवर किए जाते हैं, जैसे कि एम. सी. एस. अधिनियम, 1960 और ए. पी. सी. एस. अधिनियम, 1964, जो व्यापक और स्व-निहित विधान हैं। इसी तरह, बहु-राज्य के लिए सहकारी समितियों में एम. एस. सी. एस. के रूप में एक विशिष्ट अधिनियम है

अधिनियम, 2002 ऐसी सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दों के संबंध में व्यापक रूप से कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसलिए, जब विशेष रूप से सहकारी समितियों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक स्वीकृत रूप से मौजूदा कानूनी ढांचा है और विशेष रूप से जब सहकारी बैंक, किसी भी मामले में, विशेष रूप से आर. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो सहकारी बैंकों को आर. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) बी. आर. अधिनियम में 'बैंकिंग कंपनी' की परिभाषा के संबंध में, यह देखा गया:

" 73. आर. डी. बी. अधिनियम 1993 में पारित किया गया था जब संसद के समक्ष अधिनियम की धारा 56 में कुछ और खंडों को जोड़कर 1965 के अधिनियम 23 द्वारा संशोधित बी. आर. अधिनियम के प्रावधान थे। संसद इस बात से पूरी तरह से अवगत थी कि बी. आर. अधिनियम के प्रावधान सहकारी समितियों पर लागू होता है जैसा कि वे बैंकिंग कंपनियों पर लागू होते हैं। संसद को यह भी पता था कि "बैंकिंग" की परिभाषा

धारा 5 (सी) में कंपनी को 1965 के अधिनियम 23 द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया था और इसे अक्षुण्ण रखा गया था, और वास्तव में धारा 56 (सी) द्वारा अतिरिक्त परिभाषाएँ जोड़ी गई थीं। सहकारी बैंक "को नए जोड़े गए खंड (सी. सी. आई.) और प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अलग से परिभाषित किया गया था।

इसी तरह खंड (सी. सी. वी.) द्वारा अलग से परिभाषित किया गया था। संसद केवल शब्दों को एक अर्थ दे रही थी; यह बी. आर. अधिनियम के मूल प्रावधानों को शामिल या यहां तक कि संदर्भित नहीं कर रही थी। द. इसलिए, "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ अनिवार्य रूप से बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (सी) में उपयोग किए गए शब्दों तक ही सीमित होना चाहिए। संसद के लिए यह कहना सबसे आसान होता कि

" बैंकिंग कंपनी का अर्थ धारा 5 (सी) में परिभाषित "बैंकिंग कंपनी" होगा और इसमें धारा 5 (सी. सी. आई.) में परिभाषित "सहकारी बैंक" और धारा 5 (सी. सी. वी.) में परिभाषित "प्राथमिक सहकारी बैंक" शामिल होंगे। लेकिन संसद ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार आर. डी. बी. अधिनियम के दायरे से सहकारी बैंकों को जानबूझकर हटा दिया गया और जानबूझकर हटा दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सहकारी बैंकों को बाहर करने का कारण यह है कि सहकारी बैंकों के पास दुरंग गणपति चौगुले v है।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

संबंधित राज्यों के राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के तहत उनके लिए व्यापक, स्व-नियंत्रित और कम खर्चीले उपाय उपलब्ध थे, जबकि अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास इतने त्वरित उपाय नहीं थे और उन्हें दीवानी अदालतों में मुकदमा दायर करना पड़ता था।

80. जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, आर. डी. बी. अधिनियम के अनुरूप है

सामान्य बैंक और उनके लेनदार/ऋणदाता जबकि एम. सी. एस. अधिनियम, 1960, ए. पी. सी. एस. अधिनियम, 1964 और एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002 केवल समितियों के विनियमन से संबंधित हैं। इन अधिनियमों में "बैंकिंग कंपनी" को परिभाषित करने वाली धाराओं की भाषा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट है। यह किसी भी संदिग्ध व्याख्या को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि विधायिका का इरादा स्पष्ट है जैसा कि ऊपर कहा गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कानूनों की भाषा को ठीक से समझा जाना चाहिए। सामान्य धारणा यह है कि विधायिका अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करती है और वह कोई गलती नहीं करती है। यह कानून, न्यायिक निर्णयों और कानून के सामान्य सिद्धांतों को जानने के लिए माना जाता है। प्राथमिक

कानून की व्याख्या का नियम यह है कि इसमें उपयोग किए गए शब्द

खंड को उनका सादा व्याकरणिक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसलिए, हम उस धारा में कुछ पढ़ने के लिए कोई भी शब्द जोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, जिसका विधायिका का इरादा नहीं था।81. अंत में, यह नहीं कहा जा सकता था कि 1965 के अधिनियम 23 द्वारा बी. आर. अधिनियम के अध्याय 5, धारा 56 में "सहकारी" को शामिल करते हुए संशोधन किया गया था।

खंड (सी. सी. आई.) में "बैंक" और खंड (सी. सी. वी.) में "प्राथमिक सहकारी बैंक" या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से (एस. आई. सी. आर. डी. बी. अधिनियम बनाता है) सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं जो बैंकिंग "।

उनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

" 97. ऊपर बताए गए कारणों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 43,44 और 45 और सूची II की प्रविष्टि 32 के प्रावधानों की व्यापक और सार्थक व्याख्या को अपनाने के लिए, हम नीचे दिए गए संदर्भ का उत्तर देते हैं:

" महाराष्ट्र के तहत स्थापित सहकारी बैंक

सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (एम. सी. एस. अधिनियम, 1960), आंध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 (ए. पी. सी. एस. अधिनियम, 1964) और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002) जो बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करते हैं, एस. सी. आर. की धारा 2020 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बी. आर. अधिनियम) की धारा 5 (सी) में परिभाषित "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ। इसलिए, बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली के प्रावधान

संस्थान अधिनियम, 1993 (आर. डी. बी. अधिनियम) द्वारा निगमन के सिद्धांत को लागू करके देय राशि की वसूली पर लागू नहीं होता है।

सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों से "।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त निर्णय में की गई कुछ टिप्पणियां अपीलार्थियों द्वारा स्थापित मामले का समर्थन करती हैं।

81. निर्णय से निपटने से पहले, ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। बैंक लिमिटेड (ऊपर), यह नोट किया गया था कि 'सहकारी बैंक' को बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) में परिभाषित किया गया था; इस प्रकार, उद्देश्य सहकारी बैंक को बैंकिंग कंपनी के रूप में परिभाषित करना नहीं था; इसलिए मूल धारा 5 (सी) में संशोधन नहीं किया गया था। 'सहकारी बैंक' की परिभाषा के संबंध में नियोजित एक अन्य आधार यह था कि धारा 56 के माध्यम से किए गए संशोधन नियामक बनाने के लिए स्पष्ट रूप से उपयुक्त थे। बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदान की गई मशीनरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होगी। यह राय दी गई थी कि बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 के संदर्भ में एक सहकारी बैंक को एक बैंकिंग कंपनी के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रावधान सहकारी बैंकों पर भी लागू किए गए थे। साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 56 सहकारी बैंकों को बी. आर. अधिनियम, 1949 के तंत्र के भीतर लाती है, लेकिन यह धारा 5 (सी) के तहत 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ में संशोधन या विस्तार नहीं करती है। यह भी देखा गया कि बैंकिंग करने वाली संस्थाएं मूल रूप से सहकारी हैं

समाज। सरफेसी अधिनियम के संबंध में, यह पैराग्राफ में देखा गया था41 ऊपर उद्धृत निर्णय का अर्थ है 'बैंकिंग कंपनी'

बैंकिंग में लगी कंपनी, न कि बैंकिंग में लगी 'सहकारी समिति'। संसद ने 1965 के अधिनियम No.23 द्वारा बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) के तहत 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ को नहीं बदला या संशोधित नहीं किया। 'बैंकिंग कंपनी' का अर्थ बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में उपयोग किए गए शब्दों तक ही सीमित होना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि सहकारी समिति अधिनियम के तहत बैंकों द्वारा बकाया की वसूली के लिए पहले से ही एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। आर. डी. बी. अधिनियम, 1993, किसी भी अदालत के समक्ष लंबित प्रत्येक मुकदमे या अन्य कार्यवाही के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के संदर्भ में 'अदालत' शब्द का अर्थ 'दीवानी अदालत' है। यह स्पष्ट है कि पंजीयक या उसके द्वारा नामित अधिकारी या आंध्र प्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1964 की धारा 61,62,70 और 71 के तहत और महाराष्ट्र सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 91 और अन्य प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ 'सिविल पांडुरंग गणपति नियम v' नहीं हैं।

अदालतें। ' इस प्रकार, यह राय दी गई कि आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 सामान्य बैंकों और उनके लेनदारों/ऋणदाताओं के अनुरूप है जहां महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960; आंध्र प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1964 और एम. एस. सी. एस. अधिनियम केवल सहकारी समितियों के विनियमन से संबंधित हैं। बी. आर. अधिनियम, 1949 के अध्याय 5 में धारा 56 के खंड (सी. सी. आई.) में 'सहकारी बैंक' और धारा 56 के खंड (सी. सी. वी.) में 'प्राथमिक सहकारी बैंक' को शामिल करने के कारण यह नहीं कहा जा सका कि आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 सहकारी बैंकों पर लागू होता है।

82. ग्रेटर बॉम्बे कॉप में। बैंक लिमिटेड (ऊपर), बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को केवल नोट किया गया था; इसमें कोई गहराई नहीं थी। विभिन्न प्रावधानों और विशेष रूप से उन पर विचार करना।

गहराई में, बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता है। हमने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की मदद से विभिन्न प्रश्नों से निपटा है, और हम स्वयं को उसमें दर्ज निष्कर्षों से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। द.सहकारी बैंक बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं, इसे एक आकस्मिक गतिविधि नहीं बल्कि मुख्य और एकमात्र गतिविधि कहा जा सकता है। हम ग्रेटर बॉम्बे कॉप में लिए गए दृष्टिकोण की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं। बैंक लिमिटेड (ऊपर)

क्योंकि प्रावधानों की सही ढंग से सराहना नहीं की गई थी।

83. इसका कारण ग्रेटर बॉम्बे कॉप में दिया गया है। बैंक लिमिटेड (उपर्युक्त) कि राज्य अधिनियम में व्यापक तंत्र प्रदान किया गया है, सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के दायरे में वसूली के लिए संसद द्वारा कानून बनाने के रास्ते में नहीं आ सकता था क्योंकि वही इसका अनिवार्य हिस्सा है। यहां तक कि अन्य क्षेत्रों पर आकस्मिक खाई भी कानून को अमान्य नहीं कर सकती है। समान रूप से यह तर्क भी व्यर्थ है कि संसद ने ऐसा नहीं कियाबी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सी) में संशोधन; वास्तव में, संसद ने सहकारी बैंकों पर अपने अनुप्रयोग के संबंध में धारा 56 (ए) के तहत ऐसा किया। अध्याय 5 में संशोधन के माध्यम से बड़ी संख्या में प्रावधान जोड़े गए

धारा 56 को नजरअंदाज और शून्य नहीं किया जा सकता है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 के भाग 5 में किए गए संशोधनों को पूर्ण प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। यदि सहकारी बैंकों को बी. आर. अधिनियम, 1949 और प्रविष्टि 45 और आर. बी. आई. अधिनियम के तहत अन्य कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है

और वे बैंकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बी. आर. अधिनियम, 1949 में दिए गए विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के बिना इसकी अनुमति नहीं है। उन्हें तुरंत बंद करना होगा और व्यवसाय बंद करना होगा।

84. बी. आर. अधिनियम, 1949 द्वारा शासित सहकारी बैंक, धारा के अर्थ के भीतर बैंकिंग गतिविधियों में शामिल हैं।

5 ((ख) उससे। वे जनता से धन स्वीकार करते हैं, जो मांग पर या अन्यथा चुकाया जा सकता है और चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर या अन्यथा द्वारा निकासी की जा सकती है। केवल इस तथ्य से कि धन उधार देना सदस्यों तक सीमित है, उन्हें बैंकिंग के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। वे व्यावसायिक कार्य करते हैं। एक समिति सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से जमा और ऋण प्राप्त करेगी। वे ऋण भी देते हैं और यह उनका प्राथमिक कार्य है।

इस प्रकार, वे सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' के अंतर्गत आते हैं।

संदर्भ प्रश्न संख्या में। 3 (ए) और 3 (बी)85. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया

कि प्रतिभूतिकरण एक बैंकिंग व्यवसाय नहीं है। सरफेसी अधिनियम वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को विनियमित करने के लिए है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (हेक्टेयर) में 'ऋण' की परिभाषा वही है जो आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 की धारा 2 (जी) में परिभाषित की गई है, 'ऋण' को किसी भी दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है जो आर. डी. बी. द्वारा की गई किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के दौरान देय होने का दावा किया जाता है।

बैंक या वित्तीय संस्थान। हमारी राय में, प्रस्तुतिकरण एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के उद्देश्य की उपेक्षा करता है और अनदेखी करता है, अर्थात, सुरक्षा हित को लागू करना, और जिसे अदालत के हस्तक्षेप के बिना धारा 13 द्वारा सटीक रूप से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि एक सहकारी बैंक की गतिविधि बैंकिंग है जो इसके भीतर अधिनियमित कानून द्वारा विनियमित होती है

सूची I की संबंधित प्रविष्टि 45 में, हमें इस बात का कोई कारण नहीं मिलता है कि संसद में सरफेसी अधिनियम को लागू करने और बकाया की त्वरित वसूली के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करने की क्षमता की कमी क्यों थी। सर्फेसी अधिनियम में सहकारी बैंकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सहकारी बैंक बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) के तहत बैंकिंग व्यवसाय कर रहे हैं और सहकारी समितियों को सूची I की प्रविष्टि 43 से बाहर रखने का सूची I की प्रविष्टि 45 की व्याख्या के संबंध में कोई संबंध नहीं है।

86. यहाँ तक कि कुछ समय के लिए यह मानते हुए भी कि 'बैंक' की परिभाषा

अभिव्यक्ति 'बैंक' को सरफेसी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 2 (1) (सी) और धारा 2 (1) (सी) (वी) में निहित प्रावधान केंद्र सरकार को इसके लिए 'ऐसे अन्य बैंक' को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

एक्ट करें। इस प्रकार, 'सहकारी बैंक' को 'बैंक' के रूप में अधिसूचित करने वाली 28.1.2003 पर जारी अधिसूचना सूची I की प्रविष्टि 45 द्वारा कवर की गई है क्योंकि वे बी. आर. अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम द्वारा विनियमित हैं। सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत 'बैंकिंग' गतिविधि के लिए, संसद को ऐसे बैंक के लिए वसूली प्रक्रिया को अधिकृत करने और निर्धारित करने के लिए 'बैंक' को परिभाषित करने वाले ऐसे प्रावधान को अधिनियमित करने की शक्ति थी जैसा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 में प्रदान किया गया है; हालाँकि, हमारा विचार है कि सहकारी समितियाँ/बैंक बी. आर. अधिनियम की धारा 5 (1) (सी) में निगमित करके शामिल किए गए हैं और अधिसूचना प्रचुर मात्रा में जारी की गई थी। धारा 56 (ए) के आधार पर, बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) में परिभाषित सहकारी बैंकों को धारा 5 (1) (सी) में शामिल किया गया है। इसी तरह, बहु-राज्य सहकारी बैंकों को भी शामिल किया गया।

87. बकाया की वसूली के लिए पहले की प्रक्रिया सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल के माध्यम से सामान्य बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए अलग-अलग प्रदान की गई थी। सरफेसी अधिनियम में, समय के साथ तालमेल रखने के लिए अदालत/न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना धारा 13 के तहत एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रकार, अत्यधिक विलंब की बीमारी जिससे दीवानी न्यायालय के आदेश को नुकसान हुआ और साथ ही सहकारी समितियों अधिनियम के तहत सहकारी न्यायाधिकरणों या संक्षिप्त प्रक्रिया की मांग की गई थी।

निवारण करने के लिए। इसके अलावा, संसद को बैंक बकाया के लिए वसूली प्रक्रिया प्रदान करने के लिए कानून बनाने की अनुमति है।

88. सोमा सुरेश कुमार बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार और Ors.56, यह देखा गया कि ऐसे कई अवसर थे जबराज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बैंकिंग विनियमन ने उनके क्षेत्र में कार्य किया। इस न्यायालय ने आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम, 1999 और बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रभावों पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि संबंधित अधिनियमों और क्षेत्र के दायरे पर विचार किया जाना आवश्यक है और यह

राज्य विधानमंडल के लिए भी बी. आर. अधिनियम, 1949 के बावजूद उन मामलों के संबंध में प्रावधानों को लागू करने की अनुमति थी जो

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि आंध्र प्रदेश वित्तीय जमाकर्ताओं का संरक्षणप्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 ने किसी भी केंद्र के लिए कोई प्रतिकूलता पैदा नहीं की

कानून। यह देखा गया:

" 6. इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि बैंकिंग कंपनियों या संगठनों के संचालन को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों को बैंक के कार्यों को करने के लिए लाइसेंस देने में सक्षम बनाता है। यह.

यह इंगित किया गया था कि इसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो नहीं हैं

आंध्र अधिनियम द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के लिए सामान्य। इसके अलावा, यह बताया गया कि दोनों अधिनियम जमाकर्ताओं को धनवापसी के विभिन्न पहलुओं पर लागू होते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, यह बताया गया है, बैंकिंग कंपनियों के कामकाज को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें वसावी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड और कि याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है ताकि वे कानून के चंगुल से बाहर निकल सकें।

89. के. के. भास्करन बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व उसके सचिव द्वारा किया जाता है,

तमिलनाडु, और ओआरएस। 57 , टी. एन. जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1997 के संबंध में प्रश्न उठा। उक्त अधिनियम ने वित्तीय प्रतिष्ठानों की धोखाधड़ी गतिविधियों के कारण होने वाली बुराइयों के लिए एक उपाय प्रदान किया, जिसके लिए केंद्रीय अधिनियमों में कोई निवारण तंत्र प्रदान नहीं किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि टी. एन. के हितों का संरक्षण

जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1997, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता था क्योंकि 1997 के अधिनियम का उद्देश्य पूरी तरह से अलग था। पिथ का सिद्धांत और

केंद्रीय और राज्य सूचियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों के अतिव्यापी होने पर पदार्थ और इसके प्रभाव पर विचार किया गया। प्रासंगिक चर्चा यहाँ नीचे निकाली गई है:

" 18. अक्सर ऐसा होता है कि एक कानून सातवीं अनुसूची की सूची I और सूची II दोनों को ओवरलैप करता है। ऐसी परिस्थितियों में, पीठ और पदार्थ का सिद्धांत लागू किया जाता है। हमारी राय है कि सार और सार में विवादित राज्य अधिनियम सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों 1,30 और 31 के लिए संदर्भित है न कि सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 43,44 और 45 के लिए।

19. यह अच्छी तरह से तय है कि एक निषिद्ध विधायी क्षेत्र में सहायक शक्तियों के प्रयोग में आकस्मिक खाई खोदने की अनुमति है।

57 (2011) 3 एस. सी. सी. 793 दुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201 [एस. सी. सी. पैरा के माध्यम से]31 (4) , (5) & (6) और 129 (5)]। सीमांकन की तीखी और विशिष्ट रेखाएँ

हमेशा संभव नहीं होता है और इसे रोकना अक्सर असंभव होता है

ओवरलैपिंग की निश्चित राशि आई. टी. सी. लिमिटेड v. कर्नाटक राज्य,

1985 मान लीजिए एस. सी. सी. 476 (एस. सी. सी. पैरा 17)। हमें देखना होगा कि

समग्र रूप से विधान और एक धारणा है कि विधायिका

यह अपनी संवैधानिक सीमाओं से अधिक नहीं है।

21. पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का अर्थ है कि एक अधिनियमजो काफी हद तक स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आती है

संविधान द्वारा एक विधानमंडल पर जिसने इसे अधिनियमित किया है

सार और सार में वास्तविक विषय क्या है -कानून। यदि इस तरह की जांच में यह पाया जाता है कि कानून

विधायिका को सौंपे गए किसी मामले पर सार में एक है तो यह

इसे वैध माना जाना चाहिए, भले ही यह संयोग से खाई पर हो।इसकी विधायी क्षमता से परे मामले, भारत संघ द्वारा

वी. शाह गोवर्धन एल. काबरा टीचर्स कॉलेज, (2002) 8 एससीसी

228 (एस. सी. सी. पैरा 7)।

22. पीठ और पदार्थ के सिद्धांत को लागू करने के लिए सम्मान होना चाहिए समग्र रूप से अधिनियम, इसके मुख्य उद्देश्यों और दायरे के लिए था

और 2001 के विशेष संदर्भ संख्या 1 के माध्यम से इसके प्रावधानों का प्रभाव,

पुनः (2004) 4 एस. सी. सी. 489 (एस. सी. सी. पैरा 15)। इस उद्देश्य के लिए सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियों की भाषा दी जानी चाहिए

राज्य डब्ल्यू. बी. वी. केसोरम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004) 10 एस. सी. सी. 201,[एस. सी. सी. पैरा 31 (4)], भारत संघ बनाम। शाह गोवर्धन एल. काबरा

शिक्षक महाविद्यालय, (2002) 8 एस. सी. सी. 228 (एस. सी. सी. पैरा 6) और आई. टी. सी.

लिमिटेड वी. कर्नाटक राज्य, 1985 पूरक एस. सी. सी. 476 (एस. सी. सी. पैरा 17)। ”90. एम/एस में। उजागर प्रिंट्स और ओआरएस। (II) v. भारत संघ और

3, यह निर्धारित किया गया था कि राज्य विधानमंडल में प्रविष्टियों को एकतरफा किया जाना चाहिए और पीठ और पदार्थ के सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए।

48. यह याद रखना चाहिए कि विधायी सूचियों में प्रविष्टियाँ विधायी शक्ति के स्रोत नहीं हैं, बल्कि केवल विषय या विधान के क्षेत्र हैं।

-9) 3 एससीसी 488 [2020] 5 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उदार भावना और एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं। अभिव्यक्ति" अनुच्छेद 246 में पीठ और पीठ के सिद्धांत को शामिल किया गया है।

पदार्थ "विधायिका के प्रयास की समझ में

शक्ति और जहाँ भी विधायी क्षमता का सवाल हैयह परीक्षण उठाया गया है कि क्या कानून, समग्र रूप से देखा जाता है, काफी हद तक कानून के विशेष विषय के संबंध में है। यदि कानून में पर्याप्त है और न कि केवल एक दूरस्थ कनेक्शन है

प्रविष्टि के साथ, मामले को कानून के रूप में लिया जा सकता है

विषय "।

91. केशवलाल खेमचंद एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और

वी. भारत संघ और Ors.5[9], सरफेसी अधिनियम के उद्देश्य को इस प्रकार समझाया गया है:

" 30. धन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति को आम तौर पर लेनदार कहा जाता है।

और धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आम तौर पर उधारकर्ता कहा जाता है।

ऋण लेन-देन का सबसे सरल रूप एक अनुबंध है जिसके द्वारा

उधारकर्ता माँग पर उधार ली गई राशि को चुकाने के लिए सहमत होता है।लेनदार द्वारा समझौते के तहत निर्धारित ब्याज के साथ।

इस तरह के ऋण लेनदेन में किसी भी व्यवस्था द्वारा भाग लिया जा सकता है

प्रतिभूति जैसे बंधक या गिरवी आदि के आधार पर

पक्षों का समझौता।31. इस अधिनियम में धन की शीघ्र वसूली का प्रावधान है।

उधारकर्ताओं से ऋणदाताओं के एक वर्ग को देय जो बैंक हैं और वित्तीय संस्थान (लेनदार)। द्वारा किए गए अग्रिम/ऋण

आम तौर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को लेनदार नहीं होते हैं।

माँग पर पुनर्भुगतान लेकिन एक निश्चित के अनुसार पुनर्भुगतान योग्य

"सावधि ऋण" के रूप में ज्ञात पक्षों द्वारा सहमत समय अनुसूची:

" सावधि ऋण। - ऋण एक निर्दिष्ट अवधि (एक सावधि ऋण) के लिए दिया जा सकता है। ऐसे मामले में पुनर्भुगतान निर्दिष्ट अवधि के अंत में और किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में देय है या

इसके विपरीत, पुनर्भुगतान के लिए आगे कोई मांग नहीं है आवश्यक है। "

चिट्टी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम। II, 30 वीं संस्करण। , पी। 913 .

दूसरे शब्दों में, ऐसे ऋण किश्तों में चुकाने योग्य होते हैं।समय की अवधि जिसकी शर्तें एक लिखित द्वारा प्रमाणित की जाती हैं

5) 4 एस. सी. सी. 770 दुरंग गणपति चौगुल v. विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

पक्षों के बीच समझौता। पुनर्भुगतान में चूक (सहमत अनुसूची के संदर्भ में) आम तौर पर लेनदार को धन की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई का कारण प्रदान करता है।

उधारकर्ता से देय और बकाया पूरी राशि।

आम तौर पर ऐसे सावधि ऋण उधारकर्ता की "सुरक्षित संपत्ति" में कुछ "प्रतिभूति ब्याज" के साथ भी होते हैं। इस तरह की वसूली सामान्य रूप से वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित करके की जानी है "सुरक्षा हित" को लागू करके राशि। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋणों की वसूली अधिनियम,

1993 ने चूककर्ता उधारकर्ता से वास्तव में देय राशि के त्वरित निर्धारण के लिए एक विशेष मंच बनाया और ऐसे उधारकर्ताओं से इस तरह से निर्धारित राशि की त्वरित वसूली के लिए एक तंत्र भी प्रदान किया।

स्वतंत्र न्यायनिर्णायक निकाय के साथ वितरित किया जाता है। सुरक्षितलेनदार को अधिनियम की धारा 17 के तहत अपील के अधीन उधारकर्ता से देय और बकाया राशि का एकमात्र न्यायाधीश बनाया जाता है। जो भी हो, देय और बकाया राशि का ऐसा निर्धारण एकमात्र मानदंड नहीं है जिसके आधार पर

सुरक्षित लेनदार के तहत कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है

अधिनियम की धारा 13 (4), लेकिन सुरक्षित लेनदार को उधारकर्ता (लेनदार की संपत्ति) के खाते को एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत करना भी आवश्यक है। अधिनियम के अनुसार, जब किसी सावधि ऋण का उधारकर्ता पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो लेनदार उधारकर्ता से देय और बकाया राशि की वसूली के लिए सीधे कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। यह अधिनियम एक अतिरिक्त कानूनी दायित्व रखता है।

लेनदार पर यह जाँचने और यह तय करने के लिए कि क्या अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने से पहले उधारकर्ता का खाता एन. पी. ए. बन गया है।

92. द मजूर सहकारी बैंक में बंबई उच्च न्यायालय

(उपर्युक्त) इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या बैंकिंग व्यवसाय पर सहकारी समिति का प्रभाव, इसकी गतिविधि को देखते हुए, कहा जा सकता है।

जिस पर बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा। हालांकि इरेटिव सोसाइटी बैंकिंग का व्यवसाय कर रही थी, लेकिन इसे एक ही बार प्रस्तुत किया गया था, यह एक सहकारी समिति थी जिसके लिए [2020] 5 एस. सी. आर. के प्रावधान थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बॉम्बे औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं हो सका। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों में परिभाषित 'कंपनी' की गतिविधि और परिभाषा को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य उद्देश्य के साथ गठित कई व्यक्तियों के संघ के रूप में। उच्च न्यायालय ने राय दी कि व्यापक और उचित कानूनी अर्थों में, याचिकाकर्ता एक कंपनी थे, हालांकि वे खुद को एक समाज कहने का विकल्प चुन सकते हैं या भले ही सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार उन्हें खुद को एक समाज कहना चाहिए। हालाँकि, कानून की नज़र में, वे एक कंपनी हैं जब वे बैंकिंग का व्यवसाय कर रहे थे। यद्यपि एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत था, औद्योगिक कानून के प्रावधानों को लागू माना गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जहां तक पंजीकरण के परिणाम का संबंध है, कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी में कोई विशेष आकर्षण या जादू नहीं है। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की:

" (4) अब अधिसूचना की भाषा की ओर मुड़ते हुए श्री पारपिया ने जो आग्रह किया है वह यह है कि अधिसूचना में केवल भारतीय कंपनी अधिनियम और उस अधिनियम के समान अधिनियमों पर विचार किया गया है। हमारी राय में, अधिसूचना में उपयोग किए गए सामान्य शब्दों पर इस तरह की सीमित व्याख्या करने का कोई कारण नहीं है। अगर इरादे

राज्य सरकार का कहना था कि यह अधिसूचना केवल भारतीय कंपनी अधिनियम या भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुरूप अधिनियमों के तहत पंजीकृत कंपनियों पर लागू होनी चाहिए, सरकार के लिए ऐसा कहना आसान नहीं था। यदि इरादा सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत बैंकिंग कंपनियों को बाहर करने का था, तो इसे भी अधिसूचना में ही निर्धारित किया जा सकता था। दोनों में से कोई भी वकील किसी भी भारतीय कानून की ओर हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया है, जिसके तहत एक संघ बैंकिंग कर रहा है।

भारतीय कंपनी अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम के अलावा व्यवसाय पंजीकृत किया जा सकता है। इसलिए, राज्य सरकार के लिए "करना" कहने से सरल या आसान कुछ भी नहीं था। सहकारी समिति अधिनियम के अलावा अन्य अधिनियमों के तहत पंजीकृत बैंकिंग कंपनियों का व्यवसाय। जब किसी न्यायालय को एक अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है जो एक से अधिक अर्थ रखने में सक्षम है तो अधिसूचना के अंतर्निहित कारण और सिद्धांत पर विचार करना गलत नहीं है। बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति को समान व्यवसाय करने वाली अन्य कंपनियों से औद्योगिक कानून के संबंध में अलग आधार पर रखने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक सहकारी बैंकिंग समिति को अपने कर्मचारियों के साथ औद्योगिक कानून के तहत निर्धारित व्यवहार के अलावा अन्य व्यवहार करना चाहिए। अगर हम संतुष्ट थे कि दुरंग गणपति चौगुल v था।

विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

कोई कारण या सिद्धांत जो हमें इस पर रखने के लिए प्रेरित करेगा

श्री पारपिया ने जो व्याख्या करने का सुझाव दिया है, उसे अधिसूचित करें

अधिसूचना पर ऐसी व्याख्या रखी है, लेकिन सभी द्वारा सुझाई गई व्याख्या के पक्ष में विचार हैं

श्री. राणे। अधिसूचना में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें रोक सके।

याचिकाकर्ता बैंकिंग का व्यवसाय कर रहे हैं और पंजीकृत हैं कंपनियों से संबंधित एक अधिनियम के तहत, जो है

सहकारी समितियाँ अधिनियम। विद्वान न्यायाधीश लेने में सही था

यह विचार कि उनके पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। याचिका

असफल हो जाता है और लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

93. जयंत वर्मा और ओआरएस में। वी. भारत संघ और Ors.60,

बी. आर. की धारा 21 ए की प्रयोज्यता के संबंध में उत्पन्न हुआ।

1949. उस संदर्भ में, बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की प्रविष्टि 45 से संबंधित होना चाहिए।

और इसका एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह देखा गया:

"बैंकिंग" विषय के साथ जहाँ तक यह बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस देता है,जैसा कि परिभाषित किया गया है, और सहकारी बैंक, और उन्हें विनियमित करना चाहते हैं।

धारा 21-ए, यद्यपि संशोधन के माध्यम से, निस्संदेह एक

के बारे में निर्णय से संबंधित उपरोक्त अधिनियम का अभिन्न अंग

उसका ऋणी, इस आधार पर कि प्रभारित ब्याज की दर हैअत्यधिक। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि संबंधित कानून

एक बैंकिंग कंपनी के लिए एक देनदार की ऋणग्रस्तता और निर्णय

न्यायालय द्वारा ऐसे किसी भी लेन-देन को फिर से खोलने के विरुद्ध, इस आधार पर कि

बैंकिंग कंपनी द्वारा लिया गया ब्याज अत्यधिक है, संबंधित होगा

बैंकिंग व्यवसाय के लिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रविष्टियाँ सातवीं अनुसूची की सूचियों को व्यापक रूप से पढ़ना होगा

45 इसका व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है किसमग्र रूप से कानून और उपरोक्त धारा सूची I के अंतर्गत आती है।

प्रविष्टि 45 "।

(जोर दिया गया)

94. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आदि में v. भारत संघ और Ors.6[1], कानून के अतिव्यापी होने के प्रश्न पर एक ऐसे विषय के संबंध में विचार किया गया था जो संयोग से

किसी अन्य विषय को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर सकता है और यह अभिनिर्धारित किया कि यह वही बात नहीं है जो बाद के विषय पर कानून है। एक ही लेन-देन के अलग-अलग पहलुओं में दो या दो से अधिक कर योग्य घटनाएँ शामिल हो सकती हैं।

95. एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अर्बन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा लिमिटेड (ऊपर) में लाइसेंस देने के संबंध में सवाल उठा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बी. आर. अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए सहकारी समितियाँ। यह माना गया कि

सहकारी बैंक, जो राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक या प्राथमिक सहकारी बैंक नहीं हैं, जैसा कि बी. आर. अधिनियम, 1949 की धारा 56 (सी. सी. आई.) में परिभाषित किया गया है, लाइसेंस के लिए पात्र नहीं थे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों को लाइसेंस देना, जो बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत नहीं थे, उचित नहीं था। के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियाँ बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम का प्रयोग केवल सहकारी बैंकों के लिए किया जाता था, न कि किसी अन्य सहकारी समिति के लिए जो व्यवसाय नहीं कर रही थी।

बैंकिंग। यह राय दी गई थी:

" 25. एक अन्य पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत के संविधान में, सहकारी समितियों से संबंधित विषय राज्य सूची में है अर्थात अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 32 में है। द.

संघ सूची में अनुसूची VII की सूची I की प्रविष्टि 44 है जो निगमों से संबंधित है। इस मामले में हम चिंतित नहीं हैं

केंद्रीय विधान की वैधता और इस प्रकार उस पहलू से संबंधित नहीं है। निर्णय के उद्देश्य के लिए हम यह मानेंगे कि एक राज्य तक सीमित उद्देश्यों के साथ एक सहकारी समिति निगम शब्द के भीतर आएगी, और इस प्रकार एक केंद्रीय कानून को बचाया जा सकता है। लेकिन, संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सहकारी समितियों से संबंधित मामले राज्य सूची में हैं। इस प्रकार

कई राज्यों ने सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाए हैं। हमने अन्य अधिनियम नहीं देखे हैं। हालाँकि, जैसा कि यह मामला महाराष्ट्र के एक समाज से संबंधित है, हमें महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम दिखाया गया था। विशेष रूप से, यह कानून एक सहकारी समाज को परिभाषित नहीं करता है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके तहत पंजीकृत सोसायटी स्वचालित रूप से कवर हो जाएगी। एक सहकारी समाज को परिभाषित करने की आवश्यकता केवल एक केंद्रीय कानून में उत्पन्न होती है जो

61 (1989) 3 एस. सी. सी. 634 पांडुरंग गणपति चौगुल बनाम। विश्वसराव पाटिल मुर्गुद सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

सभी सहकारी समितियों को शामिल नहीं करता है और इस प्रकार यह इंगित करने की आवश्यकता है कि

यह किस समाज में लागू होता है।

97. भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। एम. हनुमैया और Ors.63, प्रबंधन समिति के अधिक्रमण का सवाल उठासहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम, 1959 की धारा 30 (5) के तहत प्रबंधन को हटाने के लिए सहकारी समितियों के पंजीयक से एक लिखित अनुरोध किया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं और प्रबंधन समिति को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां केंद्रीय कानून ने बैंकिंग से संबंधित सहकारी समितियों के पहलुओं को नियंत्रित किया है।

98. गुजरात और अन्र राज्य में। वी. श्री अम्बिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद, और Anr.54 64, एक प्रावधान में परिभाषा खंड जब यह समावेश के तहत और अति-समावेशी है, इस प्रकार विचार किया गया था:

" 54. एक उचित वर्गीकरण वह है जिसमें वे सभी शामिल हैं जो समान रूप से स्थित हैं और कोई नहीं जो नहीं हैं। फिर सवाल यह है: "समान रूप से स्थित" वाक्यांश का क्या अर्थ है? इस सवाल का जवाब यह है कि हमें वर्गीकरण से परे कानून के उद्देश्य को देखना चाहिए। एक उचित वर्गीकरण वह है जो

इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो कानून के उद्देश्य के संबंध में समान रूप से स्थित हैं। किसी कानून का उद्देश्य या तो हो सकता है -

सार्वजनिक शरारत का उन्मूलन या कुछ सकारात्मक उपलब्धि

सार्वजनिक भलाई।

62 (2007) 4 एससीसी 685 63 (2008) 1 एससीसी 770 64 (1974) 4 एससीसी 656 [2020] 5 एस. सी. आर.

उद्देश्य के प्रति सम्मान लेकिन अन्य जो इतने स्थित नहीं हैं।दूसरे शब्दों में, इस प्रकार का वर्गीकरण उन व्यक्तियों की तुलना में व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बोझ डालता है जो शरारत के साथ भाग लेने वाले लोगों के वर्ग में शामिल हैं, जिस पर कानून का उद्देश्य है। हेरोद ने एक विशेष दिन पर पैदा होने वाले सभी पुरुष बच्चों की मृत्यु का आदेश दिया क्योंकि उनमें से एक दिन उनका पतन होगा।

वर्गीकरण "।

99. गिरनार ट्रेडर्स में (3) v. महाराष्ट्र राज्य और Ors.65, संदर्भ और पीठ के सिद्धांत द्वारा निगमन का प्रश्न और

कैन्स को इस प्रकार माना जाता था:

" 87. हालाँकि, चूंकि इस पहलू पर पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा बहुत विस्तार से तर्क दिया गया था, इसलिए हम उपरोक्त निष्कर्षों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और एक वैकल्पिक याचिका के रूप में इस तर्क के गुण या अन्यथा पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इन सिद्धांतों को अदालतों द्वारा काफी समय से लागू किया जा रहा है। जब अधिनियम में कुछ पूर्ववर्ती अधिनियम का सामान्य संदर्भ है, लेकिन पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है, तो इसे स्पष्ट रूप से संदर्भ द्वारा विधान माना जाता है। संदर्भ द्वारा विधान के मामले में, पूर्व अधिनियम के संशोधन कानून आम तौर पर बाद के अधिनियम पर लागू होंगे; लेकिन, जब किसी अधिनियम के प्रावधानों को विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है और बाद के क़ानून में शामिल किया जाता है, तो केवल वे प्रावधान लागू होते हैं और पूर्व अधिनियम के संशोधन प्रावधान लागू होते हैं।बाद के अधिनियम का हिस्सा न बनें। इस सिद्धांत को आम तौर पर निगमन द्वारा कानून कहा जाता है। सामान्य संदर्भ, आमतौर पर, विशिष्ट संदर्भ के बहिष्करण का संकेत देगा और यह इन दोनों सिद्धांतों के बीच अंतर की ठीक रेखा है। दोनों संदर्भित विधान हैं, एक केवल संदर्भ के माध्यम से और दूसरा निगमन द्वारा। यह, आम तौर पर, उपयोग की जाने वाली भाषा पर निर्भर करेगा।

1) 3 एस. सी. सी. 1 दुरंग गणपति चौगुल v. विश्वसराव पाटिल आर. जी. यू. डी. सहकारी बैंक लिमिटेड [अरुण मिश्रा, जे.]

बाद की विधि और अन्य प्रासंगिक विचार। जबकि निगमन द्वारा विधान के सिद्धांत में अच्छी तरह से परिभाषित अपवाद हैं, अब तक प्रतिपादित कानून में इस सिद्धांत के लिए कोई अपवाद नहीं है।

संदर्भ द्वारा विधान। इसके अलावा, निगमन के सिद्धांत के सख्त अनुप्रयोग के बावजूद, यह अभी भी कुछ विधानों में काम नहीं कर सकता है और ऐसा विधान उल्लिखित अपवादों में से एक के भीतर आ सकता है। 88. इस संबंध में, एम. वी. नरसिम्हन, (1975) 2 एस. सी. सी. 377 में इस न्यायालय के निर्णय पर उपयोगी रूप से ध्यान दिया जा सकता है, जहां न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों का विश्लेषण करने के बाद, इस नियम के अपवादों का सारांश इस प्रकार दिया है: (एस. सी. सी पी. 385, पैरा 15)

" ((क) जहां बाद का अधिनियम और पिछला अधिनियम हैं -

((ख) जहां दोनों अधिनियम समान सामग्री में हैं;(ग) जहां पिछले अधिनियम में संशोधन, यदि आयातित नहीं है

बाद के अधिनियम में भी, बाद के अधिनियम का अनुवाद किया जाएगा।

पूरी तरह से अव्यवहारिक और अप्रभावी; और(घ) जहां पिछले अधिनियम का संशोधन, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से, उक्त प्रावधानों को लागू करता है -

अगला अधिनियम "।

148. बार में उद्धृत विभिन्न निर्णयों को पढ़ने और उनका विश्लेषण करने के बाद हमारा विचार है कि इस नियम में अपवाद होने चाहिए और यह कानून के एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जहां भी संदर्भ द्वारा कानून मौजूद है, पहले के कानून में बाद के संशोधन बाद के कानून में बाद के कानून के उद्देश्य और प्रभाव पर इस तरह के समावेश के प्रभाव का विश्लेषण किए बिना लगाए जाएंगे। बाद का कानून प्रमुख कानून है, इसका उद्देश्य, विधायी इरादा और प्रभावी है।

संशोधित पूर्व कानून की अनुकूलता का निर्धारण करते समय कार्यान्वयन हमेशा सर्वोपरि विचार का विषय होगा

बाद में प्रासंगिक तिथि पर कानून। 173. पीठ और सार के सिद्धांत को विधायी क्षमता के अभाव में किसी विधान की वैधता या अन्यथा की जांच करने के लिए लागू किया जा सकता है और साथ ही साथ जहां मूल अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो विधान एक साथ सन्निहित हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि हम एक संघीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं, वितरण केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बहुत महत्व है। न्यायालय को यह समझाने का गंभीर प्रयास किया गया कि पीठ और पदार्थ के सिद्धांत का बहुत सीमित अनुप्रयोग है और यह केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां न्यायालय है।

विधायी अक्षमता के कारण अधिनियम को अधिकार से बाहर होने की जांच करने का आह्वान किया।174. हम इसे स्वीकार करने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं।

प्रस्ताव। पीठ और पदार्थ का सिद्धांत इस सिद्धांत से अपनी उत्पत्ति पाता है कि यह जानने के लिए कि क्या यह एक निषिद्ध क्षेत्र में आता है, कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र की जांच करना आवश्यक है। यह सिद्धांत पहली बार भारत में लागू किया गया था

प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम। बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड,

(1946-47) 74 आई ए 23: आकाशवाणी 1947 पीसी 60। यह सिद्धांत कथित तिरस्कार के मामलों में लागू किया गया है और हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि इसके आवेदन को वर्तमान प्रकार के मामलों में भी क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है जो अंततः कानून के स्रोत पर स्थापित वैधानिक व्याख्या से संबंधित है।

100. हम पाते हैं कि सहकारी समितियों से संबंधित 'बैंकिंग' हो सकती है इसे सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे में शामिल किया गया है और इसे एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम में सहकारी बैंकों द्वारा वसूली के प्रावधानों को शामिल करने के लिए अति समावेशन नहीं कहा जा सकता है। इसे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर अति-समावेशन नहीं कहा जा सकता है। 101. अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 28.1.2003 की अधिसूचना अधिकार से बाहर है

और मूल क़ानून के दायरे से बाहर है, यानी, SARFAESI Act.The संशोधन रंगीन कानून है, और यह अपने दायरे से बाहर के क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और 'सहकारी बैंकों' को लाने के परिणाम को प्राप्त करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका भी है।

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम और आर. डी. बी. अधिनियम, 1993 के दायरे में और सूची I की प्रविष्टि 43 द्वारा स्पष्ट रूप से बहिष्कृत संस्थाओं को विनियमित करने का एक प्रयास है। रिलायंस को के. सी. गजपति नारायण देव (उपर्युक्त) पर रखा गया है।जिसे आयोजित किया गया था:

" (9) प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट किया जा सकता है किरंगीन विधान में विधायिका की ओर से 'प्रामाणिक' या 'दुर्भावना' का कोई सवाल शामिल नहीं है। पूरा सिद्धांत किसी विशेष की योग्यता के सवाल में खुद को हल करता है। विधायिका का किसी विशेष कानून को अधिनियमित करना। यदि विधायिका किसी विशेष कानून को पारित करने के लिए सक्षम है, तो जिन उद्देश्यों ने इसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया, वे हैं प्रकट या प्रत्यक्ष, लेकिन यह प्रच्छन्न, गुप्त और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और यह बाद के वर्ग के मामलों के लिए है कि अभिव्यक्ति "रंगीन कानून" कुछ न्यायिक घोषणाओं में लागू किया गया है। इस अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया गया विचार यह है कि हालांकि स्पष्ट रूप से एक विधायिका ने अपनी शक्तियों की सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए एक क़ानून पारित किया, फिर भी सार और वास्तव में इसने इन शक्तियों का उल्लंघन किया, जो उचित जांच पर प्रतीत होता है, उसके द्वारा उल्लंघन को छिपाया जा रहा है। जैसा कि डफ द्वारा कहा गया था, जे. इन-अटॉर्नी-जनरल फॉर ओंटारियो बनाम। पारस्परिक बीमाकर्ता, 1924 ए. सी. 328 पी. 337 (बी):

" जहां कानून बनाने वाला प्राधिकारी सीमित या योग्य चरित्र का है, वहां निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून के सार की कुछ सख्ती से जांच करना आवश्यक हो सकता है।विधायिका वास्तव में क्या कर रही है "।

दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम का सार है जो भौतिक है और केवल रूप या बाहरी रूप नहीं है, औरयदि सार में विषय कुछ ऐसा है जो उस विधानमंडल की विधायी शक्तियों से परे है, तो जिस रूप में कानून पहना गया है, वह इसे निंदा से नहीं बचाएगा। विधायिका एक अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इस तरह के मामलों में, जांच हमेशा [2020] 5 एस. सी. आर. की वास्तविक प्रकृति और चरित्र के बारे में होनी चाहिए।

कानून को चुनौती दी गई और यह इस तरह की जांच का परिणाम हैऔर केवल वह प्रपत्र नहीं जो यह निर्धारित करेगा कि क्या नहींयह एक ऐसे विषय से संबंधित है जो विधायिका की शक्ति के भीतर है। प्राधिकरण-'1924 ए सी 328 पी। 337 (बी) '। इस उद्देश्य के लिएइस जाँच के प्रभाव की अदालत निश्चित रूप से जाँच कर सकती है विधान का और इसके उद्देश्य, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए या डिजाइन-'वीडियो अटॉर्नी-जनरल फॉर अल्बर्टा बनाम। वकीलकनाडा के लिए जनरल ', 1939 ए सी 117 पी। 130 (सी)। लेकिन येकेवल सत्य का पता लगाने के उद्देश्य से प्रासंगिक हैंअधिनियम और वर्ग

का चरित्र और सारकानून के वे विषय जिनसे यह वास्तव में संबंधित है और जिनके लिए नहींउन उद्देश्यों का पता लगाना जिन्होंने विधायिका को अभ्यास करने के लिए प्रेरित कियाअपनी शक्तियाँ।

यह बात लेफ्रॉय ने कनाडाई पर अपनी प्रसिद्ध कृति में कही है।संविधान कि भले ही विधायिका एक के चेहरे पर शपथ लेती है ऐसा अधिनियम जिसके द्वारा वह किसी विषय के संबंध में कानून बनाने का इरादा रखता हैजिन पर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, फिर भी यदि के अधिनियमन खंडअधिनियम कानून को अपनी शक्तियों के भीतर लाता है, अधिनियम नहीं कर सकता है कनाडाई संविधान पर लेफ्रॉय को 'अति अधिकार' माना जाता है पृष्ठ 75 "।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त सिद्धांत को लागू करके, विचाराधीन प्रावधान / अधिसूचना को रंगीन कानून नहीं कहा जा सकता है।

102. तमिलनाडु राज्य में और अन्य। वी. के. श्याम सुंदर और ओआरएस "। , रंगीन विधान की अवधारणा पर विचार किया गया और यह देखा गया कि दुर्भावनापूर्ण सिद्धांत में विधायिका की ओर से प्रामाणिक या दुर्भावनापूर्ण का कोई सवाल शामिल नहीं है, और न्यायालय विशेष विधायिका की क्षमता के सीमित मुद्दे से संबंधित है। किसी विशेष कानून को लागू करना। कानून बनाते समय विधायिका का उद्देश्य महत्वहीन होता है। यह देखा गया:

दुर्भावना में ईमानदारी या दुर्भावना का कोई सवाल शामिल नहीं है। विधायिका की ओर से ऐसे मामले में, न्यायालय हैविशेष की क्षमता के एक सीमित मुद्दे से संबंधित विधायिका द्वारा किसी विशेष कानून को अधिनियमित करना। यदि विधायिका सक्षम है एक विशेष अधिनियम पारित करने के लिए, वे उद्देश्य जो इसे एक के लिए प्रेरित करते हैंअधिनियम वास्तव में अप्रासंगिक हैं। दूसरी ओर, यदि विधायिका में क्षमता की कमी है, तो उद्देश्य का सवाल बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए, कोई क़ानून संवैधानिक है या नहीं, इस प्रकार, हमेशा उस क़ानून को लागू करने की विधायिका की शक्ति का सवाल होता है। इसका मकसदकानून बनाते समय विधायिका महत्वहीन होती है: " द्वेष या उद्देश्य बात से परे है, और यह सुझाव देने की अनुमति नहीं है विधायिका पर, एक निकाय के रूप में, किसी बाहरी उद्देश्य के लिए कानून पारित करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की "हस्तांतरित द्वेष" कानून के क्षेत्र में अज्ञात है। (के. सी. गजपति नारायण को देखें देव वी. उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 375, एस. टी. ओ. बनाम। अजीत मिल्स लिमिटेड, (1977) 4 एस. सी. सी. 98, एस. सी. सी. पी. 108 , पैरा 16, के. नागराज बनाम ए. पी. राज्य, (1985) 1 एस. सी. सी. 523, कल्याण संघ। , ए. आर. पी. वी. रंजीत पी. गोहिल (2003) 9 एस. सी. सी. 358 और केरल राज्य बनाम। पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज के लिए, (2009) 8 एस. सी. सी. 46) "।

हम पाते हैं कि सरफेसी अधिनियम विधायी परीक्षा के योग्य है।उच्चारण के साथ-साथ परिभाषा को रंगीन या अति-समावेशी या संसद की क्षमता से परे नहीं कहा जा सकता है।

103. परिणामस्वरूप, हम संदर्भ का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

(1) (क) 'बैंकिंग' के संबंध में राज्य विधान के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक और एम. एस. सी. एस. अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहु-राज्य स्तरीय सहकारी समितियां भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित कानून द्वारा शासित होती हैं।

(ख) 'निगमन, विनियमन और समापन' के पहलुओं के संबंध में राज्य विधान के तहत पंजीकृत सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंक, विशेष रूप से उन मामलों के संबंध में जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के दायरे से बाहर हैं, भारत के संविधान की सूची II की प्रविष्टि 32 से संबंधित उक्त विधान द्वारा शासित होते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची।

(2) संबंधित गतिविधियों में शामिल सहकारी बैंक बैंकिंग को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ए) के साथ पठित धारा 5 (सी) के तहत परिभाषित 'बैंकिंग कंपनी' के अर्थ में शामिल किया गया है, जो सूची I की प्रविष्टि 45 से संबंधित एक कानून है। यह सहकारी समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों के 'बैंकिंग' के पहलू को नियंत्रित करता है। सहकारी बैंक (2020) 5 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और सूची I की प्रविष्टि 45 में 'बैंकिंग' से संबंधित ऐसे बैंकों पर लागू किसी भी अन्य कानून और सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 38 से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुपालन के बिना कोई भी गतिविधि करना। भारत का संविधान।

(3) (क) राज्य विधान के तहत सहकारी बैंक और बहु-राज्य सहकारी बैंक धारा 2 (1) (ग) के तहत 'बैंक' हैं।वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002। वसूली बैंकिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है; जैसे, धारा 13 के तहत निर्धारित वसूली प्रक्रिया एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 45 सूची I से संबंधित एक विधान लागू है।

(3) (ख) संसद के पास भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 45 के तहत विधायी क्षमता है।प्रतिभूतिकरण की धारा 13 के तहत वसूली के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं और सहकारी बैंकों के संबंध में वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 (1) (सी) (आई. वी. ए.) के प्रावधानों में "एक्स. एक बहु-राज्य सहकारी बैंक, 'बहुतायत कौटेल' अधिकार से बाहर नहीं है और साथ ही इसके संबंध में 28.1.2003 दिनांकित अधिसूचना जारी की गई है।राज्य के कानून के तहत पंजीकृत सहकारी बैंक।

दीवानी अपीलों, रिट याचिकाओं और लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

दिव्या पांडे

संदर्भ ने जवाब दिया।